[2021] 13 एस. सी. आर. 611

गुजरात उर्जा विकास निगम लिमिटेड

बनाम

एमआर। अमित गुप्ता और ओआरएस।

(2019 की सिविल अपील संख्या 9241)

08 मार्च, 2021

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और एम. आर. शाह, जे. जे.]

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016। 10 , 31 , 60 (5) , 61 , 238 – बिजली खरीद समझौता-कॉर्पोरेट दिवालियापन

समाधान प्रक्रिया-संविदात्मक विवाद पर एन. सी. एल. टी. का अधिकार क्षेत्र अपीलार्थी ने निगम को 25 मेगावाट क्षमता आवंटित की।

सौर फोटोवोल्टिक आधारित बिजली परियोजना के विकास और स्थापना के लिए देनदार-अपीलार्थी और निगमित देनदार ने प्रवेश किया

30.04.2010 पर एक पी. पी. ए. में, जिसके अनुसार अपीलार्थी को निगमित देनदार द्वारा उत्पन्न सभी बिजली खरीदनी थी-2015 में बाढ़ और भारी बारिश के कारण फिर 2017 में, संयंत्र को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा था-परिणामस्वरूप, यह केवल अपनी मूल क्षमता के 10 15% पर काम करने में सक्षम था-निगमित देनदार ने अपीलार्थी को इसके तहत अपने प्रदर्शन में विफलता के कारण के बारे में सूचित किया

पी. पी. ए., और यह पुष्टि करने के लिए कि इस घटना को एक फोर्स मैजेयर घटना के रूप में माना जा सकता है-दूसरे प्रतिवादी (बैंक) ने कॉर्पोरेट की घोषणा की

ऋणदाता एक एन. पी. ए. होगा-कॉर्पोरेट ऋणदाता ने आई. बी. सी. की धारा 10 के तहत एन. सी. एल. टी. में एक याचिका दायर की, जिसके अनुसार एन. सी. एल. टी. ने सी. आई. आर. पी. शुरू किया और स्थगन का आदेश जारी किया-पहले प्रतिवादी को अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में नियुक्त किया गया था-इसके खिलाफ अपील दायर की गई थी।

एन. सी. एल. ए. टी. में उक्त आदेश को खारिज कर दिया गया-अपीलार्थी ने पी. पी. ए. को समाप्त करने के अपने इरादे को व्यक्त करते हुए निगमित देनदार को चूक के दो नोटिस जारी किए-इसके बाद, पहले और दूसरे उत्तरदाताओं ने यू/एस. आवेदन दायर करके एन. सी. एल. टी. से संपर्क किया। 60 (5) अपीलार्थी द्वारा जारी किए गए नोटिस के संबंध में आई. बी. सी.

निगमित देनदार, और अपीलार्थी को पी. पी. ए.-एन. सी. एल. टी. को समाप्त करने से रोकने के लिए एक निषेधाज्ञा की मांग की, अपीलार्थी को पी. पी. ए. को समाप्त करने से रोक दिया और पहले नोटिस को

दरकिनार कर दिया-एन. सी. एल. ए. टी. ने एन. सी. एल. टी.-इश्यू के आदेश के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया।

उच्चतम न्यायालय के समक्ष निर्धारण-क्या एन. सी. एल. टी./एन. सी. एल. ए. टी. आई. बी. सी. के तहत उत्पन्न होने वाले विवादों पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है।

पी. पी. ए. जैसे अनुबंध: न तो एन. सी. एल. टी. और न ही एन. सी. एल. टी.

13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निर्णय विशेष रूप से इसके अधिकार क्षेत्र यू/एस के मुद्दे की जांच करता है। 60 (5) (ग) आई. बी. सी.-आई. बी. सी. के तहत संस्थागत ढांचे पर विचार किया जाता है।

दिवाला के मामलों से निपटने के लिए एक एकल मंच की स्थापना, जो पहले कई मंचों पर वितरित किए गए थे-निगमित देनदार को विभिन्न मंचों पर कई कार्यवाहियों को दायर करना होगा और/या उनका बचाव करना होगा और ये कार्यवाहियां दिवाला समाधान प्रक्रिया में अनुचित देरी का कारण बन सकती हैं-इसलिए, एस पर विचार करते हुए। 60 (5) (ग) और अन्य दिवालियापन में समान प्रावधानों की व्याख्या

संबंधित कानूनों, एन. सी. एल. टी. के पास विवादों का न्यायनिर्णयन करने का अधिकार क्षेत्र है, जो पूरी तरह से कॉर्पोरेट देनदार की दिवालियापन से उत्पन्न होते हैं या जो कॉर्पोरेट देनदार की दिवालियापन के साथ संबंध रखते हैं-कॉर्पोरेट देनदार की दिवालियापन के साथ संबंध।

अस्तित्व में होना चाहिए-वर्तमान मामले में, पी. पी. ए. को पूरी तरह से दिवालिया होने के आधार पर समाप्त कर दिया गया था, इसलिए, कॉर्पोरेट देनदार की दिवालिया होने के अभाव में, पी. पी. ए. को समाप्त करने का कोई आधार नहीं होगा-आर. पी. उन विवादों के निर्णय के लिए एन. सी. एल. टी. से संपर्क कर सकता है जो दिवालिया समाधान प्रक्रिया से संबंधित हैं-हालांकि, उन विवादों के निर्णय के लिए जो उत्पन्न होते हैं जो दिवालिया होने की स्थिति को नुकसान पहुंचाते हैं। निगमित देनदार, आर. पी. को संबंधित सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करना चाहिए-चूंकि तत्काल मामले में विवाद पूरी तरह से निगमित देनदार की दिवालियापन के आधार पर उत्पन्न हुआ है, इसलिए एन. सी. एल. टी.

यू/एस द्वारा इस विवाद का न्यायनिर्णयन करने के लिए सशक्त। 60 (5) ((ग) आई. बी. सी.

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016-बिजली खरीद समझौते को समाप्त करने का अपीलार्थी का अधिकार-चाहे अपीलार्थी का

अनुच्छेद 9.2 के अनुसार पी. पी. ए. को समाप्त करने का अधिकार। 1 (ई) 9.3 के साथ पढ़ें। 1 आई. बी. सी. द्वारा विनियमित है-आयोजितः अनुच्छेद 9.3 के अनुसार। 1 पी. पी. ए., अपीलार्थी की, अनुच्छेद 9.2 के अधीन चूक की घटना की घटना पर। 1 , एक डिफ़ॉल्ट सूचना जारी कर सकता है जो डिफ़ॉल्ट को जन्म देने वाली डिफ़ॉल्ट घटना को उचित विस्तार से निर्दिष्ट करेगा

इस तरह के नोटिस से 30 दिनों की समाप्ति पर, जब तक कि अन्यथा सहमति न हो जाए, अपीलकर्ता पी. पी. ए. को समाप्त कर सकता है-तत्काल मामले में, यह बिजली की बिक्री के लिए एकमात्र अनुबंध है जो कॉर्पोरेट देनदार द्वारा किया गया था-पी. पी. ए.

पूरी तरह से दिवालिया होने के आधार पर समाप्त किया जाता है, जो एन. सी. एल. टी. को यू/एस. अधिकार क्षेत्र देता है। 60 (5) (ग) इस मामले में निर्णय लेने और पी. पी. ए. की समाप्ति को अमान्य करने के लिए-एन. सी. एल. टी. एक ऐसा मंच है जो

समाधान प्रक्रिया, जिसके लिए निगम के संरक्षण की आवश्यकता होती है ऋणदाता एक चालू चिंता के रूप में-एन. सी. एल. टी./एन. सी. एल. ए. टी. ने सही ढंग से गुजरात उर्जा विकास निगम लिमिटेड पर रोक लगा दी।

वी. एम. आर. अमित गुप्ता और ओआरएस।

अपीलार्थी द्वारा पी. पी. ए. की समाप्ति, क्योंकि इसे पी. पी. ए. को समाप्त करने की अनुमति देने से निश्चित रूप से निगम की मृत्यु हो जाएगी। पी. पी. ए. के एकमात्र अनुबंध होने के कारण निगमित ऋणदाता।

विधानों की व्याख्या विभिन्न अधिनियमों में पाठ्य रूप से समान भाषा का अर्थ उस विधान के संदर्भ और योजना में लगाया जाना चाहिए जिसमें शब्द दिखाई देते हैं-एक अधिनियम में वैधानिक भाषा के लिए जिम्मेदार अर्थ और सामग्री बिल्कुल नहीं हो सकती है। परिस्थितियों को एक विशिष्ट, यदि नहीं तो, विदेशी मिट्टी में प्रत्यारोपित किया जाना चाहिए-यह साधारण कानून है कि एक क़ानून के शब्दों का इस तरह से अर्थ लगाया जाना चाहिए जो उन्हें एक विवेकपूर्ण अर्थ देगा जो क़ानून की समग्र योजना, जिस संदर्भ में शब्दों का उपयोग किया जाता है और अंतर्निहित प्रावधान का उद्देश्य-दिवाला और दिवालियापन संहिता सेक। 60 (5) - कंपनी अधिनियम, 1956-446 (2)

इप्सो फैक्टो क्लॉज-की वैधता-चर्चा की गई

अपील को खारिज करते हुए, यह न्यायालय पकड़नाः अनुबंध पर एन. सी. एल. टी./एन. सी. एल. ए. टी. का अधिकार क्षेत्र

विवाद

1. आई. बी. सी. का अधिनियमन महत्वपूर्ण रूप से अतीत से एक विराम है। आई. बी. सी. के प्रावधानों की व्याख्या करते समय, ध्यान रखें

यह सुनिश्चित करने के लिए लिया जाना चाहिए कि जिस शासन को संसद ने कम पाया और जो नए कानून के अधिनियमन का मूल कारण था, उसे पिछले दरवाजे से नहीं लाया जाए।

कपटपूर्ण कानूनी व्याख्या की प्रक्रिया। लेकिन यह है यह नहीं कहना कि आई. बी. सी. अधिनियमन से पहले मौजूद वैधानिक प्रावधानों को दी गई व्याख्या को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाना चाहिए। ऐसे वैधानिक प्रावधानों को दी गई व्याख्या जो शाब्दिक रूप से धारा 60 (5) (सी) के समान है, प्रासंगिक हो सकती है, बशर्ते कि ऐसी व्याख्या आई. बी. सी. को लागू करने के उद्देश्य के साथ हो, यानी, अन्य बातों के साथ-साथ, मंचों की बहुलता से बचना और दिवालिया प्रक्रिया का समय पर समाधान। आई. बी. सी. एक सुधार था जिसे कई समिति रिपोर्टों के माध्यम से आसुत किया गया था।

महत्वपूर्ण रूप से बी. एल. आर. सी. की रिपोर्ट, जिसमें सिफारिश की गई थी कि

आई. बी. सी. के तहत कंपनियों के समापन और परिसमापन से संबंधित पूर्व संस्थागत ढांचा जारी रहना चाहिए। द.

आई. बी. सी. के तहत संस्थागत ढांचे ने दिवाला के मामलों से निपटने के लिए एक एकल मंच, [2021] 13 एस. सी. आर. की स्थापना पर विचार किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जो पहले कई मंचों पर वितरित किए गए थे। दिवालियापन से संबंधित मामलों पर विशेष अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाली अदालत की अनुपस्थिति में, कॉर्पोरेट देनदार को विभिन्न मंचों पर कई कार्यवाहियों को दायर करना होगा और/या उनका बचाव करना होगा। इन कार्यवाहियों के कारण निचली अदालतों और अपील की अदालतों में कई कार्यवाहियों के कारण दिवाला समाधान प्रक्रिया में अनुचित देरी हो सकती है। दिवाला प्रक्रिया के पूरा होने में देरी से देनदार की परिसंपत्तियों का मूल्य कम हो जाएगा और सफल पुनर्गठन या परिसमापन की संभावनाओं में बाधा आएगी। दिवाला व्यवस्था की सफलता के लिए, यह आवश्यक है कि दिवाला कार्यवाही को समय पर, प्रभावी और कुशल तरीके से निपटाया जाए। अभिनव में इस विषय का अनुसरण करते हुए इस न्यायालय ने कहा कि एक

संहिता का महत्वपूर्ण उद्देश्य भारत में दिवाला कानून को एक एकीकृत छत्र के तहत लाना है जिसका उद्देश्य दिवाला प्रक्रिया में तेजी लाना है। आर्सेलर मित्तल में इस सिद्धांत को दोहराया गया था जहां इस अदालत ने कहा था कि धारा 60 (5) में गैर-अबाधित खंड एक अलग उद्देश्य के लिए बनाया गया है: सुनिश्चित करने के लिए

यह स्पष्ट करते हुए कि किसी अन्य मंच के पास ऐसे आवेदनों या कार्यवाहियों को स्वीकार करने या निपटाने का अधिकार क्षेत्र नहीं है, कि जब संहिता के दायरे में आने वाले किसी निगमित देनदार द्वारा या उसके खिलाफ आवेदनों और कार्यवाही की बात आती है तो अकेले एन. सी. एल. टी. के पास अधिकार क्षेत्र होता है। इसलिए, धारा 60 (5) (सी) के पाठ और अन्य दिवाला संबंधी कानूनों में इसी तरह के प्रावधानों की व्याख्या पर विचार करते हुए, एन. सी. एल. टी. के पास विवादों पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र है, जो पूरी तरह से कॉर्पोरेट देनदार की दिवाला से उत्पन्न होते हैं या जो संबंधित होते हैं। हालांकि, ऐसा करते हुए, हम एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. को यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी का एक नोट जारी करते हैं कि वे वैध नियमों को हड़प न लें।

अन्य न्यायालयों, न्यायाधिकरणों और मंचों की अधिकारिता जब विवाद ऐसा हो जो केवल निगमित देनदार की दिवालियापन से उत्पन्न नहीं होता है या उससे संबंधित नहीं है। निगमित देनदार की दिवालियापन के साथ सांठगांठ मौजूद होनी चाहिए। [पैरा 57,66 और 67] [666-डी-एफ; 671-बी-सी; 672-बी-एच]

2. वर्तमान मामले में, पी. पी. ए. को पूरी तरह से दिवालिया होने के आधार पर समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि अनुच्छेद 9.2 के तहत चूक की स्थिति पर विचार किया गया था। 1 (ई) निगमित देनदार के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही की शुरुआत थी। के अभाव में कॉरपोरेट देनदार की दिवालियापन, गुजरात उर्जा विकास निगम लिमिटेड के लिए कोई आधार नहीं होगा।

वी. एम. आर. अमित गुप्ता और ओआरएस।

पी. पी. ए. को समाप्त करें। समाप्ति एक आधार पर नहीं है

दिवालियापन से स्वतंत्र। वर्तमान विवाद पूरी तरह से कॉर्पोरेट देनदार की दिवालियापन से उत्पन्न होता है और उससे संबंधित है। आर. पी. दिवाला समाधान प्रक्रिया से संबंधित विवादों के निर्णय के लिए एन. सी. एल. टी. से संपर्क कर सकता है। हालांकि, कॉर्पोरेट ऋणदाता की दिवालियापन के कारण उत्पन्न होने वाले विवादों के निर्णय के लिए, आर. पी. को संबंधित सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि वर्तमान मामले में विवाद बिजली की आपूर्ति न होने से संबंधित है, तो आर. पी.

आई. बी. सी. के तहत एन. सी. एल. टी. के अधिकार क्षेत्र को लागू करने का हकदार है। हालाँकि, चूंकि वर्तमान मामले में विवाद केवल कॉर्पोरेट देनदार, एन. सी. एल. टी. की दिवालियापन के आधार पर उत्पन्न हुआ है।

आई. बी. सी. की धारा 60 (5) (सी) के तहत इस विवाद पर निर्णय लेने का अधिकार है। [पैरा 69 और 72] [673-ई-एफ; 675-ए-सी]

एन. सी. एल. टी. और जी. ई. आर. सी. का अधिकार क्षेत्र

3. आई. बी. सी. की धारा 238 में कहा गया है कि आई. बी. सी.

इस तरह के किसी भी कानून के आधार पर प्रभाव रखने वाले साधन सहित अन्य कानूनों को ओवरराइड करें। एन. सी. एल. टी. ने 29 अगस्त, 2019 को अपने निर्णय में इस मुद्दे पर विस्तृत निष्कर्ष दिए कि क्या पी. पी. ए.

या कानून के संचालन द्वारा दर्ज किए गए उपकरण। इस प्रस्तुति का आधार यह है कि उपकरण शब्द को किसी अन्य कानून में निहित प्रावधान के लिए एक अर्थ दिया जाना चाहिए। हम इस तर्क में बल नहीं पाते हैं। धारा 238 में यह नहीं कहा गया है कि दस्तावेज़ को कानून के संचालन द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए; बल्कि यह बताता है कि ऐसे किसी भी कानून के आधार पर उपकरण का प्रभाव पड़ता है। दूसरे शब्दों में, साधन को किसी क़ानून का निर्माण होने की आवश्यकता नहीं है; यह एक कानून के आधार पर प्रवर्तनीय हो जाता है। इसलिए, हम एन. सी. एल. टी. द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमत हैं। धारा 238 एक गैर-बाध्यकारी खंड द्वारा प्रस्तुत की गई है। वर्तमान मामले में एन. सी. एल. टी. के अधिकार क्षेत्र को लागू किया जा सकता है क्योंकि पी. पी. ए. को पूरी तरह से इस आधार पर समाप्त करने की मांग की गई थी कि निगमित देनदार आई. बी. सी. के तहत दिवालिया समाधान प्रक्रिया के अधीन हो गया था। [पैरा 77 और 78] [677-ए-बी; 678-एफ-एच; 679-ए-बी] [2021] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4. आई. बी. सी. की धारा 60 (5) (सी) के तहत एन. सी. एल. टी. का अवशिष्ट क्षेत्राधिकार इसे दिवाला समाधान कार्यवाही से या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले कानून या तथ्य के प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए एक व्यापक विवेक प्रदान करता है। यदि एन. सी. एल. टी. का अधिकार क्षेत्र आई. बी. सी. की धारा 14 द्वारा निषिद्ध कार्यों तक ही सीमित होता, तो विधायिका के लिए इसे लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। आईबीसी की धारा 60 (5) (सी)। धारा 60 (5) (सी) को अनुचित माना जाएगा यदि धारा 14 को निम्नलिखित आधारों का संपूर्ण आधार माना जाता है -

निगमित देनदार के मूल्य और 'चालू चिंता' के रूप में इसकी स्थिति को संरक्षित करने के मामलों में आई. बी. सी. के तहत न्यायिक हस्तक्षेप पर विचार किया गया। हम यह जोड़ने में जल्दबाजी करते हैं कि एन. सी. एल. टी. द्वारा अवशिष्ट शक्ति के प्रयोग की वैधता पर हमारा निष्कर्ष इस पर आधारित है

एन. सी. एल. टी. द्वारा अवशिष्ट शक्ति के प्रयोग की रूपरेखा पर सिद्धांत। हालांकि, यह उल्लेख करना उचित है कि एन. सी. एल. टी. इन मामलों पर अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर सकता है। दिवाला कार्यवाही क्योंकि ऐसे मामले बाहर आते हैं

आईबीसी का क्षेत्र। धारा 60 (5) (सी) की कोई अन्य व्याख्या सतीश कुमार मामले में इस न्यायालय के निर्णय के विपरीत होगी।

गुप्ता। [पैरा 87] [686-सी-एफ]

इप्सो फैक्टो खंडों की वैधता

5. अनुच्छेद 9.2 के तहत अपीलार्थी द्वारा पी. पी. ए. की समाप्ति की वैधता का विश्लेषण करने से पहले। 1 (ई) और 9.3। 1 वर्तमान मामले में, इस मुद्दे पर व्यापक बहस के भीतर इसे प्रासंगिक बनाना महत्वपूर्ण है। विश्व स्तर पर, इप्सो फैक्टो खंड विभिन्न अनुबंधों में उत्पन्न होते हैं। आई. पी. एस. ओ. वास्तविक खंड संविदात्मक प्रावधान हैं जो एक पक्ष ("समाप्त करने वाला पक्ष") को अपने समकक्ष ("देनदार") के साथ अनुबंध को समाप्त करने की अनुमति देते हैं।

डिफ़ॉल्ट '। दिवाला कानून के संदर्भ में, इनमें से कुछ वास्तविक खंडों में, 'चूक' की स्थिति में इसके लिए आवेदन करना शामिल है -

दिवाला, दिवाला कार्यवाही की शुरुआत, दिवाला प्रतिनिधि की नियुक्ति आदि। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग ने 2004 में दिवाला कानून पर अपनी विधायी मार्गदर्शिका जारी की। इस तरह के इप्सो फैक्टो खंडों की वैधता पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और घरेलू क्षेत्रों में वैश्विक परिप्रेक्षय में विचार किया गया है। राष्ट्र के अधिकार क्षेत्र-अपने राष्ट्रीय दिवाला कानूनों में राज्य।

गुजरात उर्जा विकास निगम लिमिटेड के रूप में। वी. एमआर। अमित गुप्ता और ओआरएस।

भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के एक उत्तरदायी सदस्य के रूप में विकसित होता है, हमारे कानून अंदर की ओर देखने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। 2005 में कंपनी कानून पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का नेतृत्व किया गया

जे. जे. ईरानी ने भारत में सुधारों की आवश्यकता का उल्लेख किया

दिवाला व्यवस्था, विशेष रूप से हाल ही में प्रकाशित UNCITRAL गाइड से सबक का हवाला देते हुए। समिति ने इप्सो फैक्टो खंडों को अमान्य करने की आवश्यकता पर ध्यान दिया ताकि दिवालिया प्रक्रिया के दौरान कॉर्पोरेट देनदार की संपत्ति के मूल्य को कम होने से रोका जा सके। हालांकि, इस अमान्य होने का विषय होना था अपवादों के लिए, अनुबंध के लिए विरोधी पक्ष के संविदात्मक अधिकारों को बनाए रखने में बाध्यकारी, वाणिज्यिक, सार्वजनिक या सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए। [पैरा 88,130 और 131] [686-एफ-एच; ए, सी-ई; 714-ई-एफ; 715-डी-ई]

6. हालाँकि, जैसा कि स्पष्ट है, इस सिफारिश को कभी भी सीधे विधायी रूप से शामिल नहीं किया गया था क्योंकि वर्तमान आई. बी. सी. में शामिल हैं।

कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है जो इप्सो फैक्टो खंडों को अमान्य करता है। वास्तव में, इप्सो फैक्टो खंडों के अमान्य होने का मुद्दा दिसंबर 2018 की एक रिपोर्ट में नोट किया गया था जिसका शीर्षक था 'दिवाला और दिवालियापन संहिता': विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी द्वारा अब तक की यात्रा और आगे की राह जारी की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आई. बी. सी. "दिवालिया कार्यवाही के दौरान इप्सो फैक्टो खंडों के संचालन को प्रतिबंधित नहीं करता है। हालांकि, धारा 14 एक सीमित अपवाद का प्रावधान

करती है जो निर्दिष्ट "आवश्यक वस्तुओं या सेवाओं" (यानी पानी, बिजली, दूरसंचार सेवाओं और सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की समाप्ति, निलंबन या व्यवधान को इस हद तक प्रतिबंधित करती है कि वे कॉर्पोरेट देनदार द्वारा उत्पादित या आपूर्ति किए गए उत्पादन के लिए सीधे निवेश नहीं हैं), और कॉर्पोरेट देनदार को अधिस्थगन के दौरान मालिक या पट्टेदार द्वारा किसी भी संपत्ति की वसूली से राहत भी प्रदान करती है। एक समाधान के रूप में, रिपोर्ट में इप्सो फैक्टो के संचालन पर सशर्त रोक लगाने की सिफारिश की गई है।

खंड, दिवाला शुरू होने की तारीख से शुरू होते हुए, क्योंकि "इप्सो फैक्टो खंडों के संचालन पर पूर्ण रोक अनुबंध की स्वतंत्रता पर एक गंभीर प्रतिबंध का गठन करेगी और आपूर्तिकर्ताओं को अनुबंध करने के लिए प्रभावी रूप से मजबूर करेगी, भले ही ऐसी कार्रवाई उनके वाणिज्यिक हितों के खिलाफ हो"। इस समाधान के कार्यान्वयन के संबंध में, रिपोर्ट सुझाव देती है कि

आई. बी. सी. में एक नया प्रावधान शामिल करना। हाल ही में, हालांकि, आई. बी. सी. को दिवाला और दिवालियापन संहिता [2021] 13 एस. सी. आर. द्वारा संशोधित किया गया था।

(संशोधन) अधिनियम, 2020, जिसने अन्य बातों के साथ-साथ धारा 14 (1) के लिए एक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। [पैरा 132 और 133] [715-ई-एच; 716-ए-सी]

7. भारत में आज कानून की स्थिति इप्सो फैक्टो को अमान्य करती है।

खंडों में:

(i) सरकारी लाइसेंस, परमिट, पंजीकरण, कोटा,

धारा 14 (1) के स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, क्षेत्रीय नियामक या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत गठित किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा दी गई रियायतें, मंजूरी या इसी तरह का अनुदान या अधिकार;

((ii) और अनुबंध जहां विरोधी पक्ष आपूर्ति करता है।

धारा 14 (2) और 14 (2ए) के अर्थ के भीतर निगमित देनदार को आवश्यक/महत्वपूर्ण वस्तुएं और सेवाएं।

हालांकि, आई. बी. सी. के खाली पाठ से अन्य अनुबंधों में आई. पी. एस. ओ. वास्तविक खंडों की वैधता के संबंध में कोई स्पष्ट स्थिति सामने नहीं आती है। इसलिए, वर्तमान मामले में यह कार्य अब इस न्यायालय पर छोड़ दिया गया है। [पैरा 135] [718-ई-एच]

8. इस मामले में न्यायिक शाखा के सदस्यों के रूप में कर्तव्यों का पालन करते हुए, इस न्यायालय को विधायिका के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करते हुए एक न्यायसंगत निर्णय प्रदान करने के बीच एक महीन रेखा पर चलना चाहिए। यह पहले ही ऊपर उल्लेख किया जा चुका है कि इप्सो फैक्टो खंडों का अमान्यकरण विधायी हस्तक्षेप के माध्यम से हुआ प्रतीत होता है। यद्यपि, कुछ क्षेत्राधिकारों में, कुछ न्यायिक निर्णय हुए हैं जिन्होंने विधायी पाठ को एक विस्तृत व्याख्या दी है, ताकि इप्सो फैक्टो खंडों (और उनके बदलावों) को अमान्य किया जा सके जिन्हें स्पष्ट रूप से प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

विधायिका, ये निर्णय अक्सर जारी किए गए हैं ताकि दिवाला व्यवस्था की विधायी नीति, इरादे और उद्देश्य को प्रभावी बनाना। कोरिया गणराज्य जैसे देशों में, जहां यह अभी तक विधायी रूप से नहीं हुआ है, इसकी सिफारिश की जाती है। अन्य लोगों में जैसे

यू. के. में, लॉर्ड मैन्स ने बेलमोंट पार्क (ऊपर) में अपनी सहमति वाली राय में कहा है कि यह केवल विधायी रूप से होना चाहिए, न कि अदालत के हस्तक्षेप के माध्यम से। नतीजतन, यह न्यायालय मानता है कि इप्सो फैक्टो खंडों की वैधता/अयोग्यता का प्रश्न वह है जिसे न्यायालय को गुजरात उर्जा विकास निगम लिमिटेड में पूरी तरह से हल नहीं करना चाहिए।

वी. एम. आर. अमित गुप्ता और ओआरएस।

वर्तमान मामला। बल्कि, हम इस मुद्दे पर ठोस मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए विधायिका से ईमानदारी से अपील कर सकते हैं, क्योंकि इस मुद्दे पर विधायी आवाज की कमी से भ्रम पैदा होगा और वाणिज्यिक स्पष्टता कम होगी। [पारस 138,139 और 143] [720-ए-डी; 721-एफ]

वर्तमान मामले में पी. पी. ए. को समाप्त करने का अपीलार्थी का अधिकार

9. पी. पी. ए. का अनुच्छेद 9.1 स्पष्ट करता है कि पी. पी. ए. पक्षों द्वारा इसके निष्पादन और वितरण पर प्रभावी हो जाएगा।

डिफ़ॉल्ट। इस खंड का अपवाद तब शुरू होता है जब निगमित ऋणदाता का विघटन विलय के उद्देश्य से होता है, समेकन या पुनर्गठन और जहां परिणामी इकाई के पास पी. पी. ए. और साख योग्यता के तहत अपने दायित्वों का पालन करने के लिए वित्तीय स्थिति है। अनुच्छेद 9.3 के अनुसार। 1 , अपीलार्थी, अनुच्छेद के तहत चूक की घटना की घटना पर

9.2. 1 , एक डिफ़ॉल्ट सूचना जारी कर सकता है जो डिफ़ॉल्ट सूचना को जन्म देने वाली डिफ़ॉल्ट घटना को उचित विस्तार से निर्दिष्ट करेगा, और इसे ठीक करने के लिए कॉर्पोरेट ऋणदाता से आह्वान करेगा। इस तरह के नोटिस से 30 दिनों की समाप्ति पर, जब तक कि अन्यथा सहमति न हो, यदि चूक को ठीक नहीं किया गया है, तो अपीलार्थी पी. पी. ए. को समाप्त कर सकता है। इसके अलावा, निगमित ऋणदाता का दायित्व होगा कि वह अपीलार्थी को मुआवजे के रूप में भुगतान करे जो मानक पी. एल. एफ. पर विचार किए गए पहले वर्ष के शुल्क के आधार पर तीन साल के बिलिंग के बराबर है।

जी. ई. आर. सी., समाप्ति सूचना के 30 दिनों के भीतर। अनुच्छेद 10.4 के अनुसार, जब विवाद उत्पन्न होने के 60 दिनों के भीतर पक्षों के बीच मतभेदों या विवादों का आपसी बातचीत के माध्यम से निपटारा नहीं किया जाता है, तो इसका निर्णय राज्य आयोग द्वारा कानून के अनुसार किया जाएगा। [पैरा 148 और 149] [722-एफ-एच; 723-डी-एफ]

पी. पी. ए. की समाप्ति की वैधता

10. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, इप्सो फैक्टो खंडों की वैधता का व्यापक प्रश्न निरंतरता का विषय रहा है। कई क्षेत्राधिकारों में विधायी हस्तक्षेप। यह एक जटिल [2021] 13 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नीति निर्धारण, क्योंकि यह संविदात्मक स्वतंत्रता के बीच उचित संतुलन बनाने के बारे में कई सवाल उठाता है एक तरफ कॉर्पोरेट बचाव और दूसरी तरफ कॉर्पोरेट बचाव। हम इस बात से अवगत हैं कि कोई भी नियम जो हम तैयार कर सकते हैं, चाहे वह कितना भी संकीर्ण क्यों न हो, एन. सी. एल. टी. के हस्तक्षेप के लिए बाढ़ के द्वार खोलने के संदर्भ में अनपेक्षित दूसरे क्रम के प्रभावों की एक श्रृंखला हो सकती है।

समाप्त करने वाले पक्ष की संविदात्मक स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा, तुलनात्मक अनुभव हमें यह भी सिखाता है कि, यह देखते हुए कि इप्सो फैक्टो खंडों का अमान्य होना उन हितों को अस्थिर कर सकता है जिन पर संविदात्मक संबंध स्थापित किए जाते हैं, कुछ अधिकार क्षेत्र।

जिन खंडों ने इस तरह के खंडों को अमान्य कर दिया है, उन्होंने सावधानीपूर्वक, संभावित तरीके से ऐसा किया है। यह सुनिश्चित करता है कि जबकि नीति

दिवाला कानून को वैश्विक शासनों के साथ लाया जाता है, यह उन पक्षों के संविदात्मक अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है जो अपनी संविदात्मक शर्तों पर बातचीत करते समय स्थिति में इस परिवर्तन के लिए उचित रूप से जिम्मेदार नहीं हो सकते थे। इस तरह का दृष्टिकोण वाणिज्यिक स्थिरता पर हानिकारक प्रभावों का एक प्रमाण और मान्यता है कि संविदात्मक स्वतंत्रता में इस तरह का अतिक्रमण हो सकता है। उत्पन्न करें, तब भी जब सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श के बाद विधायी रूप से किया जाता है।

विधायिका द्वारा निषेध, यह तर्क दिया जा सकता है कि ऐसे खंडों के संचालन पर कोई सामान्य प्रतिबंध नहीं है यदि वे अनुबंध अधिनियम के तहत एक वैध अनुबंध का हिस्सा हैं। [पैरा 153 और 154] [724-जी-एच; 725-ए-ई; 726-बी-सी] 11. साथ ही, यह न्यायालय इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकता है कि इस न्यायालय को एक नई स्थिति से अवगत कराया गया है जहां गुजरात उर्जा विकास निगम लिमिटेड है।

वी. एम. आर. अमित गुप्ता और ओआरएस।

' एक निगमित देनदार की चालू संस्था की स्थिति को एक इप्सो फैक्टो खंड के आधार पर उसके एकमात्र अनुबंध की समाप्ति द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा। यह ध्यान देने योग्य है कि आई. बी. सी. 5 से प्रभावी है। अगस्त 2016, और कई बार संशोधित भी किया गया है। इसलिए, यदि निगमित ऋणदाताओं की 'चालू चिंता' की स्थिति नियमित रूप से इप्सो फैक्टो खंडों (जो वर्तमान पीपीए के समान वर्तमान अनुबंधों में भी प्रचलित हैं) के कारण प्रभावित हो रही थी, तो विधायिका, यदि आवश्यक समझी जाए, तो इप्सो फैक्टो खंडों के संचालन के संबंध में एक स्पष्ट स्थिति पर कानून बनाने के लिए आगे बढ़ सकती है। हालाँकि, वर्तमान मामले में इस न्यायालय को इस व्यापक प्रश्न का समाधान करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या भारत में इप्सो फैक्टो खंडों का अमान्यकरण/स्थगन, आम तौर पर, कानूनी रूप से अनुमत है। यह एक ऐसा मामला है जो कानूनी नीति के जटिल मुद्दों और विशिष्ट और परस्पर विरोधी मूल्यों के बीच संतुलन को उठाता है। सुधार विधायी प्रक्रिया के माध्यम से करना होगा। वे चरण जिनके माध्यम से विधायी सुधार होना चाहिए

निरपेक्ष या वृद्धिशील-विधायी परिवर्तन का विषय है। हमारा काम यह तय करने के मुद्दे तक सीमित है कि क्या एनसीएलटी

पी. पी. ए. की समाप्ति पर रोक लगाने के लिए, इस मामले के तथ्यों में, इसमें निहित अधिकार क्षेत्र का सही ढंग से प्रयोग किया गया। एक के अभाव में विधायिका द्वारा स्पष्ट रूप से लिया गया रुख, इस मामले में इस न्यायालय का हस्तक्षेप आई. बी. सी. के प्रावधानों से विधायी इरादे का पता लगाकर निर्देशित किया जाएगा। हालांकि आई. बी. सी. के विभिन्न प्रावधानों से संकेत मिलता है कि क़ानून का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कॉर्पोरेट देनदार एक 'चालू चिंता' बना रहे, लेकिन एन. सी. एल. टी. के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए एक विशिष्ट पाठ्य हुक होना चाहिए। एन. सी. एल. टी. आई. बी. सी. के 'आत्मा' या 'उद्देश्य' से अपनी शक्तियाँ प्राप्त नहीं कर सकता है। आई. बी. सी. की धारा 60 (5) (सी) एन. सी. एल. टी. को व्यापक शक्तियां प्रदान करती है क्योंकि यह इसका मनोरंजन और निपटान कर सकती है।

इससे या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले तथ्य या कानून का कोई प्रश्न

दिवाला समाधान प्रक्रिया। हालाँकि, हम यह जोड़ने में जल्दबाजी करते हैं कि एन. सी. एल. टी. का अवशिष्ट अधिकार क्षेत्र, हालांकि व्यापक है, फिर भी आई. बी. सी. के पाठ द्वारा परिभाषित किया गया है। विशेष रूप से, एन. सी. एल. टी. वह नहीं कर सकता जो आई. बी. सी. ने जानबूझकर उसे करने की शक्ति प्रदान नहीं की थी।

[पारस 155 और 163] [726-सी-जी; 731-बी-सी]

12. इस मामले में, पी. पी. ए. को पूरी तरह से दिवालिया होने के आधार पर समाप्त कर दिया गया है, जो एन. सी. एल. टी. को इसके तहत अधिकार क्षेत्र देता है। धारा 60 (5) (सी) इस मामले पर निर्णय लेने और [2021] 13 एस. सी. आर. को अमान्य करने के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पी. पी. ए. की समाप्ति क्योंकि यह एक ऐसा मंच है जिसमें दिवाला समाधान प्रक्रिया की निरंतरता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निहित है, जिसके लिए एक चालू चिंता के रूप में निगमित ऋणदाता के संरक्षण की आवश्यकता होती है। इस मामले के अद्वितीय तथ्यात्मक मैट्रिक्स में सी. आई. आर. पी. के लिए पी. पी. ए. की केंद्रीयता को देखते हुए, इस न्यायालय को एन. सी. एल. टी. के अवशिष्ट अधिकार क्षेत्र की व्याख्या को अपनाना चाहिए जो आई. बी. सी. के व्यापक लक्षयों के अनुरूप है। सर पी. बी. मैक्सवेल ने अपनी टिप्पणी, ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैटचूट्स 129 में इस बात पर जोर दिया है कि एक प्रावधान को एक सामंजस्यपूर्ण व्याख्या दी जानी चाहिए जो संविधान के आशय के अनुरूप हो।

एस. आई. सी. ए. की धारा 22 के तहत शासन के पुनरुद्धार के लिए जो व्यापक अनुबंधों के निलंबन के लिए प्रावधान।

गुजरात उर्जा विकास निगम लिमिटेड की धारा 22। वी. एम. आर. अमित गुप्ता और ओआरएस।

एस. आई. सी. ए. को पिछले दरवाजे से अंदर नहीं लाया जा सकता है। इस मामले में हमारे हस्तक्षेप का आधार इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि अगर हम पी. पी. ए. को समाप्त करने की अनुमति देते हैं, जो कि कॉर्पोरेट देनदार का एकमात्र अनुबंध है, जो बिजली की आपूर्ति को नियंत्रित करता है जो वह उत्पन्न करता है, तो यह सी. आई. आर. पी. के तहत से गलीचा निकाल लेगा, जिससे कॉर्पोरेट देनदार की कॉर्पोरेट मृत्यु पूर्ववत हो जाएगी। निष्कर्ष। न्यायालय अपने केंद्र में एक ऐसी संस्था है जो उसके सामने लाए गए ठोस मामलों का जवाब देती है। यह अपने प्रांत के भीतर नहीं है कि वह कानून में अपने विचारों को शामिल करे कि अच्छी नीति क्या है। यह एक ऐसा मामला है जो विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। समान रूप से, जब एक नए प्रश्न के साथ प्रस्तुत किया जाता है, जिस पर विधायिका ने अभी तक अपना मन नहीं बनाया है, तो हमें नहीं लगता कि यह न्यायालय हाथ जोड़कर बैठ सकता है और केवल विधायिका को जवाब दे सकता है। ऐसी स्थिति में, न्यायालय एक व्याख्या-एक व्यवहार्य सूत्र-को अपना सकता है जो संबंधित विधान के व्यापक लक्षयों को आगे बढ़ाता है, जबकि अंतर्निहित समस्या का एक व्यापक और सुविचारित समाधान तैयार करना विधायिका पर छोड़ देता है। इस अभ्यास में विधायिका की सहायता करने के लिए, यह न्यायालय प्रासंगिक विचारों, अन्य प्रासंगिक क्षेत्राधिकारों में प्राप्त

कानून की स्थिति और संभावित नुकसानों के बारे में अपनी सर्वोत्तम सोच रख सकता है जिनसे बचा जा सकता है। यह एक अंतर-संस्थागत संवाद के माध्यम से है कि

शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को सूक्ष्म तरीके से कार्यान्वित किया जा सकता है। यह इस तरह है कि न्यायालय त्याग और हड़पने के बीच के रास्ते पर चल सकता है। [पारस 166 और 170] [732-जी-एच; 734-सी-एफ]

परिसमापन के मुद्दे पर एनसीएलएटी का निर्णय

देनदार। अपीलार्थी ने न तो इस मुद्दे को एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष अपनी अपील में चुनौती दी थी और न ही इसे किसी अन्य पक्ष द्वारा उठाया गया था। हालाँकि, एन. सी. एल. ए. टी. ने पैराग्राफ 35 में एन. सी. एल. टी. द्वारा की गई टिप्पणियों को हटा दिया, जिससे यह अभिनिर्धारित किया गया कि अपीलकर्ता पी. पी. ए. को समाप्त नहीं कर सकता है, भले ही कॉर्पोरेट देनदार इसमें शामिल हो जाए। परिसमापन। चूंकि एन. सी. एल. टी. के आदेश के अनुच्छेद 35 के संबंध में कोई अभिवचन या प्रार्थना नहीं की गई थी, इसलिए एन. सी. एल. ए. टी.

इस मुद्दे को अपील का विषय माना।

यह न्यायालय

[2021] 13 एस।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एन. सी. एल. ए. टी. का मानना है कि परिसमापन के मुद्दे पर विचार करके एन. सी. एल. ए. टी. ने अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया। निगमित देनदार के खिलाफ शुरू की गई किसी भी तरल कार्यवाही के अभाव में, इस सी को इस मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या याचिकाकर्ता इस तरह के समझौते में अनुबंध को समाप्त करने का हकदार होगा। इस अपील का दायरा। [पैरा 171] [734-एफ-जी; 735-ए-सी]

भारत संघ बनाम आर. गांधी, अध्यक्ष, मद्रास बार

एसोसिएशन (2010) 11 एस. सी. सी. 1: [2010] (6) एस. सी. आर. 857; राय साहिब राम जवाया कपूर बनाम पंजाब राज्य (1955) 2 एस. सी. आर. 225; केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य

(1973) 4 एससीसी 225: [1973] (0) पूरक। एस. सी. आर. 1-अनुसरण किया गया।

सुदर्शन चिट्स (1) लिमिटेड बनाम ओ सुकुमारन पिलर (1984) 4 एस. सी. सी. 657 [1985] (1) एस. सी. आर. 511; थम्पनूर रवि बनाम चारुपारा रवि (1999) 8 एस. सी. सी. 74: [1999] (2) पूरक। एससीआर 419; धीरेंद्र चंद्र पाल बनाम एसोसिएटेड बैंक

त्रिपुरा लिमिटेड ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 212: [1955] एससीआर 1098;

डी. आर. कोहली बनाम अतुल प्रोडक्ट्स लिमिटेड (1985) 2 एससीसी 77: [1985] (2) एससीआर 832; पी मोहनराज बनाम शाह ब्रदर्स इस्पात प्राइवेट। लि. 2018 की सिविल अपील संख्या 10355 पर निर्णय लिया गया

मार्च 2021 पर भरोसा किया।

नगर निगम बनाम अभिलाष लाल (2020) 13 एससीसी

234 [2019] (14) एस. सी. आर. 659; दूतावास संपत्ति

विकास (निजी) लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य

(2020) 13 एससीसी 308: [2019] (17) एससीआर 559 -

प्रतिष्ठित।

जौहरी लाल सोनी बनाम भंवरी बाई (1977) 4 एससीसी 59:

[1978] (1) एस. सी. सी. 171; स्विस रिबन प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ (2019) 4 एस. सी. सी. 17: [2019] (3) एस. सी. आर. 535; अशोक मार्केटिंग बनाम पी. एन. बी. 1990 (4) एस. सी. सी. 406: [1990] (3) एस. सी. आर. 649; रेनुसागर पावर कंपनी लिमिटेड बनाम जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी (1984) 4 एस. सी. सी. 679: [1985] (1) एससीआर

432 ; मनसुखलाल धनराज जैन बनाम एकनाथ विठ्ठल ओगले

(1995) 2 एससीसी 665: [1995] (1) एससीआर 996; डॉयपैक सिस्टम (पी) लिमिटेड बनाम भारत संघ (1988) 2 एससीसी 299: [1988] (2) एस. सी. आर. 62; मद्रास पेट्रोकेमिकल सीमित।

बनाम बी. आई. एफ. आर. गुजरात उरजा विकास निगम लिमिटेड। वी. एम. आर. अमित गुप्ता और ओआरएस।

(2016) 4 एससीसी 1: [2016] (11) एस. सी. आर. 419; अभिनव

इंडस्ट्रीज बनाम आईसीआईसीआई बैंक (2018) 1 एससीसी 407 [2017]

(8) एस. सी. आर. 33; आर्सेलर मित्तल (इंडिया) (प्राइवेट) लिमिटेड। बनाम

सतीश कुमार गुप्ता (2019) 2 एससीसी 1: [2018] (12) एससीआर

362 ; एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के लेनदारों की समिति

बनाम सतीश कुमार गुप्ता (2020) 8 एससीसी 531: [2019] (16)

एस. सी. आर. 275; रेमदेव चौहान बनाम बानी कांत दास (2010)

14 एससीसी 209: [2010] (15) एस. सी. आर. 957; ए. देवेंद्रन बनाम

टी. एन. राज्य (1997) 11 एस. सी. सी. 720: [1997] (4) पूरक। एससीआर

591 ; चांडोस कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन लिमिटेड बनाम डेलॉयट

पुनर्गठन इंक. 2020 एस. सी. सी. 25; उत्तरी प्रतिभूति

कंपनी बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका 1904 एससीसी ऑनलाइन यूएस एससी

63 : 24 एस. सी. 436 एस. सुकुमार बनाम सचिव, संस्थान

भारत के सनदी लेखाकार (2018) 14 एस. सी. सी. 360

: [2018] (2) एस. सी. आर. 442-संदर्भित।

रिग्स नेशनल बैंक ऑफ वाशिंगटन, डी. सी. बनाम। जॉन गिलिस पेरी, जूनियर, रे जॉन गिलिस पेरी, जूनियर, डेटर, 729 में

अन्य बनाम बीएनवाई कॉर्पोरेट ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड और एक अन्य (राजस्व और सीमा शुल्क कर्मचारी और अन्य)

हस्तक्षेप) [2011] 3 डब्ल्यू. एल. आर. 521; फाइब्रिया सेलुलोज एस/ए

v पैन ओशन कंपनी लिमिटेड बनाम फाइब्रिया सेलुलोज एस/ए चांसरी

डिवीजन [2014] बस। एल. आर. 1041-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2019] (17) एससीआर 559

प्रतिष्ठित

पैरा

33

[2019] (3) एससीआर 535

संदर्भित किया गया है

पैरा

34

विक्षिप्त

[2019] (14) एससीआर 659

पैरा

36

[1990] (3) एससीआर 649

संदर्भित किया गया है

पैरा

40

[1985] (1) एससीआर 432

पैरा

48

संदर्भित किया गया है

[1995] (1) एससीआर 996

संदर्भित किया गया है

पैरा

49

[1988] (2) एससीआर 62

संदर्भित किया गया है

पैरा

50

[2016] (11) एससीआर 419

उस पर भरोसा करें

पैरा

56

[2017] (8) एससीआर 33

संदर्भित किया गया है

पैरा 56

[2021] 13 एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2018] (12) एससीआर 362

संदर्भित किया गया है

पैरा

56

[1985] (1) एससीआर 511

उस पर भरोसा करें

पैरा

58

[1999] (2) पूरक। एससीआर 419

संदर्भित किया गया है

पैरा

60

[1955] एससीआर 1098

उस पर भरोसा करें

पैरा

62

[2010] (6) एससीआर 857

पैरा

65

पीछा किया।

[2019] (16) एससीआर 275

संदर्भित किया गया है

पैरा

80

[2010] (15) एससीआर 957

संदर्भित किया गया है

पैरा

81

[1985] (2) एससीआर 832

उस पर भरोसा करें

पैरा

82

[1997] (4) पूरक। एससीआर 591

संदर्भित किया गया है

पैरा

83

[1978] (1) एससीआर-232

पैरा

84

संदर्भित किया गया है

संदर्भित किया गया है

2020 एससीसी 25

पैरा

119

(1955) 2 एससीआर 225

पैरा

136

पीछा किया।

[1973] (0) पूरक। एससीआर 1

पीछा किया।

पैरा

137

[2018] (2) एससीआर 442

संदर्भित किया गया है

पैरा

168

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 9241

2019 से।

राष्ट्रीय संविधान के 15.10.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2019 की कंपनी विधि अपील (ए. टी.) (दिवाला) संख्या 1045 में नई दिल्ली में विधि अपीलीय न्यायाधिकरण।

श्याम दीवान, रामजी श्रीनिवासन, सी. यू. सिंह, नकुल दीवान, वी.

गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री हेमंतिका वाही, सुश्री रंजीता रामचंद्रन, सुश्री जेसल वाही, विनायक भंडारी, शुभम आर्य, सुश्री सृष्टि खंडेरिया, रवि नायर, पृथ्वी गर्ग, शैलेंद्र सिंह, सिद्धार्थ मेहता, सुश्री.

हरिमोहन एन., सुश्री अथिरा शंकर, राघव तन्खा, रजत सहगल, सुश्री.

पूजा महाजन, सुश्री महिमा सिंह, एस. महाजन, सुश्री नीलू मोहन, सुश्री इला शील, रितेश कुमार, आशीष राणा, अविनाश बी. अमरनाथ, अशोक कुमार सिंह, सुश्री प्रज्ञा सिंह, शांतनु सिंह, विक्रम जैन,

अभिषेक पारुथी, एस. एस. श्रॉफ, अतुल शर्मा, अभिषेक शर्मा, सुश्री एशली चेरियन, सुश्री अनीशा महाजन, सुश्री हर्षिता अग्रवाल, गौतम तालुकदार, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

उर्जा विकास एन. आई. जी. ए. एम. लि. वी. एमआर। अमित गुप्ता और ओआरएस।

न्यायालय का निर्णय उनके द्वारा दिया गया था

आर. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

उनके निर्णय को विश्लेषण की सुविधा के लिए अनुभागों में विभाजित किया गया है।

ई:

याचिका

पीपीए की उत्पत्ति

सी. आई. आर. पी की शुरुआत

पी. पी. ए. की समाप्ति

एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष कार्यवाही

सफल समाधान आवेदक द्वारा कार्यवाही वकीलों की दलीलें

उत्तरदाताओं की ओर से जी2 प्रस्तुतियाँ विवाद से उत्पन्न होने वाले मुद्दे

संविदात्मक विवादों पर एन. सी. एल. टी./एन. सी. एल. ए. टी. का अधिकार क्षेत्र I. 1 धारा 60 (5) (ग): "और" के संबंध में उत्पन्न होने वाला

एन. सी. एल. टी. और जी. ई. आर. सी. का अधिकार क्षेत्र

1.2

धारा के तहत एन. सी. एल. टी. का अवशिष्ट क्षेत्राधिकार

आई. 3

60 (5) ((ग)

इप्सो फैक्टो खंडों की वैधता

अंतर्राष्ट्रीय और बहुपक्षीय संगठनों की स्थिति

जे. 1

राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार

जे. 2 जे. 3

भारत में स्थिति

वर्तमान मामले में पी. पी. ए. को समाप्त करने का अपीलार्थी का अधिकार

1 पी. पी. ए. का विश्लेषण

के. 2 पी. पी. ए. की समाप्ति की वैधता

के. 3 संवादात्मक उपचार परिसमापन के मुद्दे पर एनसीएलएटी का निर्णय

आई द्वारा बाधित बिजली के लिए भुगतान करने के लिए अपीलार्थी का दायित्व

कॉर्पोरेट देनदार

निष्कर्ष [2021] 13 एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ए अपील

1. 29 अगस्त 2019 के अपने निर्णय द्वारा, राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण 1 ने अपीलार्थी द्वारा अपनी शक्ति की समाप्ति पर रोक लगा दी। एस्टनफील्ड सोलर (गुजरात) प्राइवेट लिमिटेड 3 के साथ खरीद समझौता। एन. सी. एल. टी. का आदेश दिवाला और दिवालियापन संहिता, 20167 की धारा 60 (5) के तहत कॉर्पोरेट ऋणदाताओं और एक्विज़म बैंक के समाधान पेशेवरों द्वारा दायर आवेदनों में पारित किया गया था। 15 अक्टूबर 2019 को एन. सी. एल. ए. टी. ने आई. बी. सी. की धारा 61 के तहत अपीलार्थी की अपील को खारिज कर दिया। एन. सी. एल. ए. टी. के निर्णय पर सवाल उठाया जाता है।

2. अपीलार्थी ने 15 अक्टूबर 2019 के आदेश का उल्लंघन किया

एन. सी. एल. ए. टी., अन्य बातों के साथ-साथ, दो व्यापक आधारों पर है: पहला, कि एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. के पास अपीलार्थी और निगमित देनदार के बीच संविदात्मक विवाद पर निर्णय लेने के लिए आई. बी. सी. के तहत अधिकार क्षेत्र नहीं है;

और दूसरा, किसी भी स्थिति में, पी. पी. ए. की समाप्ति अनुच्छेद 9.2 के तहत वैध रूप से की गई थी। 1 ((ङ) और अनुच्छेद 9। 1 पी. पी. ए. से।

B पी. पी. ए. की उत्पत्ति

3. इस मामले की कहानी गुजरात सरकार द्वारा राज्य में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए 6 जनवरी 2009 को सौर ऊर्जा नीति, 2009 9 को अधिसूचित करने के साथ शुरू होती है। अपीलार्थी, गुजरात सरकार का एक उपक्रम, गुजरात विद्युत बोर्ड का उत्तराधिकारी है, और गुजरात में सभी राज्य विद्युत उपयोगिताओं की होल्डिंग कंपनी भी है। 4. 1 अगस्त 2009 को, गुजरात सरकार ने कॉर्पोरेट ऋणदाता को विकास और स्थापना के लिए 25 मेगावाट क्षमता आवंटित की।

गुजरात राज्य में सौर फोटोवोल्टिक आधारित बिजली परियोजना शुरू करना। निगमित ऋणदाता ने 10 मेगावाट क्षमता का एक 'सौर फोटोवोल्टिक ग्रिड इंटरएक्टिव पावर प्लांट' स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए अपीलकर्ता को संयंत्र से उत्पादित पूरी विद्युत ऊर्जा की बिक्री के लिए अपने विकल्प का उपयोग किया।

8 " अपीलार्थी "या" जीयूवीएनएल " 9 " नीति "

10 " संयंत्र "गुजरात उर्जा विकास निगम लिमिटेड। वी. एम. आर. अमित गुप्ता और ओआरएस।

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

5. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 (एच), 62 और 86 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुजरात विद्युत नियामक आयोग 1 2 12

सौर ऊर्जा की खरीद के लिए शुल्क आदेश का मसौदा प्रकाशित किया, आमंत्रित किया जनता के सदस्यों और हितधारकों की टिप्पणियाँ और सुझाव। किस कीमत पर बिजली खरीदी जा सकती है, इस पर राज्य आयोग द्वारा सार्वजनिक सुनवाई की गई।

6. सार्वजनिक सुनवाई और परामर्श की प्रक्रिया के बाद, राज्य आयोग द्वारा 29 जनवरी 2010 को एक शुल्क आदेश जारी किया गया था।

विद्युत अधिनियम की धारा 86 (1) (ए) के तहत बिजली उत्पादकों से अपीलार्थी द्वारा बिजली की खरीद। शुल्क का निर्धारण तत्कालीन प्रचलित पूंजी और वित्तपोषण लागतों और ऋण इक्विटी अनुपात के आधार पर किया जाता था। यह परिकल्पना की गई थी कि पी. पी. ए. 25 वर्षों के लिए होगा, जिसमें पहले 12-15 वर्षों में उच्च शुल्क और शेष वर्षों के लिए कम शुल्क होगा। शुल्क चालू सौर परियोजनाओं पर लागू होना था।

29 जनवरी 2010 से 28 जनवरी 2012 तक प्रथम प्रशुल्क आदेश की नियंत्रण अवधि के भीतर। 7. अपीलार्थी ने 28 मई 2013 को राज्य आयोग के समक्ष एक याचिका दायर की, जिसमें प्रथम प्रशुल्क आदेश के तहत निर्धारित पूंजीगत लागत और प्रशुल्क के पुनर्निर्धारण के लिए कार्यवाही शुरू

करने की मांग की गई। यह याचिका इस आधार पर दायर की गई थी कि बाद में बिजली उत्पादकों को प्रोत्साहन दिया गया

27 फरवरी 2010 को उनकी पूंजी की लागत को कम कर दिया गया था और इसके परिणामस्वरूप, प्रथम शुल्क आदेश के तहत निर्धारित शुल्क होना चाहिए

संशोधित किया गया। इस याचिका को राज्य आयोग ने 8 अगस्त 2013 को खारिज कर दिया था। 22 अगस्त 2014 को बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा आदेश के खिलाफ एक अपील खारिज कर दी गई थी। ए. पी. टी. ई. एल. के फैसले के खिलाफ अपील 1 5

28 नवंबर 2014 को नोटिस जारी किए जाने के साथ इस न्यायालय के समक्ष लंबित है। 8. अपीलार्थी और निगमित देनदार ने 30 अप्रैल 2010 को एक पी. पी. ए. में प्रवेश किया, जिसके अनुसार अपीलार्थी को खरीदारी करनी होती है।

कॉर्पोरेट देनदार द्वारा उत्पन्न सभी शक्ति। पी. पी. ए. में संशोधन किया गया

7 अगस्त 2010 और 13 अप्रैल को दो पूरक समझौतों द्वारा 2011 , संयंत्र की क्षमता में वृद्धि और इसके स्थान में बदलाव के कारण।

1 1 "विद्युत अधिनियम" 12 "राज्य आयोग" या "जी. ई. आर. सी". 13 "पहला प्रशुल्क आदेश"

14 66 " ए. पी. टी. ई. एल. 15 सिविल अपील सं. 2014 [2021] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

9. पी. पी. ए. के अनुच्छेद 9.1 में प्रावधान है कि यह 'वाणिज्यिक संचालन तिथि' से 25 वर्षों तक लागू रहेगा, जो अनुच्छेद 1 के अनुसार सौर फोटोवोल्टिक ग्रिड की तारीख है।

इंटरैक्टिव पावर प्लांट वाणिज्यिक संचालन (जी. ई. डी. ए. द्वारा प्रमाणित) के लिए उपलब्ध है और ऐसी तारीख जो [कॉर्पोरेट देनदार] द्वारा जी. यू. वी. एन. एल. को कम से कम दस दिन पहले दी गई लिखित सूचना में निर्दिष्ट की गई है।

10. पी. पी. ए. के अनुच्छेद 5.2 में निर्धारित किया गया है कि यदि कमीशनिंग की जाती है

संयंत्र के 31 दिसंबर 2011 से आगे विलंबित होने पर, अपीलकर्ता संयंत्र के चालू होने की तारीख से प्रभावी सौर परियोजनाओं के लिए राज्य आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क या खंड के तहत प्रदान किए गए शुल्क, जो भी कम हो, का भुगतान करेगा। अनुच्छेद 2 में प्रावधान है कि पहले 12 वर्षों के लिए प्रति इकाई 15 रुपये का भुगतान किया जाता है और 13 वें से 25 वें वर्ष तक प्रति इकाई 5 रुपये का भुगतान किया जाता है।

11. जबकि निगमित देनदार प्रक्रिया में था

संयंत्र को चालू करते हुए, राज्य आयोग ने बिजली अधिनियम की धारा 62 और 86 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गुजरात राज्य में वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा सौर ऊर्जा डेवलपर्स से बिजली की खरीद के लिए 27 जनवरी 2012 का टैरिफ आदेश जारी किया। शुल्क नियंत्रण के भीतर चालू सौर परियोजनाओं पर लागू होना था।

शुल्क आदेश की अवधि, अर्थात 29 जनवरी 2012 से 31 मार्च 2015 तक।

12. वित्तपोषण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करके और वित्तीय लाभ प्राप्त करके

पीपीए के संदर्भ में दूसरे प्रतिवादी और बिजली वित्त निगम के साथ बंद, और इसमें परिभाषित संयंत्र की स्थापना की, कॉर्पोरेट देनदार ने 11 दिसंबर 2012 को 1.296MW और 10.212 मेगावाट को चालू किया।

20 दिसंबर 2012 को। तदनुसार, पी. पी. ए. दिसंबर 2037 तक लागू रहना था।

13. चूंकि इसे दूसरे शुल्क आदेश की लागू अवधि के भीतर चालू किया गया था, इसलिए लागू शुल्क पहले के लिए 9.98 रुपये प्रति इकाई था।

12 अगले 13 वर्षों के लिए 7 रुपये प्रति यूनिट।

सी. आई. आर. पी. की शुरुआत

14. पी. पी. ए. के संचालन के प्रारंभिक वर्ष अपेक्षाकृत शांत प्रतीत होते हैं। पहला बड़ा मुद्दा जुलाई से दिसंबर 2015 के बीच उठा। इस अवधि के दौरान गुजरात राज्य में भारी बारिश और बाढ़ आई थी, जिसके कारण संयंत्र को दो महीने के लिए बंद कर दिया गया था। बाढ़ के कारण संयंत्र बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था और बिजली उत्पादन को अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। दिसंबर 2015 तक,

16 " दूसरा शुल्क आदेश "गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। वी. एम. आर. अमित गुप्ता और ओआरएस।

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

बिजली उत्पादन में सामान्य स्थिति बहाल हो गई और संयंत्र अपनी कुल उत्पादन क्षमता के 70 प्रतिशत पर बिजली पैदा कर रहा था।

15. जून और जुलाई 2017 के दौरान, भारी वर्षा के कारण गुजरात फिर से बाढ़ से प्रभावित हुआ। बाढ़ के कारण संयंत्र बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। नतीजतन, यह केवल अपनी मूल क्षमता के 10-15% पर काम करने में सक्षम था।

16. व्यवधानों और नुकसान के कारण वित्तीय तनाव के कारण, जिसके लिए बीमा दावे लंबित रहे, कॉर्पोरेट देनदार वित्तपोषण दलों (दूसरे प्रतिवादी और बिजली वित्त निगम) को अपने ऋण को पूरी तरह से चुकाने में असमर्थ था, जिन्होंने कॉर्पोरेट देनदार को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति ("एन. पी. ए".) घोषित करने का प्रस्ताव रखा।

17. 15 फरवरी 2018 को, के अनुच्छेद 8.1 के अनुसार

इस संबंध में। निगमित देनदार ने अपीलार्थी से अनुरोध किया कि वह पत्र को पी. पी. ए. के तहत निगमित देनदार के दायित्वों के निष्पादन में विफलता के कारण के बारे में एक औपचारिक संचार के रूप में माने और यह पुष्टि करे कि इस घटना को अनुच्छेद 8.1 के अनुसार 'आकस्मिक घटना' के रूप में माना जा सकता है। 18. 4 मई 2018 को, दूसरे प्रतिवादी ने कॉर्पोरेट ऋणदाता को एन. पी. ए. घोषित किया। 20 नवंबर 2018 को एन. सी. एल. टी. ने स्वीकार किया कि

आई. बी. सी. की धारा 10 के तहत निगमित देनदार द्वारा दायर याचिका 1 7।

एन. सी. एल. टी. ने निगमित ऋणदाता के संबंध में निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया 18 1 8 शुरू की, स्थगन का आदेश जारी किया और पहले प्रतिवादी को अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में नियुक्त किया गया।

19. दूसरा प्रत्यर्थी और बिजली वित्त निगम

लिमिटेड ने 20 नवंबर 2018 के आदेश को चुनौती देते हुए एक अपील दायर की। 4 दिसंबर 2018 को एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा अपील को खारिज कर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि आई. बी. सी. की धारा 10 के तहत सी. आई. आर. पी. की शुरुआत पर मतदान करने के लिए कॉर्पोरेट देनदार के शेयरधारकों के अधिकार को कॉर्पोरेट देनदार, दूसरे प्रतिवादी और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच 28 मार्च 2013 को किए गए प्रतिभूतियों की प्रतिज्ञा विलेख द्वारा कम नहीं किया गया था। 1 फरवरी 2019 को एन. सी. एल. टी. द्वारा आर. पी. के रूप में पहले प्रतिवादी की पुष्टि की गई थी।

17 सी. आई. आर. पी. याचिका, सी. पी. (आई. बी.) संख्या 940 (एन. डी.)/2018 18 "सी. आई. आर. पी".

19 " आई. आर. पी. 20 कंपनी अपील (दिवाला) संख्या 2018 की 754 [2021] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

डी. पी. पी. ए. की समाप्ति

20. अपीलार्थी ने निगमित को चूक के दो नोटिस जारी किए

या 1 मई 2019 को, जो पहले उत्तरदाता द्वारा प्राप्त किए गए थे

2019:

((i)

पहली सूचना का आधार अनुच्छेद 9.2 के तहत है। 1 (ई)

पी. पी. ए. के अनुसार, आई. बी. सी. के तहत सी. आई. आर. पी. से गुजरने वाला निगमित देनदार एक 'चूक की घटना' के बराबर है। अपीलार्थी ने निगमित ऋणदाता से उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर इस चूक का निवारण करने का आह्वान किया, जिसमें विफल रहने पर अपीलार्थी ने कहा कि वह

समाप्ति सूचना जारी करके पी. पी. ए.; और

((ख)

दूसरी सूचना का आधार अनुच्छेद 9.2 के तहत है। 1 (अ)

पी. पी. ए. के संचालन में एक चूक थी और

संयंत्र का रखरखाव। एक बार फिर, अपीलार्थी ने निगमित ऋणदाता से नोटिस की प्राप्ति के 90 दिनों के भीतर ओ एंड एम चूक का समाधान करने का आह्वान किया, जिसमें विफल रहने पर अपीलार्थी ने कहा कि वह पी. पी. ए. जारी करके उसे समाप्त कर देगा।

समाप्ति सूचना।

21. प्रथम प्रतिवादी ने 2019 में दोनों नोटिसों के लिए अपना जवाब जारी किया। जवाबों का सारांश नीचे दिया गया है:

प्रथम सूचना के उत्तर में कहा गया है कि निगमित

((i)

अपीलार्थी के साथ देनदार का पी. पी. ए. इसका एकमात्र पी. पी. ए. है, और इसलिए वे आई. बी. सी. के तहत समाधान तक पहुंचने के लिए इस पर बहुत अधिक निर्भर हैं। यदि अपीलार्थी पी. पी. ए. को समाप्त करता है, तो संभावित समाधान आवेदक जिन्होंने अपना आवेदन प्रस्तुत किया था कॉर्पोरेट देनदार के लिए रुचि की अभिव्यक्ति एक समाधान योजना प्रस्तुत नहीं कर सकती है, जो अंततः मुख्य उद्देश्य को विफल करते हुए कॉर्पोरेट देनदार के परिसमापन की ओर ले जाएगी।

आई. बी. सी. का; और

((ख)

दूसरी सूचना के जवाब में कहा गया है कि चूंकि कॉर्पोरेट देनदार आई. बी. सी. के तहत सी. आई. आर. पी. से गुजर रहा है, पी. पी. ए. के संदर्भ में बलपूर्वक आकस्मिक घटनाओं के कारण संयंत्र में संचालन गंभीर रूप से प्रभावित हुआ था। अतः पी. पी. ए. की शर्तों का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है।

इस तरह "

गुजरात उर्जा विकास निगम लिमिटेड। वी. एम. आर. अमित गुप्ता और ओआरएस।

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

22. 21 मई 2019 को, प्रथम प्रतिवादी और अपीलार्थी के महाप्रबंधक (आई. पी. पी.) के बीच एक बैठक निर्धारित की गई थी। इस बैठक के दौरान, पहले प्रतिवादी ने इस बात पर जोर दिया कि यदि पी. पी. ए. को समाप्त किया जाना है, तो कॉर्पोरेट ऋणदाता का पुनरुद्धार दांव पर होगा, क्योंकि संभावित समाधान आवेदक समाधान योजना प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं या पी. पी. ए. की समाप्ति का हवाला देते हुए समाधान योजना को वापस ले सकते हैं। इस स्थिति को स्वीकार करने से इनकार करते हुए, अपीलार्थी ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनके द्वारा प्राप्त कानूनी राय के अनुसार, वे अनुच्छेद 9.2 के तहत पी. पी. ए. को समाप्त कर देंगे। 1 (ई) और 9.3। 1 पहली सूचना के तहत, क्योंकि कॉर्पोरेट देनदार सी. आई. आर. पी. के तहत है। हालाँकि, अपीलार्थी ने पुष्टि की कि ओ एंड एम चूक ठीक हो गई है, और इसलिए यह दूसरी सूचना पर कार्रवाई नहीं करेगा। इस स्तर पर यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि अपीलार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष या एन. सी. एल. ए. टी./एन. सी. एल. टी. के समक्ष ओ. एंड एम. चूक के मुद्दे पर जोर नहीं दिया है।

एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष ई. कार्यवाही

23. मई 2019 में, पहले और दूसरे उत्तरदाताओं ने नोटिसों के संबंध में एन. सी. एल. टी. के समक्ष आई. बी. सी. की धारा 60 (5) के तहत आवेदन दायर किए

अपीलार्थी द्वारा निगमित देनदार को जारी किया गया, और अपीलार्थी को पी. पी. ए. को समाप्त करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा की मांग की गई। एक अंतरिम आदेश द्वारा दिनांक 31 मई 2019 को, एन. सी. एल. टी. ने अपीलार्थी को सुनवाई की अगली तारीख तक पी. पी. ए. को समाप्त करने से रोक दिया।

24. जब अंतरिम आदेश लागू था, अपीलार्थी ने 7 जून 2019 को पहले प्रतिवादी को लिखा, जिसमें कहा गया था कि चूक को ठीक करने के लिए नोटिस की अवधि समाप्त हो गई थी। अपीलार्थी ने दावा

किया कि निगमित ऋणदाता चूक को ठीक करने में विफल रहा है, जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी अनुच्छेद 9.3 के तहत अंतिम समाप्ति सूचना जारी करने का हकदार था। 1 पी. पी. ए.। हालाँकि, चूंकि एन. सी. एल. टी. ने एक अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी सुनवाई की अगली तारीख (12 जून 2019) तक निगमित देनदार को अपीलार्थी ने कहा कि वह मामले में अंतिम समाप्ति नोटिस जारी नहीं कर रहा है।

उपस्थित हैं।

25. 29 अगस्त 2019 को, एन. सी. एल. टी. ने अपना अंतिम आदेश जारी किया जिसके माध्यम से उसने पहले और दूसरे उत्तरदाताओं द्वारा दायर आवेदनों की अनुमति दी, जिससे अपीलार्थी को पी. पी. ए. को समाप्त करने और पहले नोटिस को अलग करने से रोक दिया गया। एन. सी. एल. टी. का तर्क निम्नलिखित पर आधारित है:

पी. पी. ए. के खंडों को उच्चतर पर नहीं रखा जा सकता है।

((i)

सी. आई. आर. पी. को पूरा करने के लिए एक समय सीमा तैयार करने के संदर्भ में आई. बी. सी. के प्रावधानों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है।

यह कि सी. आई. आर. पी. ने चूक के नोटिस की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर निष्कर्ष नहीं निकाला है, इसे चूक की घटना के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि आई. बी. सी. के तहत सी. आई. आर. पी. के लिए समय सीमा 330 दिन है; और

((ख)

पी. पी. ए. अनुभाग के अर्थ में एक 'साधन' है। 238 आई. बी. सी. पी. पी. ए. के खंड आई. बी. सी. के प्रावधानों के साथ असंगत हैं, और ओवरराइड किए गए हैं।

हालाँकि, अपने आदेश के पैराग्राफ 35 में, एन. सी. एल. टी. ने कहा कि अपीलकर्ता पी. पी. ए. को समाप्त कर सकता है, यदि परिसमापन किया जाता है।

निगमित देनदार के खिलाफ कार्यवाही शुरू की जाती है। अनुच्छेद 35

इस प्रकार पढ़ता है:

" 35. हालाँकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी कारण से,

निगमित देनदार परिसमापन में चला जाता है, प्रतिवादी कंपनी बिजली खरीद समझौते को समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगी।

26. एन. सी. एल. ए. टी. ने 15 अक्टूबर 2019 के अपने फैसले में एन. सी. एल. टी. के आदेश के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया। एन. सी. एल. ए. टी. ने नोट किया कि अपीलार्थी ने पी. पी. ए. को केवल इस आधार पर समाप्त करने का प्रयास किया कि सी. आई. आर. पी. कॉर्पोरेट देनदार के लिए शुरू किया गया है। इसने पाया कि सी. आई. आर. पी. के दौरान, पहले प्रतिवादी को निगमित ऋणदाता को एक 'चालू चिंता' के रूप में बनाए रखना होता है और इसके एकमात्र पी. पी. ए. की समाप्ति, जिसके तहत वह केवल अपीलार्थी को बिजली की आपूर्ति करता है, निगमित ऋणदाता को निष्क्रिय कर देगा। इसलिए, एन. सी. एल. ए. टी. ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी केवल निगमित ऋणदाता के सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के आधार पर पी. पी. ए. को समाप्त नहीं कर सकता है, जो सी. आई. आर. पी. की अवधि के दौरान अपीलार्थी को बिजली की आपूर्ति कर रहा था। इसके अलावा, इसने अपीलार्थी को 29 अगस्त 2019 के आदेश के पैराग्राफ 35 में एन. सी. एल. टी. द्वारा किए गए अनुपालनों को दरकिनार करके, उस स्थिति में भी पी. पी. ए. को समाप्त करने से रोक दिया, जब कॉर्पोरेट ऋणदाता परिसमापन से गुजरा हो।

27. इसके बाद एन. सी. एल. ए. टी. ने अपीलार्थी को बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया

सी. आई. आर. पी. अवधि के दौरान निगमित ऋणदाता द्वारा आपूर्ति की गई बिजली के लिए। 12 जून 2020 को, अपीलकर्ता, एक अंतरिम उपाय के रूप में, लेकिन अपने अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, कॉर्पोरेट देनदार को 50 लाख रुपये का एक तदर्थ भुगतान जारी करने के लिए सहमत हुआ। हालाँकि, अपीलार्थी ने पहले प्रत्यर्थी को सूचित किया कि निगमित ऋणदाता को यह भुगतान सशर्त है, और निगमित ऋणदाता को स्टांप पेपर पर एक वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें कहा गया है कि

कि अपीलार्थी द्वारा जारी की गई राशि उन्हें ब्याज के साथ वापस कर दी जाएगी, यदि यह न्यायालय वर्तमान अपील की अनुमति देता है।

प्रथम उत्तरदाता गुजरात उर्जा विकास निगम लिमिटेड। वी. एम. आर. अमित गुप्ता और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

18 जून 2020 को माँगा गया वचन पत्र प्रस्तुत किया, जिसके बाद अपीलार्थी ने 1 जुलाई 2020 को निगमित देनदार को 50 लाख रुपये का तदर्थ भुगतान जारी किया। तब से, अपीलकर्ता ने कॉरपोरेट देनदार को एक करोड़ 07 लाख रुपये की और राशि का भुगतान किया है, जबकि इसी तरह का एक लिखित भुगतान किया गया है।

प्रथम उत्तरदाता द्वारा दिनांक 27 जनवरी 2021 को दिया गया वचन।

एफ सफल समाधान आवेदक द्वारा कार्यवाही

28. इन सुनवाई के दौरान, अदालत को मैसर्स कुंदन केयर प्रोडक्ट्स लिमिटेड 22 द्वारा उत्तरदाताओं के खिलाफ शुरू की गई समानांतर कार्यवाही के बारे में सूचित किया गया है, जिसकी कॉर्पोरेट देनदार के संबंध में समाधान योजना को ऋणदाताओं की समिति के मतदान शेयरों के 99.28% द्वारा अनुमोदित किया गया था।

29. आई. बी. सी. की धारा 31 के तहत एक आवेदन 4 पहले प्रतिवादी द्वारा 15 नवंबर 2019 को एन. सी. एल. टी. के समक्ष अनुमोदन के लिए दायर किया गया था।

सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित समाधान योजना। यह आवेदन वर्तमान में है इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा दायर वर्तमान अपील के कारण एन. सी. एल. टी. के समक्ष निर्णय लंबित है।

30. हालाँकि, 20 दिसंबर 2019 को, सफल समाधान आवेदक ने एन. सी. एल. टी. के समक्ष आई. बी. सी. की धारा 60 (5) के तहत एक आवेदन 25 दायर किया, जिसमें कॉर्पोरेट देनदार के लिए प्रस्तुत अपनी समाधान योजना को वापस लेने की मांग की गई। इसके अलावा, 16 जनवरी 2020 को, सफल समाधान आवेदक ने वर्तमान अपील में इस न्यायालय के समक्ष एक अंतर्वर्ती आवेदन 26 दायर किया, जिसमें इस न्यायालय से कुछ राहत मांगी गई या वैकल्पिक रूप से, उन्हें 12 नवंबर 2019 की अपनी समाधान योजना को वापस लेने की अनुमति देने के लिए इस न्यायालय की अनुमति मांगी गई। इस न्यायालय ने सफल समाधान आवेदक को 20 जुलाई 2020 को वर्तमान अपील में दायर अंतर्वर्ती आवेदन को वापस लेने की अनुमति दी।

31. एन. सी. एल. टी. ने 3 जुलाई 2020 के एक आदेश द्वारा सफल समाधान आवेदक द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया, जिससे उन्हें समाधान योजना को वापस लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया। इसके बाद, एन. सी. एल. ए. टी. ने 30 सितंबर 2020 के एक फैसले द्वारा, एन. सी. एल. टी. के 3 जुलाई 2020 के आदेश के खिलाफ सफल समाधान आवेदक द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया।

22 " सफल समाधान आवेदक "23 66" सीओसी " 24 2019 का सी. ए. सं. 1526

25 2019 का सी. ए. 1679

26 2020 का आई. ए. सं. 9682 [2021] 13 एस. सी. आर.

32. सफल समाधान आवेदक ने तब से एक अपील दायर की है

इस न्यायालय के समक्ष 30 सितंबर 2020 के एन. सी. एल. ए. टी. के फैसले को चुनौती दी गई। 16 नवंबर 2020 के एक आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने 30 सितंबर 2020 के एन. सी. एल. ए. टी. के फैसले के खिलाफ रोक लगा दी।

जी वकीलों की प्रस्तुतियाँ

अपीलार्थी की ओर से जी1 प्रस्तुतियाँ

33. अपीलार्थी का मामला शुरू में प्रस्तुत किया गया है

विद्वान वकील सुश्री रंजीता रामचंद्रन द्वारा की गई दलीलों को स्पष्ट और सावधानीपूर्वक तर्कपूर्ण करें। श्री श्याम दीवान, विद्वान वरिष्ठ

वकील ने तब अपनी दलीलों का आग्रह किया है। आई. बी. सी. की धारा 60 (5) के तहत एन. सी. एल. टी./एन. सी. एल. ए. टी. के अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियों का आग्रह किया गया था:

धारा 60 (5) की व्याख्या धारा के संदर्भ में की जानी चाहिए।

(1)

25 (2) (बी) आई. बी. सी. का, जो प्रावधान करता है कि आर. पी. को "न्यायिक, अर्ध न्यायिक या मध्यस्थता कार्यवाही में निगमित देनदार के लाभ के लिए अधिकारों का प्रयोग करना है।" इसलिए,

यदि एन. सी. एल. टी. को विशेष अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया है

निगमित ऋणदाता के संबंध में, यह खंड होगा -

अनावश्यक बना दिया। दूतावास की संपत्ति में यह न्यायालय विकास (निजी) लिमिटेड बनाम राज्य

कर्नाटक 28 ने माना है कि आरपी को दरकिनार नहीं किया जा सकता है।

अन्य प्राधिकरणों का अधिकार क्षेत्र और निगमित देनदार के अधिकारों को लागू करने के लिए एन. सी. एल. टी. से संपर्क करें। यद्यपि यह निर्णय एक सांविधिक प्राधिकारी द्वारा खनन पट्टा के नवीकरण के संदर्भ में था, धारा 60 (5) की व्याख्या विशेष रूप से धारा 18 (अंतरिम समाधान के कर्तव्यों) की पृष्ठभूमि में सांविधिक प्राधिकरणों तक सीमित नहीं होगी।

पेशेवर) और 25 (2) (बी)। वर्तमान मामले में, पी. पी. ए. के अनुच्छेद 10.4 ने राज्य आयोग को अधिकार क्षेत्र प्रदान किया है।

विद्युत अधिनियम के तहत नियामक प्राधिकरण, मनोरंजन करने के लिए

पी. पी. ए. से संबंधित विवाद। अनुच्छेद 10.4 में कहा गया है:

" यदि पार्टियों के बीच इस तरह के मतभेद या विवाद आपसी बातचीत के माध्यम से नहीं सुलझे जाते हैं

साठ (60) दिनों के भीतर, इस तरह के विवाद के उत्पन्न होने के बाद,

27 सिविल अपील संख्या 2020 की 3560 28 (2020) 13 एस. सी. सी. 308; इसके बाद इसे "दूतावास संपत्ति" उर्जा विकास निगम लिमिटेड के रूप में संदर्भित किया गया है।

वी. एम. आर. अमित गुप्ता और ओआरएस।

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

आयोग द्वारा तदनुसार निर्णय लिया जाएगा।

कानून के साथ "।

विद्युत अधिनियम की धारा 86 (1) (च) में प्रावधान है कि राज्य आयोग " लाइसेंसधारियों और उत्पादन करने वाली कंपनियों के बीच विवाद और किसी भी विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करना। इसलिए, पी. पी. ए. के संबंध में कोई भी मुद्दा राज्य के समक्ष उठाया जाना चाहिए।

आयोग, और एन. सी. एल. टी. नहीं। इसके अलावा, दूसरा

प्रतिवादी के पास एन. सी. एल. टी. के समक्ष याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है।

पी. पी. ए. के संबंध में;

एन. सी. एल. टी. अपीलार्थी को अभ्यास करने से नहीं रोक सकता है।

बिजली के साथ पठित पी. पी. ए. के तहत इसके संविदात्मक अधिकार

अधिनियम;

यदि धारा 60 (5) को संविदात्मक विवादों को शामिल करने के लिए एक व्यापक व्याख्या दी जाती है, तो यह सुव्यवस्थित और आई. बी. सी. के तहत समयबद्ध प्रक्रिया। हालांकि एन. सी. एल. टी.,

अपनी सीमाओं के प्रति सचेत होने के कारण, आगे नहीं बढ़े हैं

आई. बी. सी. के तहत बिना किसी आधार के अपीलार्थी; भले ही यह माना जाए कि विवादों पर एन. सी. एल. टी. का अधिकार क्षेत्र है।

पी. पी. ए. के संबंध में, ऐसे विवादों का निर्णय पी. पी. ए. के अनुसार होना चाहिए। अनुबंधों की पवित्रता

ऐसे अनुबंधों में हस्तक्षेप करना। कोई व्यायाम नहीं हो सकता है एन. सी. एल. टी. द्वारा अलग रखने के लिए कोई अंतर्निहित या अवशिष्ट शक्ति

सांविधिक हस्तक्षेप के अभाव में किसी अनुबंध की समाप्ति।

समाधान योजना के माध्यम से पी. पी. ए. को संशोधित करें। अनुबंध का गठन, नवीनीकरण या परिवर्तन उसी के अनुसार होना चाहिए। आई. बी. सी. की धारा 30 (2) (ई) के साथ, जिसमें यह प्रावधान है कि समाधान योजना कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं कर सकती है।

जो लागू है। भारतीय अनुबंध के प्रावधान

अधिनियम, 1872 ("अनुबंध अधिनियम") में इस तरह के संशोधन के लिए पक्षों के आपसी समझौते की आवश्यकता होती है; [2021] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उत्तरदाताओं की प्रस्तुति कि 'संपत्ति' के तहत

(vi)

आई. बी. सी. की धारा 3 (27) में एक कार्रवाई योग्य दावा शामिल है और इसलिए विवाद एन. सी. एल. टी. के अधिकार क्षेत्र में आता है।

दूतावास में फैसले को देखते हुए गलत है संपत्ति (ऊपर);

(vii) उत्तरदाताओं का तर्क है कि एक प्रत्यक्ष है

अपीलार्थी द्वारा पी. पी. ए. की समाप्ति और दिवाला समाधान प्रक्रिया के बीच संबंध को खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि वर्तमान मामले में मुद्दा दिवाला समाधान प्रक्रिया की व्याख्या का नहीं है, बल्कि पी. पी. ए. का है, और केवल राज्य आयोग के पास अधिकार क्षेत्र है।

पी. पी. ए. की व्याख्या करना; और

(viii) उत्तरदाताओं ने अन्य के तहत निर्णयों पर भरोसा किया है।

कंपनी अधिनियम, 19562 9, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 3 0 और प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 3 1 जैसे कानून

धारा 60 (5) के अनुरूप प्रावधान। हालाँकि, इन कानूनों में आई. बी. सी. की धारा 18 और 25 (2) (बी) के समतुल्य कोई प्रावधान नहीं हैं। एन. सी. एल. टी. की अधिकारिता निर्धारित करने के उद्देश्य से इन प्रावधानों और धारा 60 (5) के बीच परस्पर क्रिया पर विचार किया जाना चाहिए। इसके अलावा, इन निर्णयों के तथ्य भी इससे अलग हैं - वर्तमान मामला।

34. हालाँकि, यह मानते हुए लेकिन स्वीकार नहीं करते हुए कि एन. सी. एल. टी. कर सकता है

विवाद पर अधिकार क्षेत्र होने पर, अपीलकर्ताओं का तर्क है कि अपीलार्थी द्वारा संविदात्मक अधिकारों के प्रयोग पर आई. बी. सी. के तहत कोई प्रतिबंध नहीं है, जिसमें यह समाप्ति शामिल नहीं है:

((i)

धारा 14 के तहत निर्धारित अधिस्थगन को छोड़कर

आई. बी. सी., आई. बी. सी. की योजना में संविदात्मक व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप करने के लिए कोई अन्य रोक नहीं है जो कॉर्पोरेट देनदार ने किसी तीसरे पक्ष के साथ की है। वर्तमान मामले में,

एन. सी. एल. टी./एन. सी. एल. ए. टी. ने यह नहीं माना कि पी. पी. ए. की समाप्ति आई. बी. सी. की धारा 14 (1) और (2) के तहत निषिद्ध थी। धारा 14 (2) और (2ए) निगमित ऋणदाता को आवश्यक/महत्वपूर्ण वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित है, और नहीं

29 " सी. ए. 1956 '30' बी. आर. ए. '31' पी. आई. ए. 'उर्जा विकास निगम लिमिटेड।

वी. एम. आर. अमित गुप्ता और ओआरएस।

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

कॉरपोरेट देनदार से किसी भी वस्तु और सेवा को खरीदने के लिए तीसरे पक्ष को आदेश दें। धारा 14 (2) में आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की निरंतर आपूर्ति का प्रावधान है।

कॉर्पोरेट देनदार। हालांकि, अन्य समझौतों को समाप्त करने पर कोई रोक नहीं है। धारा 14 (2ए) को अपीलार्थी द्वारा डिफ़ॉल्ट नोटिस जारी किए जाने के बाद पेश किया गया था और किसी भी स्थिति में, यह पी. पी. ए. की समाप्ति को प्रतिबंधित नहीं करता है।

संसद ने कई संशोधनों के बावजूद इस आशय का कोई प्रावधान शामिल नहीं करने का फैसला किया है

आईबीसी के लिए;

आई. बी. सी. की धारा 14 (1) के स्पष्टीकरण, जिसे दिसंबर 2019 में एक संशोधन द्वारा पेश किया गया था, में सरकारी प्राधिकरण द्वारा दिए गए लाइसेंस या अनुमोदन शामिल हैं।

हालांकि, पी. पी. ए. जैसे अनुबंधों के लिए कोई संदर्भ नहीं दिया गया है।

प्रतिवादी बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 198532 की धारा 22 (3) के तहत शासन को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसने बोर्ड को उन सभी या किसी भी अनुबंध के संचालन को निलंबित करने का अधिकार दिया है, जिसमें बीमार औद्योगिक कंपनी एक पक्ष थी। स्विस में

जिसके माध्यम से छोड़ा गया है उसका परिचय नहीं दे सकता है व्याख्या, सादृश्य या निहितार्थ;

पी. पी. ए. की समाप्ति को आई. बी. सी. के उद्देश्य के आधार पर अलग नहीं किया जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आई. बी. सी. के तहत एक विशिष्ट प्रावधान के अभाव में कॉर्पोरेट ऋणदाता एक 'चालू चिंता' बना रहे। आई. बी. सी. के उद्देश्य का अर्थ यह नहीं समझा जा सकता है कि आई. बी. सी. की धारा 14 के तहत विचार की गई सीमा को छोड़कर पक्षों के निहित अधिकारों में हस्तक्षेप किया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है। जबकि

सी 17; इसके बाद "स्विस रिबन [2021] 13 एस. सी. आर. के रूप में संदर्भित।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए विशिष्ट प्रावधान हैं

अनुच्छेद जैसे इप्सो फैक्टो खंडों का गैर-प्रवर्तन 9.2. 1 (ङ) पी. पी. ए. के तहत आई. बी. सी. के तहत ऐसा कोई प्रावधान मौजूद नहीं है। इसलिए, इस तरह के प्रतिबंध को कानून में नहीं पढ़ा जा सकता है

आई. बी. सी. के उद्देश्य या आर. पी. के कर्तव्यों का संदर्भ। पक्षकार संविदात्मक अधिकार को छीन नहीं सकते क्योंकि यह "सार्वजनिक हित" की संकीर्ण समझ के माध्यम से उनके लिए उपयुक्त नहीं है। सार्वजनिक हित अनुबंधों की पवित्रता को बनाए रखने और संविदात्मक सौदेबाजी को पूरा करने में निहित है।

आर. पी. का कर्तव्य कॉर्पोरेट ऋणदाता को एक चालू चिंता के रूप में संरक्षित करना और समाधान योजना की परिभाषा नहीं है।

कॉर्पोरेट देनदार के पक्ष में कार्य करने के लिए तीसरे पक्ष को बाध्य करें। एन. सी. एल. ए. टी. ने जोर देकर कहा है कि यदि पी. पी. ए. को समाप्त कर दिया जाता है तो निगमित देनदार निष्क्रिय हो जाएगा क्योंकि यह विशेष रूप से अपीलार्थी को बिजली की आपूर्ति करता है। हालांकि, कंपनी ने

देनदार ने केवल अपीलार्थी को बिजली की आपूर्ति करने का फैसला किया। निगमित देनदार को धारा 7 के तहत अधिकार दिया गया था और 10 किसी भी लाइसेंसधारी या उपभोक्ता को बिजली बेचने के लिए विद्युत अधिनियम। बिजली उत्पादक कंपनी बता सकती है

धारा 2 (4), 38 (2) (डी), 39 (2) (डी), 40 (सी) के तहत पारेषण नेटवर्क का उपयोग करके देश के किसी भी हिस्से में बिजली और 42 (2) विद्युत अधिनियम। इसलिए, कॉर्पोरेट देनदार पी. पी. ए. की समाप्ति के बाद किसी भी अन्य लाइसेंसधारी या उपभोक्ता को बिजली की आपूर्ति करने के लिए स्वतंत्र है। अंतर केवल इतना होगा कि समाधान आवेदक को आपूर्ति करनी होगी।

कम लागत पर बिजली;

दूसरे प्रत्यर्थी और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को पता था कि अपीलकर्ता को समाप्त कर सकता है

अनुच्छेद 9.2 के तहत पी. पी. ए.। 1 (ई)। पी. पी. ए. के अनुच्छेद 12.9 के तहत वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत, कॉर्पोरेट ऋणदाता द्वारा किए गए चूक की स्थिति में, उन्हें पी. पी. ए. के तहत किसी तीसरे पक्ष को अधिकार और दायित्व सौंपने का अधिकार निहित है। इसलिए, दूसरा प्रतिवादी 20 नवंबर 2018 को सी. आई. आर. पी. की शुरुआत से पहले अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता था। इसके बजाय, उसने घोषणा की कि एन. पी. ए. के रूप में निगमित देनदार का खाता। फिर, जब कॉर्पोरेट देनदार ने उर्जा विकास निगम लिमिटेड के तहत सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के लिए आवेदन किया।

वी. एम. आर. अमित गुप्ता और ओआरएस।

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

अनुच्छेद 12.9 के तहत; पहला प्रतिवादी पी. पी. ए. की समाप्ति को रोकने के लिए समाधान योजना पर भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि समाधान योजना या प्रक्रिया अनुबंध की शर्तों को संशोधित नहीं करती है।

तृतीय पक्षों के साथ निगमित देनदार। प्रत्येक पक्ष ने ज्ञान के साथ अनुबंध में प्रवेश करने के लिए एक परिकलित जोखिम लिया

पी. पी. ए. आई. बी. सी. की धारा 238 के तहत एक साधन नहीं है, क्योंकि इस धारा में इस्तेमाल किया गया वाक्यांश-"ऐसे किसी कानून के आधार पर प्रभाव रखने वाला उपकरण"-शामिल नहीं है। एक निगमित देनदार और एक तीसरे पक्ष के बीच वाणिज्यिक द्विपक्षीय समझौते उनके बीच किए गए निष्पादन

अनुबंध की शर्तों को निर्धारित करते हैं। यह केवल एक सांविधिक अनुबंध या उसके द्वारा किए गए साधन पर लागू होता है।

आई. बी. सी. के साथ असंगत कानून का संचालन;

पी. पी. ए. का कोई भी प्रावधान आई. बी. सी. के अनुरूप नहीं है। अनुच्छेद 9.3। 1 जो निगमित ऋणदाता के लिए चूक को सुधारने के लिए 30 दिनों की अवधि निर्दिष्ट करता है, और अपीलार्थी को ऐसा करने में विफलता के मामले में अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार देता है, धारा 12 में प्रदान की गई समय सीमा के साथ असंगत नहीं है। दिवाला समाधान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आई. बी. सी. अनुच्छेद 9.3। 1 निगमित देनदार को यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करता है कि उसके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही निगमित देनदार के एक अधिनियम द्वारा 30 दिनों के भीतर समाप्त हो जाए और आई. बी. सी. के तहत की गई समाधान प्रक्रिया को नियंत्रित न करे;

अनुच्छेद के अनुसार पीपीए को समाप्त करने का अधिकार

9.3. 1 अपीलार्थी को उपार्जित किया गया है, क्योंकि अनुच्छेद 9.2 के अर्थ के भीतर चूक की घटना हुई है। 1 (ई): (क) अनुच्छेद 9.2। 1 (ई) पी. पी. ए. में यह प्रावधान है कि यदि निगमित देनदार स्वेच्छा से या

मेरी अदालत की रिपोर्ट

दिवालियापन या दिवालियापन कानून ", यह होगा इसे डिफ़ॉल्ट घटना माना जाता है। अनुच्छेद 9.2। 1 (ई) विघटन, परिसमापन और प्राप्तकर्ता की नियुक्ति जैसी डिफ़ॉल्ट की अन्य घटनाओं को भी सूचीबद्ध करता है। इनमें से प्रत्येक संभावना स्वतंत्र है। खंड ने उस विधान को संदर्भित किया होगा जो इससे पहले था

2010 में पी. पी. ए. में प्रवेश करने के बाद से आई. बी. सी. हालाँकि, इनमें से प्रत्येक कानून उन कंपनियों से संबंधित था जो दिवालिया/दिवालिया थीं। अनुच्छेद 9.2 के तहत अपवाद। 1 (ई) कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत स्वैच्छिक पुनर्निर्माण और विलय को शामिल करता है, जिसके बिना कंपनी का विघटन होता है।

परिसमापन या समापन। अपवाद उपरोक्त उद्देश्यों के लिए किए गए विघटन तक सीमित है और दिवाला या दिवालियापन कार्यवाही के संबंध में विघटन पर विचार नहीं करता है। वर्तमान मामले में कोई विघटन नहीं है। उत्तरदाताओं ने

उन्होंने तर्क दिया कि अनुच्छेद 9.2 के तहत तीसरा "या"। 1 (ई) "और" या अन्य स्थितियों में परिवर्तित किया जाना चाहिए।

अपवाद में पढ़ा जाना चाहिए जो केवल के लिए है

विघटन। "या" के रूप में "और" की व्याख्या का अर्थ होगा कि किसी भी अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू करना। दिवालियापन या दिवालियापन कानून केवल तभी चूक की घटना का गठन करेंगे जब कंपनी

परिसमापन। "या" और "और" शब्दों का उपयोग जानबूझकर किया जाता है। द्वारा प्रस्तावित व्याख्या उत्तरदाता दिवालियापन/दिवालियापन के अलावा अन्य कारणों से होने वाले परिसमापन को बाहर कर देंगे, जो पक्षों का इरादा नहीं हो सकता था। खंड में किसी भी अस्पष्टता या अनिश्चितता के अभाव में, न्यायालय किसी भी शब्द का संकेत नहीं दे सकता है या इसके स्पष्ट अर्थ के विपरीत खंड की व्याख्या नहीं कर सकता है।

अनुच्छेद 9.2 जैसे खंड। 1 (ई) इस प्रकृति के समझौतों में मानक खंड हैं। इसके बाद भी

आई. बी. सी. की अधिसूचना, टैरिफ आधारित जे. ए. विकास एन. आई. जी. ए. एम. लिमिटेड के लिए मानक बोली दस्तावेजों के हिस्से के रूप में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पी. पी. ए. प्रारूपों में इसी तरह के प्रावधान जारी हैं।

वी. एम. आर. अमित गुप्ता और ओआरएस।

आर. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

धारा 63 के तहत प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया

पारंपरिक बिजली के लिए विद्युत अधिनियम। इसी तरह

अक्षय ऊर्जा स्रोतों के लिए शुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किए जा रहे पी. पी. ए. एस. में प्रावधान पाए गए हैं; और

· दोनों पक्षों के बीच सौदा निष्पक्ष था और एकतरफा नहीं था। अनुच्छेद 9.2 में अपीलार्थी के चूक के तहत एक ही डिफ़ॉल्ट खंड प्रदान किया गया है। 2 (ग), और समाप्त करने का एक संबंधित अधिकार प्रदान किया गया है

अनुच्छेद 9.3 के तहत। 2 . धारा 63 के तहत प्रतिस्पर्धी बोली के लिए भारत सरकार द्वारा जारी मानक पी. पी. ए. के तहत इसी तरह के खंड प्रदान किए गए हैं।

विद्युत अधिनियम। इसलिए, खंड नहीं कहा जा सकता है।

अनुचित या अनुचित होना।

ई. पी. पी. ए. की समाप्ति के संबंध में एन. सी. एल. ए. टी. की टिप्पणियाँ यदि निगमित देनदार परिसमापन में चला जाता हैसही:

आदेश के खिलाफ अपीलार्थी द्वारा दायर अपील में

आई.

29 अगस्त, 2019 के एन. सी. एल. टी. के निर्णय को अपीलार्थी ने चुनौती नहीं दी थी

कि निगमित देनदार के खिलाफ परिसमापन कार्यवाही शुरू होने की स्थिति में पी. पी. ए. को समाप्त किया जा सकता है। यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि अदालतें पक्षों द्वारा की गई दलीलों या प्रार्थना से परे नहीं जा सकती हैं; और

एन. सी. एल. ए. टी. गलती से इस आधार पर आगे बढ़ा कि परिसमापन के बीच कोई अंतर नहीं है और

समाधान प्रक्रिया। प्रारम्भ में

परिसमापन कार्यवाही, कॉर्पोरेट देनदार अब एक चालू चिंता नहीं है। निगमित देनदार की परिसंपत्तियों को धन की वसूली के लिए बेचा जाता है। हालांकि, तीसरे पक्ष के साथ समझौते संपत्ति नहीं हैं। द.

अपीलार्थी को जारी रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है

लाभ के लिए किसी नए व्यक्ति या संस्था के साथ समझौता

निगमित देनदार के लेनदारों से।

एन. सी. एल. ए. टी. का अपीलार्थी को बिजली के लिए भुगतान करने का निर्देश

((ख)

कॉर्पोरेट देनदार द्वारा इंजेक्ट किया गया त्रुटिपूर्ण था:

(क) अपीलार्थी 7 जून 2019 से पी. पी. ए. को समाप्त करने का हकदार था, और उसे खरीद के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

और निगमित ऋणदाता के मूल्य को संरक्षित करने के लिए शक्ति का भुगतान करें। 7 जून 2019 से बिजली का इंजेक्शन अदालत के आदेशों के कारण है न कि पी. पी. ए. के तहत। "एक्टस क्यूरी नेमेनेम ग्रेवबिट" के सिद्धांत के तहत, अदालत का कार्य किसी भी पक्ष को प्रभावित नहीं कर सकता है। न्यायालय अपने कार्यों के कारण किसी पक्ष को हुई गलती को पूर्ववत करने के लिए बाध्य है। अपीलार्थी को इसके कारण पीड़ित नहीं किया जा सकता है। एन. सी. एल. टी./एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा दिए गए त्रुटिपूर्ण आदेशों में से जब वह अन्य सौर ऊर्जा परियोजनाओं से कम लागत पर बिजली खरीद सकता था;

(ख)

अपीलार्थी ने निगमित देनदार को भुगतान किया है

वर्तमान अपील के लंबित रहने और इस वचन के विरुद्ध कि यदि अपील का निर्णय उसके पक्ष में किया जाता है तो राशि ब्याज के साथ वापस कर दी जाएगी, 50 लाख रुपये और 1 करोड़ 7 लाख रुपये की राशि। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 9.3 के तहत। 1 पी. पी. ए. की समाप्ति के लिए मुआवजा 55.80 करोड़ रुपये है; और

((ग)

शुल्क निर्धारण से संबंधित मुद्दे और

उत्तरदाताओं द्वारा उठाए गए सौर पैनलों के प्रतिस्थापन पर एन. सी. एल. टी./एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा विचार नहीं किया गया था, और पी. पी. ए. की व्याख्या के लिए प्रासंगिक नहीं हैं और आईबीसी के प्रावधान।

उत्तरदाताओं की ओर से जी2 प्रस्तुतियाँ

36. श्री सी यू सिंह और श्री नकुल दीवान, विद्वान वरिष्ठ वकील

प्रथम प्रत्यर्थी की ओर से पेश होते हुए, उन्होंने तर्क दिया है कि एनसीएलटी के पास दिवाला की शुरुआत के एकमात्र आधार पर अपीलार्थी द्वारा पीपीए की समाप्ति की वैधता पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र था

कॉरपोरेट देनदार की कार्यवाही और यह कि वर्तमान मामले में एन. सी. एल. टी. द्वारा अधिकार क्षेत्र का सही उपयोग किया गया था। श्री सी. यू. सिंह ने एन. सी. एल. टी. के अधिकार क्षेत्र पर निम्नलिखित दलीलें दी हैं:

पी. पी. ए. की समाप्ति पर रोक लगाने के लिए आवेदन था

(1)

धारा यू. आर. जे. ए. विकास एन. आई. जी. ए. एम. लिमिटेड के तहत एन. सी. एल. टी. के समक्ष प्रथम प्रतिवादी द्वारा दायर किया गया।

वी. एम. आर. अमित गुप्ता और ओआरएस।

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

60 (5) आई. बी. सी. धारा 60 (5) (सी) एन. सी. एल. टी. को किसी भी आवेदन द्वारा या उसके खिलाफ निर्णय लेने के लिए पूर्ण अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है।

प्राथमिकताओं या किसी भी प्रश्न पर निगमित ऋणदाता

से या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले कानून या तथ्यों का प्रश्न

निगमित ऋणदाता का दिवाला समाधान,

उस समय लागू किसी अन्य कानून के बावजूद। अतः विद्युत अधिनियम के प्रावधानों के बावजूद,

एन. सी. एल. टी. के पास दायर आवेदन पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है

आर. पी. द्वारा जो विशेष रूप से किसी विशेष से संबंधित नहीं हो सकता है

आई. बी. सी. की धारा (जैसे धारा 14), आवेदन में कानून या तथ्यों का कोई भी प्रश्न शामिल है, जो उत्पन्न होता है

तीसरे के दिवाला संकल्प से बाहर या उसके संबंध में

उत्तरदाता;

संबंधित रूप से, क्योंकि एन. सी. एल. टी. में निहित अधिकार क्षेत्र के तहत धारा 60 (5) (सी) एक अवशिष्ट चरित्र की है, भले ही

कानून या तथ्य का प्रश्न विशेष रूप से इसके अंतर्गत नहीं आता है।

धारा 14, एन. सी. एल. टी. के पास कानून या तथ्य के ऐसे प्रश्न पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र होगा, बशर्ते कि यह कॉर्पोरेट देनदार की दिवाला समाधान प्रक्रिया के संबंध में हो। धारा 60 (5) की कोई अन्य व्याख्या

इसे विषम बना दें;

धारा 60 (5) की संकीर्ण व्याख्या न तो धारा की भाषा से आवश्यक है और न ही यह उन न्यायिक पूर्वजों के अनुरूप है जिन्होंने अन्य दिवाला कानूनों में समान प्रावधानों की व्याख्या की है। धारा 60 (5) (सी) के समान प्रावधानों को विस्तार से पढ़ा गया है। इस संबंध में, सीए की धारा 446 (2) की व्याख्या पर निर्भरता रखी गई है।

1956 , पी. आई. ए. की धारा 4 (1) और बी. आर. ए. की धारा 45-बी;

धारा 60 (5) (सी), अर्थात 'संबंधित' और 'उत्पन्न होने वाले' में उपयोग की गई अभिव्यक्तियों की व्याख्या इन शब्दों के रूप में की गई है -

ये शब्द, एक व्याख्या जो एन. सी. एल. टी. को अलग करती है पी. पी. ए. की समाप्ति पर रोक लगाने की शक्ति नहीं होनी चाहिए

इस मामले में दोषी ठहराया गया;

पहला प्रतिवादी गोद लेने की वकालत नहीं कर रहा है

[2021] 13 एस. सी. आर. के भीतर और उसके बाद क्या आता है, इसके बारे में एक पूर्ण नियम।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धारा 60 (5) (सी) के तहत एन. सी. एल. टी. का अधिकार क्षेत्र। बल्कि, यह प्रस्तुत करता है कि यह निर्धारण प्रत्येक मामले के तथ्यों पर किया जाना चाहिए;

vi) वर्तमान मामले में पी. पी. ए. को पूरी तरह से दिवालिया होने के आधार पर समाप्त करने की मांग की जाती है। इसलिए समाप्ति के लिए कार्रवाई का कारण निगमित ऋणदाता की दिवालियापन और यह तर्क है कि निगमित

दिवाला समाधान प्रक्रिया के कारण देनदार अब 'विश्वसनीय' नहीं है। पी. पी. ए. की कोई समाप्ति नहीं होगी, बल्कि निगम के खिलाफ सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के लिए होगी।

देनदार। इसलिए, कार्रवाई का कारण कॉर्पोरेट देनदार के दिवालिया समाधान से उत्पन्न होता है और उसके संबंध में होता है। यह मामला उन मामलों से भौतिक रूप से अलग है जिनमें

पी. पी. ए. को स्वतंत्र कारणों से समाप्त करने की मांग की जाती है। निगमित ऋणदाता की दिवालियापन (उदाहरण के लिए जहां बिजली की आपूर्ति न होने पर समाप्ति की मांग की जाती है);

vii) यह तथ्य कि आई. बी. सी. की धारा 20 (2) (ई) और 25 एक शुल्क के संदर्भ में हैं, आवश्यक रूप से इसका मतलब यह नहीं है कि एन. सी. एल. टी. के पास उन मामलों को तय करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है जो परिसंपत्तियों को संरक्षित करने या निगमित ऋणदाता को 'चालू चिंता' के रूप में बनाए रखने के आर. पी. के कर्तव्य से उत्पन्न होते हैं। इसके विपरीत, एन. सी. एल. टी. एकमात्र ऐसा मंच है जिसके पास निगमित ऋणदाता की समाधान प्रक्रिया की देखरेख करने का अधिकार क्षेत्र है जिसमें अनिवार्य रूप से निगमित ऋणदाता को जारी रखना और इसे सफल बनाना शामिल है।

समाधान;

viii) इस मामले के तथ्य दूतावास संपत्ति (उपरोक्त) और नगर निगम बनाम अभिलाष लाल 3 6 से अलग हैं। अभिलाष लाल (ऊपर) के विपरीत, इस में संपत्ति

मामला (पी. पी. ए. के तहत दीर्घकालिक संविदात्मक अधिकार)

निगमित देनदार की संपत्ति और किसी वैधानिक प्राधिकरण की संपत्ति नहीं। इसके अलावा, कानून का कोई उल्लंघन नहीं हुआ

जब एन. सी. एल. टी. ने अपीलार्थी को निगमित देनदार के सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के आधार पर पी. पी. ए. को समाप्त करने से रोक दिया। इसके अलावा, अभिलाष लाल के तथ्य

(ऊपर) नगर निगम के सार्वजनिक कर्तव्य से संबंधित

13 एस. सी. सी. 234; इसके बाद "अभिलाष लाल" उर्जा विकास निगम लिमिटेड के रूप में संदर्भित किया जाता है।

वी. एम. आर. अमित गुप्ता और ओआरएस।

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

अस्पताल के निर्माण के संबंध में। इसके अलावा, मौजूदा चूक थी और कंपनी के सी. आई. आर. पी. के शुरू होने से पहले इस संबंध में एक कारण बताएँ नोटिस जारी किया गया था। इसके विपरीत, वर्तमान मामले में, अपीलार्थी द्वारा समाप्ति चूक के आधार पर नहीं है, बल्कि पूरी तरह से दिवाला की शुरुआत के आधार पर है।

निगमित देनदार की समाधान प्रक्रिया और वह भी आई. बी. सी. की धारा 10 के तहत आवेदन स्वीकार किए जाने के लगभग छह महीने बाद; और

दूतावास संपत्ति (उपरोक्त) में, जो मुद्दा था वह यह था कि क्या एन. सी. एल. टी. का किसी ऐसे मामले पर अधिकार क्षेत्र है जो सार्वजनिक कानून के दायरे में है। वर्तमान मामले में, पी. पी. ए. को समाप्त करने का अपीलार्थी का निर्णय सरकार या किसी वैधानिक प्राधिकारी द्वारा किसी ऐसे मामले के संबंध में लिया

गया निर्णय नहीं है जो सार्वजनिक कानून के दायरे में है। पी. पी. ए. को समाप्त करने का अपीलार्थी का निर्णय केवल इसलिए है क्योंकि निगमित ऋणदाता दिवालिया समाधान के दौर से गुजर रहा है। निगमित देनदार अपीलार्थी को सौर ऊर्जा की आपूर्ति करने में चूक नहीं करता है और अन्यथा इसका उल्लंघन नहीं करता है।

पी. पी. ए. के तहत दायित्व।

यह मानते हुए कि एन. सी. एल. टी. का अधिकार क्षेत्र है, निम्नलिखितव्याख्या के संबंध में श्री सी. यू. सिंह द्वारा किए गए थे

अनुच्छेद 9.2। 1 पी. पी. ए. का, अनुच्छेद 9.3 के साथ पढ़ा जाता है। 1 , जो अपीलार्थी को पी. पी. ए. को समाप्त करने की अनुमति देता है यदि तीसरा

उत्तरदाता एक पूर्वनिर्धारित घटना करता है, जिसे इसके साथ पढ़ा जाना चाहिए

पीपीए के अन्य प्रावधान। इस संबंध में हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया था:

(अ)

पी. पी. ए. के पाठ में कहा गया है कि बिजली उत्पादक

इसके उत्तराधिकारियों और नियुक्तियों को शामिल करेगा;

(ख)

पी. पी. ए. के अनुच्छेद 4.1 (iii) में प्रावधान है कि निगमित देनदार अपने द्वारा उत्पादित बिजली को पहली प्राथमिकता के आधार पर अपीलार्थी को बेचेगा और उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं है।

किसी भी तीसरे पक्ष को बेचना;

((ग)

पी. पी. ए. के अनुच्छेद 4.1 (x) में संभावित स्थिति का प्रावधान है।

बिजली उत्पादक के इक्विटी कमजोर करने का; [2021] 13 एस. सी. आर.

(घ) पी. पी. ए. के अनुच्छेद 9.1 में समझौते की अवधि का प्रावधान है, अर्थात वाणिज्यिक से 25 वर्ष।

ऑपरेशन की तारीख; अनुच्छेद 9.3। 1 पी. पी. ए. का प्रावधान है कि एक मामले में

(ई)

निगमित ऋणदाता की चूक के कारण, उसके पास अपीलार्थी को मुआवजे के लिए भुगतान करने का दायित्व होगा जो जी. ई. आर. सी. द्वारा शुल्क का निर्धारण करते समय मानक पी. एल. एफ. पर विचार किए गए प्रथम वर्ष के शुल्क के आधार पर तीन साल के बिलिंग के बराबर है।

30 समाप्ति सूचना के दिनों से;

(च)

पी. पी. ए. का अनुच्छेद 12.9 विशेष रूप से प्रदान करता है कि

वित्तपोषण करने वाले पक्ष बिजली उत्पादक को अपना हित, अधिकार और दायित्व किसी तीसरे को सौंपने का कारण बन सकते हैं।

पार्टी; और

पी. पी. ए. परियोजना के वित्तपोषण पर विचार करता है।

(जी)

और यह कि कॉर्पोरेट देनदार द्वारा वित्तीय चूक हो सकती है। इसलिए, पी. पी. ए. विशेष रूप से वित्तपोषण दलों को कदम उठाने और बिजली उत्पादक की पहचान बदलने की अनुमति दी गई बशर्ते कि उत्तराधिकारी पीपीए के तहत बिजली उत्पादक के दायित्वों को संभालने में सक्षम और इच्छुक हो। लेख

9.2. 1 (ई) इस पृष्ठभूमि के आलोक में पढ़ा जाना चाहिए।

अनुच्छेद 9 की व्याख्या के संबंध में। 1 (ई), यह प्रस्तुत किया गया था:

(अ)

जब 2010 में पी. पी. ए. में प्रवेश किया गया था, तो आई. बी. सी. अस्तित्व में नहीं था। अनुबंध एक मानक रूप अनुबंध था। जबकि खंड दिवालिया या दिवालियापन कार्यवाही को संदर्भित करता है, अनुच्छेद 9.2 का इरादा। 1 (ई) केवल परिसमापन कार्यवाहियों को शामिल किया जा सकता था जैसा कि सीए 1956 के तहत विचार किया गया था। सी. ए. 1956 ने 'दिवालियापन' पर विचार नहीं किया या

' दिवालियापन की कार्यवाही। खंड के मसौदे के समय दिवालियापन को व्यक्तिगत दिवालियापन को शामिल करने के लिए समझा गया था। अतः, अनुच्छेद 9.2। 1 (ई) डिफ़ॉल्ट घटना के लिए एक ट्रिगर के रूप में आई. बी. सी. के तहत 'दिवाला समाधान' कार्यवाही को कवर करने का इरादा नहीं हो सकता था; जे. ए. विकास एन. आई. जी. ए. एम. लिमिटेड।

वी. एम. आर. अमित गुप्ता और ओआरएस। आर. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

यदि अनुच्छेद में 'दिवाला' कार्यवाही शब्द है

9.2. 1 (ई) पी. पी. ए., जिसे 2010 में लागू किया गया था, को आई. बी. सी. के तहत विचार की गई दिवाला समाधान कार्यवाही पर लागू करने की मांग की गई है। खंड में अपवाद, 'पुनर्गठन' के रूप में भी आवश्यक रूप से अद्यतन समझ के आलोक में लागू किया जाना चाहिए। इस प्रकार पढ़ें, इस शब्द का विस्तार किसी भी प्रकार के पुनर्गठन तक होना चाहिए जिसके कारण कंपनी परिसमापन या समापन में नहीं जाती है। अनुच्छेद 9.2 को इस तरह से पढ़ें। 1 (ई) पुनर्गठन की कार्यवाही को बाहर करने के लिए व्याख्या की जानी चाहिए।

आई. बी. सी. के तहत; और

अनुबंध। तीसरा प्रतिवादी और अपीलार्थी समानता के आधार पर खड़े नहीं होते हैं। कॉन्ट्रा प्रेफरेंटम के नियम का अनुप्रयोग अच्छी तरह से तय किया गया है और अनुबंध की एक व्याख्या जो कम सौदेबाजी की शक्ति वाले पक्ष का पक्ष लेती है, उसे प्राथमिकता दी जाती है। उस नियम को यहाँ लागू करते हुए, अनुच्छेद 9.2 की व्याख्या में कोई अस्पष्टता है। 1 (ई) के पक्ष में हल किया जाना चाहिए तीसरा उत्तरदाता।

श्री सी. यू. सिंह द्वारा इस संबंध में मुद्दों का भी आग्रह किया गया था

238 आई. बी. सी.:

आई. बी. सी. की धारा 238 के अनुप्रयोग के संबंध में

: पी. पी. ए. ने यह प्रस्तुत किया था कि:

अनुच्छेद 9.3 के तहत। 1 पी. पी. ए. के अनुसार, तीसरे प्रतिवादी को डिफ़ॉल्ट नोटिस की सेवा के 30 दिनों के भीतर डिफ़ॉल्ट (यदि कोई हो) को सुधारने की आवश्यकता होती है। यदि इस तरीके से पढ़ा जाए, तो सी. आई. आर. पी. के लंबित रहने के दौरान एक डिफ़ॉल्ट नोटिस की प्राप्ति पर, तीसरे प्रतिवादी को 30 दिनों के भीतर पुनर्गठन प्रक्रिया को पूरा करने की आवश्यकता होगी ताकि इसके परिणाम को रोका जा सके।

पी. पी. ए. को समाप्त किया जा रहा है। आईबीसी एक प्रदान करता है

सी. आई. आर. पी. पूरा करने के लिए 330 दिनों की अवधि। पी. पी. ए. और आई. बी. सी. के प्रावधानों के बीच एक द्वंद्व है। [2021] 13 एस. सी. आर. के लिए पी. पी. ए. के तहत समयसीमा।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

डिफ़ॉल्ट का इलाज करना तीसरे प्रतिवादी के संबंध में सी. आई. आर. पी. को पूरा करने के लिए आई. बी. सी. के तहत उन लोगों के साथ असंगत है। धारा 238 में गैर-अवरोधक खंड को ध्यान में रखते हुए, आई. बी. सी. के प्रावधान

पी. पी. ए. को ओवरराइड करें;

यह तर्क कि पी. पी. ए. एक "साधन" नहीं है

(ख)

आई. बी. सी. के तहत गलत है। कार्यकाल के बाद से

" उपकरण "को आई. बी. सी. में परिभाषित नहीं किया गया है, इसका अर्थ अन्य में परिभाषा से लिया जा सकता है।

और धारा 238 को ध्यान में रखते हुए आई. बी. सी.

((ग)

विद्युत अधिनियम के प्रावधान। आई. बी. सी. की धारा 63 में प्रावधान है कि "किसी भी दीवानी अदालत या प्राधिकरण को किसी भी मामले के संबंध में किसी भी मुकदमे या कार्यवाही पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा, जिस पर राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय कंपनी कानून हो। आई. बी. सी. के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण का अधिकार क्षेत्र है।

एन. सी. एल. टी. के अधिकार क्षेत्र में जी. ई. आर. सी. शामिल नहीं है।

आई. बी. सी. की धारा 14 में अंतर्निहित विधायी इरादे के संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया था कि:
(क) दिवाला के खंडों पर टिप्पणियाँ और

दिवालियापन विधेयक, 2015 और दिवाला कानून 20 फरवरी 2020 की समिति की रिपोर्ट धारा 14 के एक स्पष्ट विधायी इरादे का सुझाव देती है कि

एक पक्ष को समाप्त करने की अनुमति देने वाला वास्तविक खंड

यदि प्रतिपक्ष किसी प्रकार की दिवाला समाधान प्रक्रिया में प्रवेश करता है तो अनुबंध को या तो अमान्य घोषित किया जाना चाहिए या यह सुनिश्चित करने के लिए कि विकास एन. आई. जी. ए. एम. एल. टी. डी.

वी. एम. आर. अमित गुप्ता और ओआरएस। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

कंपनी को बनाए रखने में आई. बी. सी. का उद्देश्य

एक चालू चिंता को पूरा किया जाता है। यदि किसी दिए गए मामले के तथ्यों में, संबंधित अधिकारियों को यह पता चलता है कि

निगमित देनदार की परिसंपत्तियाँ और इसे इस रूप में रखना

एक चालू चिंता, कुछ अनुबंधों की आवश्यकता है

संरक्षित, उन्हें अमान्य या पढ़ा जाना चाहिए;

और तीसरे प्रत्यर्थी की प्रकृति और उसका व्यवसाय पी. पी. ए. को एक मूल्यवान संपत्ति बनाता है, और इसकी समाप्ति का प्रभाव तीसरे प्रत्यर्थी को चलाने पर पड़ेगा।

जमीन पर। इसलिए, विधायी इरादे और समग्र रूप से पी. पी. ए. के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, अनुच्छेद 9.2। 1 (ई) आई. बी. सी. के तहत पुनर्गठन की कार्यवाही को एक घटना के रूप में बाहर करने के लिए पढ़ा जाना चाहिए।

डिफ़ॉल्ट रूप से।

श्री नकुल दीवान ने इन दलीलों को खारिज करते हुए कहा,

निम्नलिखित अतिरिक्त प्रस्तुतियाँ:

सफल समाधान आयोग द्वारा प्रस्तुत और सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित समाधान योजना इस पर निर्भर थी कि

पी. पी. ए. का निर्धारण:

समाधान योजना के निम्नलिखित पहलुओं पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है: ((i) पी. पी. ए. का महत्व

निगम की निरंतर वाणिज्यिक व्यवहार्यता

ऋणी; (ii) ऋण की प्रकृति सहित सी. आई. आर. पी. की शुरुआत का कारण; (iii) पुनरूद्धार योजना सहित निगमित ऋणदाता को पुनर्जीवित करने में आर. पी. का अनुभव; (iv) समाधान योजना का सारांश, जिसमें ऋणदाता द्वारा लिए जा रहे 'बाल कटवाने' भी शामिल हैं। ऋणदाता यह सुनिश्चित करने के लिए कि निगमित ऋणदाता का पुनर्गठन किया गया है; (v) सौर शुल्क से संबंधित प्रासंगिक दरें; (vi) व्यवसाय योजना; (vii) वित्तीय योजना; और (viii) संभावित जोखिम और शमन

उपाय;

कॉर्पोरेट देनदार को आकस्मिक घटनाओं के कारण वित्तीय कठिनाई में डाल दिया गया था जो

2015 और 2017 में हुआ था। पहले उत्तरदाता ने कॉर्पोरेट देनदार को अपने [2021] 13 एस. सी. आर. पर वापस रखना शुरू कर दिया था।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

और समाधान आवेदक के साथ मिलकर एक योजना तैयार की थी जिसके तहत कॉर्पोरेट देनदार को पुनर्जीवित किया जाएगा। समाधान योजना निर्भर थी

पी. पी. ए. की निरंतरता पर; और यदि समाप्ति की अनुमति है, तो निगमित देनदार

((ग)

समाधान योजना के संदर्भ में पुनर्जीवित करने में सक्षम नहीं होगा, जिस पर ऋणदाताओं द्वारा सहमति व्यक्त की गई है, भले ही वह पी. पी. ए. के तहत अपने दायित्वों का पालन करने में सक्षम हो।

अनुच्छेद 9.2 की व्याख्या के संबंध में। 1 (ई):

अनुच्छेद 9.2 में 'कानून' शब्द है। 1 (ई) व्याख्या की जानी चाहिए

(अ)

एक गतिशील अर्थ में। अनुच्छेद की व्याख्या

9.2. 1 (ई) यह पता लगाने के लिए कि क्या कोई चूक की घटना हुई थी, उस समय पर विचार किया जाना चाहिए जब इसे लागू करने की मांग की गई थी। जिस अपवाद के तहत "पुनर्गठन" को चूक की घटना के रूप में बाहर रखा गया है, वह उन कार्यवाही पर लागू होगा जो एकमात्र के लिए आई. बी. सी. की धारा 10 के तहत शुरू की गई थी।

निगम के पुनर्गठन के बारे में

ऋणी; और

अनुच्छेद 9.2 का आह्वान। 1 ((घ) इस आधार पर कि

(ख)

आई. बी. सी. की धारा 10 के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी जो गलत और समयपूर्व दोनों थी। यह.

यह गलत था क्योंकि कार्यवाही शुरू होने के समय, निगमित देनदार अपने मामलों के पुनर्गठन को देख रहा था। यह पूरी तरह से अनुच्छेद 9.2 के अपवाद के दायरे में आता है। 1 (ई)। यह अपरिपक्व था क्योंकि जब तक अपीलकर्ता यह सुनिश्चित नहीं करता कि पुनर्गठन के बाद परिणामी इकाई के पास अपने दायित्वों का पालन करने के लिए वित्तीय स्थिति नहीं होगी या इसकी साख की कमी के रूप में, उसके पास पी. पी. ए. को इस आधार पर समाप्त करने का कोई आधार नहीं था कि यह अनुच्छेद 9.2 के तहत चूक की घटना का गठन करता है। 1 (ई)।

एन. सी. एल. टी. के अधिकार क्षेत्र के संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया था कि:

धारा 60 (5) के संबंध में एनसीएलटी का अधिकार क्षेत्र

(अ)

"दिवाला कार्यवाही को इवेंट उर्जा विकास निगम लिमिटेड के रूप में लेते हुए" जारी किए गए डिफ़ॉल्ट नोटिस को रद्द करने की मांग करने के लिए आह्वान किया गया था।

वी. एम. आर. अमित गुप्ता और ओआरएस।

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

डिफ़ॉल्ट "। इसलिए, एन. सी. एल. टी. के समक्ष दायर आवेदन उसके अधिकार क्षेत्र के दायरे में था।

आईबीसी की धारा 60 (5) के तहत;

(ख)

जी. ई. आर. सी. के बारे में अपीलार्थी का निवेदन

अधिकार क्षेत्र को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इसके बजाय, यह न्यायालय

इस स्थिति को अपनाना चाहिए कि

आई. बी. सी. के तहत कार्यवाही शुरू करने का उपयोग अनुबंध को समाप्त करने के लिए एक आधार के रूप में किया जाना चाहिए, फिर मामला एन. सी. एल. टी. द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। आई. बी. सी. की धारा 232 के तहत दीवानी अदालतों के अधिकार क्षेत्र के बहिष्करण से इसे और बल मिलता है; और

((ग)

आई. बी. सी., एक विशेष कानून होने के नाते, बिजली के बाद अधिनियमित किया गया अधिनियम, एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. के पास विशेष अधिकार हैं।

निगम की दिवाला प्रक्रिया से संबंधित तथ्य और कानून के सभी प्रश्नों को नियंत्रित करने का अधिकार क्षेत्र

ऋणी।

इर वी गिरि, द्वितीय की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील

तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ कीं

प्रथम उत्तरदाता:

एक बार जब आई. बी. सी. की धारा 7,9 या 10 के तहत एक आवेदन एन. सी. एल. टी. द्वारा स्वीकार किया जाता है, तो इसे अधिकार क्षेत्र प्रदान किया जाता है। दिवाला से संबंधित मामलों से निपटने के लिए

निगमित देनदार;

बिजली अधिनियम और आई. बी. सी. दोनों विशेष कानून हैं, जिन्हें बिजली से संबंधित मामलों से निपटने के लिए बनाया गया है। क्रमशः मुद्दे और दिवालियापन। अशोक विपणन में

बनाम पी. एन. बी. 3 7 इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि दो विशेष कानूनों का एक सामंजस्यपूर्ण निर्माण जिसमें गैर-अबाधित खंड हो सकते हैं दोनों कानूनों के उद्देश्य को देखते हुए किया गया। यह

न्यायालय इस सिद्धांत को भी ध्यान में रखता था कि एक विशेष कानून

बाद की तारीख में अधिनियमित पूर्ववर्ती विशेष कानून पर प्रबल होता है। इस संबंध में, धारा 174 के तहत गैर-अबाधित खंड

विद्युत अधिनियम की धारा 238 द्वारा ओवरराइड किया जाएगा।

अधिकारिता के टकराव के मामले में आई. बी. सी. का समाधान करने के लिए

विवाद;

एससीआर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(iii)

एन. सी. एल. टी. धारा 60 (5) के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है।

आई. बी. सी. को यह सुनिश्चित करने के लिए कि निगमित देनदार एक 'चालू चिंता' के रूप में जीवित रहे। समान नियमों और शर्तों के साथ किसी अन्य पी. पी. ए. में प्रवेश करना संभव नहीं होगा। वर्तमान पीपीए:

(iv) ऋणदाता बैंक के रूप में दूसरा प्रतिवादी धारा 86 (च) के तहत विवाद समाधान प्रक्रिया शुरू करने में सक्षम नहीं हो सकता है।

विद्युत अधिनियम चूंकि यह संकल्प पर विचार करता है

एक जनरेटर और एक व्यापार लाइसेंसधारी के बीच विवाद;

(v)

आई. बी. सी. की धारा 60 (5) (सी) में प्रावधान है कि एन. सी. एल. टी.

दिवाला समाधान प्रक्रिया को प्रभावित करने या बाधित करने के संबंध में उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना या कार्रवाई का मनोरंजन या निपटान करें। एन. सी. एल. टी. के पास इस हद तक हस्तक्षेप करने का अधिकार क्षेत्र है

सी. आई. आर. पी. प्रक्रिया में किसी भी बाधा को दूर करने के लिए इसे अपने तार्किक अंत तक पहुँचाने के लिए, जो समाधान योजना या परिसमापन का अनुमोदन है। आई. बी. सी. की धारा 14 की रूपरेखा धारा 60 (5) (सी) की ऐसी समझ के तहत निर्धारित की जानी चाहिए;

(vi) आई. बी. सी. की धारा 14 के तहत स्थगन पूर्ण नहीं है।

क्योंकि:

धारा 14 का उद्देश्य निगम का संरक्षण है।

(अ)

सी. आई. आर. पी. के दौरान देनदार;

आई. बी. सी. की प्रस्तावना में संरक्षण का प्रावधान है।

(ख)

निगम की परिसंपत्तियों का अधिकतम मूल्य

ऋणी; और

धारा 14 (3) केवल कुछ प्रकार को बाहर करती है -

((ग)

अधिस्थगन के तहत समझौते और लेनदेन

धारा 14 (1), जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय नियामक या किसी अन्य के परामर्श से अधिसूचित किया गया है।

अन्य प्राधिकरण। एन. सी. एल. टी. के पास लागू करने की शक्ति है

धारा 14 (1) में उल्लिखित सुरक्षाओं के अलावा निगमित देनदार और सी. आई. आर. पी. की सुरक्षा के हित में स्थगन या यथास्थिति;

(vii) निगमित ऋणदाता को 'चालू चिंता' के रूप में बनाए रखना सी. आई. आर. पी. की आत्मा है। धारा 14 (2ए) में ऐसी वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति का प्रावधान है जिसे आई. आर. पी. या आर. पी. कॉर्पोरेट यू. आर. जे. ए. विकास निगम लिमिटेड के मूल्य की रक्षा और संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण मानता है।

वी. एम. आर. अमित गुप्ता और ओआरएस।

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

देनदार, और एक चालू संस्था के रूप में इसके संचालन का प्रबंधन समाप्त, निलंबित या बाधित नहीं किया जा सकता है। धारा 20 (1) आई. आर. पी. पर सुरक्षा और संरक्षण का कर्तव्य लगाती है।

पी. पी. ए. की समाप्ति निगमित ऋणदाता को निगमित मृत्यु, अर्थात् परिसमापन की ओर धकेल देगी। धारा 14 (1) के स्पष्टीकरण में स्पष्ट किया गया है कि, अन्य बातों के साथ-साथ, "केंद्र सरकार द्वारा दिए गए अधिकार का एक समान अनुदान,

राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, क्षेत्रीय नियामक या किसी अन्य प्राधिकरण को दिवालिया होने के आधार पर समाप्त नहीं किया जाएगा। यह विधायिका के इरादे को दर्शाता है कि निगमित देनदार को दिया गया कोई भी अधिकार नहीं लिया जा सकता है

सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के कारण दूर;

अनुच्छेद 9.2। 1 (ई) पी. पी. ए. के अनुच्छेद 12.9 के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जो प्रदान करता है कि यदि एक डिफ़ॉल्ट के तहत किया जाता है

दस्तावेजों के वित्तपोषण के लिए, ऋणदाताओं को पी. पी. ए. के तहत कॉर्पोरेट ऋणदाता के अधिकारों और दायित्वों को किसी तीसरे पक्ष को सौंपने का अधिकार है। इसलिए, पी. पी. ए. एक स्थिति पर विचार करता है

जहाँ निगमित देनदार एक स्थिति से गुजर सकता है

पी. पी. ए. के तहत चूक की घटना के रूप में माना जाएगा; ऋणदाताओं ने निम्नलिखित के आधार पर ऋण बढ़ायाः (क) पी. पी. ए. के अनुच्छेद 12.9 के तहत प्रदत्त कार्य का अधिकार; (ख) एक निश्चित शुल्क के रूप में बिजली की खरीद; और (ग) 25 साल की अवधि के लिए पी. पी. ए. की अवधि। ऋण और उसके पुनर्भुगतान पर वित्तीय अनुमान उपरोक्त शर्तों पर किए गए थे। डिफ़ॉल्ट नोटिस पी. पी. ए. की शर्तों का उल्लंघन है

और पक्षों के बीच बनी समझ;

अनुच्छेद 9.3। 1 पी. पी. ए. की राशि आई. बी. सी. के साथ असंगत है, क्योंकि पी. पी. ए. दिवालियापन को दूर करने के लिए 30 दिनों का समय देता है, जबकि आई. बी. सी. 180 दिनों की समय सीमा प्रदान करता है, जिसे 330 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। आई. बी. सी. की धारा 238 सुनिश्चित करती है कि कि आई. बी. सी. पी. पी. ए. पर हावी होगा।

" धारा 238 में "लिखत" की व्याख्या इस प्रकाश में की जा सकती है -

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 2 (14) और नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 2 (बी) जो यह प्रावधान करती है कि एक "लिखत" में वह प्रत्येक दस्तावेज शामिल है जिसके द्वारा कोई भी अधिकार या दायित्व बनाया, हस्तांतरित, सीमित, विस्तारित, समाप्त या दर्ज किया जाता है। इसलिए पीपीए

एक उपकरण के रूप में योग्य है;

(xii) धारा 14 (1) (डी) की संपत्ति की सुरक्षा के लिए प्रदान करता है

कॉर्पोरेट देनदार। अभिव्यक्ति "संपत्ति" में आई. बी. सी. की धारा 3 (27) में इसकी परिभाषा के संदर्भ में पी. पी. ए. शामिल होगा। 20 फरवरी 2020 की तीसरी दिवाला समिति की रिपोर्ट के अनुच्छेद 8.1 से 8.3 से संकेत मिलता है कि आई. बी. सी. का इरादा यह सुनिश्चित करना है कि निगमित ऋणदाता एक चालू चिंता बना रहे और अनुबंधों को दिवाला से संबंधित वास्तविक खंडों के माध्यम से समाप्त नहीं किया जा सकता है; और

(xiii) अपीलार्थी ने पी. पी. ए. को डिफ़ॉल्ट के कारण समाप्त नहीं किया

लेकिन बातचीत करने और शुल्क के तहत बिजली की खरीद मूल्य को कम करने के एक वाणिज्यिक निर्णय के कारण। आई. बी. सी. का इरादा यह नहीं है कि वह किसी संस्था को अनुबंध के लिए बेहतर कीमत पर बातचीत करने के लिए सी. आई. आर. पी. का लाभ लेने की अनुमति दे।

प्रभाव कॉर्पोरेट देनदार के मूल्य को कम करता है।

एच विवाद से उत्पन्न होने वाले मुद्दे

41. निर्धारण के लिए निम्नलिखित दो मुद्दे उत्पन्न होते हैं:

क्या एन. सी. एल. टी./एन. सी. एल. ए. टी. के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जा सकता है

((i)

पी. पी. ए. जैसे अनुबंधों से उत्पन्न विवादों पर आई. बी. सी.; और

((ख)

क्या अपीलार्थी को पी. पी. ए. को समाप्त करने का अधिकार है

अनुच्छेद 9.2। 1 (ई) 9.3 के साथ पढ़ें। 1 आई. बी. सी. द्वारा विनियमित है।

I अनुबंध पर एन. सी. एल. टी./एन. सी. एल. ए. टी. का अधिकार क्षेत्र

ऊटीएस

42. प्राथमिक मुद्दा जिस पर इस अपील का परिणाम

डी टर्न उस अधिकार क्षेत्र की प्रकृति है जिसका प्रयोग आईबीसी की धारा 60 (5) के तहत टी द्वारा किया जाता है। प्रावधान इस प्रकार है:

उस समय लागू अन्य कानून, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के पास गुजरात उर्जा विकास निगम लिमिटेड का मनोरंजन या निपटान करने का अधिकार क्षेत्र होगा।

वी. एम. आर. अमित गुप्ता और ओआरएस।

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

(क) निगमित देनदार द्वारा या उसके विरुद्ध कोई आवेदन या कार्यवाही

या कॉर्पोरेट व्यक्ति;

((ख) निगमित देनदार या निगमित व्यक्ति द्वारा या उसके विरुद्ध किया गया कोई दावा, जिसमें उसकी किसी सहायक कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध किए गए दावे भी शामिल हैं।

भारत में स्थित; और

(ग) दिवाला समाधान या परिसमापन से या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाली प्राथमिकताओं या कानून या तथ्यों का कोई प्रश्न।

निगमित देनदार या निगमित व्यक्ति की कार्यवाही

यह कोड "।

43. धारा 60 की उप-धारा (1) एन. सी. एल. टी. को उस स्थान पर क्षेत्रीय अधिकारिता प्रदान करती है जहाँ निगम का पंजीकृत कार्यालय है।

व्यक्ति स्थित है। एन. सी. एल. टी. "निगमित ऋणदाताओं और व्यक्तिगत गारंटरों सहित निगमित व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान और परिसमापन के संबंध में" न्यायनिर्णायक प्राधिकरण होगा। एनसीएलटी ने किया है

सीए 2013 की धारा 408 के तहत गठित "ऐसी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग और निर्वहन करने के लिए जो इस अधिनियम या किसी अन्य कानून द्वारा या उसके तहत प्रदान की गई हैं या हो सकती हैं" 38।

44. एन. सी. एल. टी. का अस्तित्व क़ानून के कारण है। यह जिन शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करता है, वे हैं जो इसे कानून द्वारा प्रदान की जाती हैं। मामला, आई. बी. सी.

45. एन. सी. एल. टी. ने 29 अगस्त 2019 के अपने निर्णय में ऐसा नहीं किया था।

आई. बी. सी. की धारा 60 (5) (सी) के तहत इसके अधिकार क्षेत्र के मुद्दे की विशेष रूप से जांच करें। इसने पी. पी. ए. को इस आधार पर समाप्त करने पर प्रतिबंध लगा दिया कि यह धारा 238; अनुच्छेद 9.2 के तहत एक "साधन" है। 1 (ई) 9.3 के साथ पढ़ें। 1 पी. पी. ए. के प्रावधान आई. बी. सी. के प्रावधानों के साथ असंगत हैं; और बाद वाला कानून के आधार पर प्रभाव रखने वाले उपकरण को ओवरराइड करता है। इनमें से एक

एन. सी. एल. टी. के बारे में विचार करते समय जिन पर विचार किया गया

यह दृढ़ संकल्प था कि पी. पी. ए. की समाप्ति से निगमित ऋणदाता की स्थिति "चालू चिंता" के रूप में प्रभावित होगी और सी. आई. आर. पी. की विफलता का कारण बनेगी। एन. सी. एल. टी. ने कहाः

38 " धारा 408। केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के रूप में जाने जाने वाले एक न्यायाधिकरण का गठन करेगी, जिसमें एक अध्यक्ष और इतनी संख्या में न्यायिक और

तकनीकी सदस्य, जैसा कि केंद्र सरकार आवश्यक समझे, अधिसूचना द्वारा उसके द्वारा नियुक्त किए जाने के लिए, ऐसी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करने और निर्वहन करने के लिए जो इस अधिनियम या किसी अन्य कानून द्वारा या उसके तहत उसे प्रदान किए गए हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 30. ..... तत्काल मामले में सी. आई. आर. प्रक्रिया शुरू की गई थी 20.11.2018 , जिसे 16.05.2019 पर 90 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया था और प्रतिवादी कंपनी द्वारा डिफ़ॉल्ट नोटिस जारी किए गए थे

01.05.2019 पर। इस स्तर पर पी. पी. ए. की समाप्ति से निगमित ऋणदाता की स्थिति पर प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं और अंततः यह पूरी सी. आई. आर. प्रक्रिया को खतरे में डाल सकता है। प्रस्तावना में निहित आई. बी. सी. के उद्देश्यों के बारे में विस्तार से बताते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में निर्णय दिया था
स्विस रिबन्स प्रा. लि. लिमिटेड बनाम भारत संघ, 2019 एससीसी

..... दिलचस्प बात यह है कि प्रस्तावना किसी भी तरह से परिसमापन का उल्लेख नहीं करती है, जिसका केवल लाभ उठाया जाता है।
अंतिम उपाय के रूप में यदि या तो कोई समाधान योजना नहीं है या प्रस्तुत समाधान योजना सही नहीं है। यहां तक कि

परिसमापन, परिसमापक का व्यवसाय बेच सकता है

एक चालू चिंता के रूप में कॉर्पोरेट देनदार "।

46. अपील में, एन. सी. एल. ए. टी. ने 15 अक्टूबर 2019 के अपने आदेश द्वारा एन. सी. एल. टी. द्वारा अधिकार क्षेत्र के प्रयोग को बरकरार रखा। एन. सी. एल. ए. टी. ने कहाः

30 अप्रैल, 2010 का समझौता।
हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि 'गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड' बिजली का खरीदार होने के नाते 'बिजली' को समाप्त नहीं कर सकता है।

' एस्टनफील्ड सोलर (गुजरात) प्रा. लिमिटेड '(कॉर्पोरेट देनदार) जो बिजली पैदा कर रहा है और इसकी आपूर्ति कर रहा है और इसमें कोई चूक नहीं है। बिजली की आपूर्ति और 'कॉर्पोरेट दिवाला' के दौरान

समाधान प्रक्रिया '।

हालाँकि, एन. सी. एल. टी. की तरह, एन. सी. एल. ए. टी. ने इस बारे में कोई विशिष्ट निष्कर्ष नहीं दिया कि क्या वह या एन. सी. एल. टी. इसके तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकते हैं।

पी. पी. ए. की समाप्ति से उत्पन्न विवाद पर धारा 60 (5) (सी)। इस संबंध में, आई. बी. सी. की धारा 60 (5) (सी) के तहत उपयोग की जा सकने वाली अधिकारिता की रूपरेखा की गणना करने का कार्य इस न्यायालय पर पड़ता है।

गुजरात उर्जा विकास निगम लिमिटेड। वी. एम. आर. अमित गुप्ता और ओआरएस।

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

I. 1 धारा 60 (5) (ग): " "और" के संबंध में उत्पन्न होने वाला

47. अपीलार्थी की ओर से हमारे समक्ष यह प्रस्तुत किया गया है कि एन. सी. एल. टी. के पास कोई अंतर्निहित शक्तियाँ नहीं हैं, और इसका प्रयोग

अधिकार क्षेत्र आई. बी. सी. के प्रावधानों द्वारा सीमित है। इस प्रकार, इसके पास सभी विवादों या कॉर्पोरेट देनदार से संबंधित सभी मुद्दों पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों ने एक सीमित निवेदन किया है कि जबकि एन. सी. एल. टी. के पास संविदात्मक विवादों पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र नहीं हो सकता है जो स्वतंत्र रूप से उत्पन्न होते हैं

48. अलग-अलग संदर्भों में, इस न्यायालय ने अपने पिछले निर्णयों में "संबंधित" और "उत्पन्न होने वाली" अभिव्यक्तियों का विस्तृत अर्थ निकाला है। उत्तरदाताओं ने धारा 60 (5) (सी) की चौड़ाई के संबंध में अपनी दलीलों को पुष्ट करने के लिए इनमें से कुछ निर्णयों पर भरोसा किया है। रेनुसागर पावर कंपनी लिमिटेड बनाम जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी 39 में, दो न्यायाधीशों की पीठ न्यायमूर्ति वी. डी. तुलजापुरकर के माध्यम से बोलते हुए, निम्नानुसार आयोजित मध्यस्थता खंड में "उत्पन्न होने वाले" या "संबंधित" शब्दों की व्याख्या करते हुए

" 25 ..... (2) "से उत्पन्न" या "के संबंध में" या "के संबंध में" या "के संबंध में" या "के परिणामस्वरूप" या "संबंधित" या "अनुबंध से संबंधित" जैसी अभिव्यक्तियाँ व्यापक आयाम और सामग्री की होती हैं।

49. मनसुखलाल धनराज जैन बनाम एकनाथ विट्ठल ओगले 40 में,

इस न्यायालय की दो अन्य न्यायाधीशों की पीठ ने व्यापक पर जोर दिया लघु कारण न्यायालय अधिनियम, 1887 के संदर्भ में "संबंधित" शब्द की प्रकृति और व्यापक विस्तार। न्यायमूर्ति एस. बी. मजूमदार ने कहा:

" 16. इसलिए यह स्पष्ट है कि वाक्यांश "पुनर्प्राप्ति से संबंधित" है। जैसा कि लघु कारण न्यायालयों की धारा 41 (1) में पाया गया है

39 (1984) 4 एससीसी 679 4 0 40 (1995) 2 एससीसी 665 [2021] 13 एस. सी. आर.

अधिनियम प्रकृति में व्यापक है और सभी प्रकार के नियमों को अपनाता है।

मुकदमे और कार्यवाहियां जो वसूली से संबंधित हैं

अनुज्ञप्तिधारी से वाद संपत्ति का कब्जा और इसलिए, वाद

प्रतिवादी को प्रभावी होने से रोकने वाले स्थायी निषेधाज्ञा के लिए

अनुज्ञप्तिधारी से इस तरह के कब्जे की जबरन वसूली-वादी

उक्त वाक्यांश के व्यापक विस्तार से पूरी तरह से कवर किया जाएगा।

नतीजतन नीचे के मैदानों में कथनों के प्रकाश में

विचार और उसमें मांगी गई प्रार्थनाएँ, स्पष्ट रूप से

धारा 41 (1) की भाषा में, निष्कर्ष अपरिहार्य है कि ये

मुकदमे लघु कारण न्यायालय के अनन्य अधिकार क्षेत्र में हो सकते हैं,

बॉम्बे और सिटी सिविल कोर्ट के पास सुनवाई करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा

ऐसे सूट "। 50. डॉयपैक सिस्टम (पी) लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 41 में, दो

न्यायाधीश पीठ ने कहा कि "के संबंध में" अभिव्यक्ति व्यापक है और "से संबंधित" और "से संबंधित" अभिव्यक्तियों के बराबर है, जिसमें बाद वाला भी दायरे में विस्तृत है। न्यायमूर्ति सब्यसाची मुखर्जी (भारत के विद्वान मुख्य न्यायाधीश के रूप में) ने कहा:

" 50. अभिव्यक्ति "के संबंध में" (इसलिए भी "संबंधित"), एक है

बहुत व्यापक अभिव्यक्ति जो एक अन्य विषय वस्तु का अनुमान लगाती है।

ये व्यापकता के शब्द हैं जिनमें दोनों हो सकते हैं।

उपक्रम लेकिन अलग-अलग विषय हैं, फिर भी ये के कारण वेस्टिंग के दायरे में लाया जाएगा

उपरोक्त अभिव्यक्तियाँ। इस संबंध में संदर्भ हो सकता है

76 कॉर्पस ज्यूरिस सेकुंडम को पृष्ठ 620 और 621 पर बनाया गया

जहाँ यह कहा गया है कि "संबंधित" शब्द को भी इस प्रकार परिभाषित किया गया है

जिसका अर्थ है जुड़ाव या जुड़ाव में लाना। इसमें है। स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि "संबंधित" को आयोजित किया गया है

"के साथ संबंधित" के बराबर या पर्यायवाची होना

और "संबंधित"। "संबंधित" अभिव्यक्ति एक है

विस्तार की अभिव्यक्ति और संकुचन की नहीं।

(जोर दिया गया)

51. जबकि वाक्यांश "से उत्पन्न" और "संबंधित" किए गए हैं

उपरोक्त मामलों में एक विस्तृत व्याख्या को देखते हुए, शब्द हो सकते हैं

41 (1988) 2 एस. सी. सी. 299 गुजरात उर्जा विकास निगम लिमिटेड। वी. एम. आर. अमित गुप्ता और ओआरएस।

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

विषय या संदर्भ के आधार पर अलग-अलग अर्थ। आखिरकार, शब्द विचारों, विचारों और अवधारणाओं को संप्रेषित करने के लिए एक वाहन हैं। जब हम पूरी तरह से अलग सेटिंग्स में समान शब्दों का अर्थ लगाते हैं तो एक आकार-फिट-सभी सादृश्य हमेशा अच्छा नहीं हो सकता है। न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह ने क़ानूनों की व्याख्या, सांविधिक व्याख्या के सिद्धांतों पर अपनी आधिकारिक टिप्पणी में कहा है कि अलग-अलग धाराओं में एक ही शब्द का उपयोग किया जाता है।

एक ही कानून के या एक ही खंड या धारा में अलग-अलग स्थानों पर उपयोग किए जाने के अलग-अलग अर्थ हो सकते हैं। इसलिए, यह सहन करना आवश्यक है जिस संदर्भ में वाक्यांशों का उपयोग किया गया है, उसे ध्यान में रखें। न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि 4:

" जब किसी कानून में किसी निश्चित प्रावधान के अर्थ के बारे में सवाल उठता है, तो उस प्रावधान को उसके संदर्भ में पढ़ना न केवल वैध है, बल्कि उचित भी है। यहाँ संदर्भ का अर्थ है, समग्र रूप से क़ानून, कानून की पिछली स्थिति, समान रूप से अन्य क़ानून, क़ानून का सामान्य दायरा और वह शरारत जो इसका उद्देश्य था इलाज "।

52. उपरोक्त सावधानी को ध्यान में रखते हुए, अन्य दिवाला कानूनों में इसी तरह के प्रावधानों की व्याख्या पर चर्चा करना प्रासंगिक हो सकता है।

शाब्दिक रूप से, धारा 60 (5) के प्रावधान उन प्रावधानों के समान हैं जो सी. ए. 1956 की धारा 4464 की उप-धारा 2 में निहित थे, जो अब सी. ए. 2013 की धारा 28045 के अनुरूप हैं।

42 जी. पी. सिंह, सांविधिक व्याख्या के सिद्धांत (पहला संस्करण, लेक्सिस नेक्सिस 2015) 43 आई. बी. आई. डी.

44 धारा 446 की उप-धारा 2 इस प्रकार प्रदान करती है: (2) कंपनी को समाप्त करने वाले न्यायालय को, उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, (ए) कंपनी द्वारा या उसके खिलाफ कोई मुकदमा या कार्यवाही; (बी) कंपनी द्वारा या उसके खिलाफ किया गया कोई दावा (भारत में उसकी किसी भी शाखा द्वारा या उसके खिलाफ दावे सहित); (सी) किसी भी मामले में सुनवाई करने या उसका निपटारा करने की अधिकारिता होगी।

कंपनी द्वारा या उसके संबंध में धारा 391 के तहत किया गया आवेदन; (घ) प्राथमिकताओं का कोई प्रश्न या कोई अन्य प्रश्न, चाहे वह कानून या तथ्य का हो, जो कंपनी के समापन से संबंधित हो या उत्पन्न हो सकता है; क्या ऐसा मुकदमा या कार्यवाही शुरू की गई है, या स्थापित की गई है, या ऐसा दावा या प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न हुआ है या ऐसा आवेदन कंपनी को समाप्त करने के आदेश से पहले या बाद में किया गया है या किया गया है, या कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1960 के प्रारंभ से पहले या बाद में किया गया है।

45 सीए 2013 की धारा 280 इस प्रकार प्रदान करती है: " 280. न्यायाधिकरण की अधिकारिता। - न्यायाधिकरण को, उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, (ए) कंपनी द्वारा या उसके खिलाफ कोई मुकदमा या कार्यवाही; (बी) कंपनी द्वारा या उसके खिलाफ किया गया कोई दावा, जिसमें भारत में उसकी किसी भी शाखा द्वारा या उसके खिलाफ दावे शामिल हैं; (सी) धारा 233 के तहत किया गया कोई आवेदन; (डी) धारा 262 के तहत प्रस्तुत की गई कोई योजना; (ई)

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

53. आई. बी. सी. की धारा 60 (5) के प्रावधानों की सी. ए. 1956 की धारा 446 (2) के साथ पाठ्य तुलना से कुछ समानताएं प्रकट होंगी -

अभिव्यक्ति, पाठ्य भिन्नताओं के साथ। वर्तमान कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए, यह ध्यान रखना पर्याप्त है कि धारा 60 (5) का खंड (सी) एन. सी. एल. टी. को किसी भी प्रश्न पर विचार करने या उसका निपटान करने का अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है।

प्राथमिकताएँ या कानून का कोई प्रश्न या इससे या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले तथ्य संहिता के तहत निगमित देनदार या निगमित व्यक्ति का दिवाला समाधान या परिसमापन कार्यवाही। सीए 1956 की धारा 446 (2) (डी) और सीए 2013 की धारा 280 (डी) प्राथमिकताओं के किसी भी प्रश्न के लिए अभिव्यक्ति का उपयोग करती है।

या कोई अन्य प्रश्न, चाहे वह कानून का हो या तथ्य का। ये शब्द आई. बी. सी. की धारा 60 (5) (सी) के प्रावधानों के साथ एक उल्लेखनीय समानता है। लेकिन विभिन्न अधिनियमों में पाठ्य रूप से समान भाषा होनी चाहिए

मूर्ति के संदर्भ और योजना में समझा गया जिसमें शब्द दिखाई देते हैं। एक अधिनियम में वैधानिक भाषा के लिए जिम्मेदार अर्थ और सामग्री को सभी परिस्थितियों में एक अलग, यदि नहीं, विदेशी मिट्टी में प्रत्यारोपित नहीं किया जा सकता है। क्योंकि, यह साधारण कानून है कि किसी कानून के शब्दों का अर्थ इस तरह से लगाया जाना चाहिए जो उन्हें एक विवेकपूर्ण अर्थ दे जो कानून की समग्र योजना, जिस संदर्भ में शब्दों का उपयोग किया जाता है और अंतर्निहित प्रावधान के उद्देश्य के अनुरूप हो। इसलिए, धारा 60 (5) का अर्थ लगाते समय, विश्लेषण के लिए एक प्रारंभिक बिंदु आई. बी. सी. के अधिनियमन के अंतर्निहित उद्देश्य के आधार पर संसदीय इरादे को समझना होना चाहिए। आई. बी. सी. के अधिनियमन से पहले के उद्देश्यों और कारणों का विवरण विधायिका के इरादे की एक मजबूत भावना को व्यक्त करता है। इसके अनुसार:

" भारत में दिवाला और दिवालियापन से संबंधित कोई एक भी कानून नहीं है। कंपनियों के लिए दिवालियापन और दिवालियापन से संबंधित प्रावधान बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कारण ऋण की वसूली अधिनियम, 1993, प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, 2002 और कंपनी अधिनियम, 2013 का प्रवर्तन। इन कानूनों में औद्योगिक बोर्ड जैसे कई मंचों के निर्माण का प्रावधान है।

प्राथमिकताओं का कोई प्रश्न या कोई अन्य प्रश्न, चाहे कानून या तथ्यों का हो, जिसमें परिसंपत्तियाँ, व्यवसाय, कार्य, अधिकार, अधिकार, अधिकार, विशेषाधिकार, लाभ, कर्तव्य, जिम्मेदारियाँ, दायित्व शामिल हैं या कंपनी को बंद करने से या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले में, क्या ऐसा

वाद या कार्यवाही शुरू की गई है या शुरू की गई है, या ऐसा दावा या प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न हुआ है या ऐसा आवेदन किया गया है।

कंपनी को बंद करने का आदेश दिए जाने से पहले या बाद में ऐसी योजना बनाई गई है या बनाई गई है या प्रस्तुत की गई है। ए. आर. ए. टी. उर्जा विकास निगम लिमिटेड।

वी. एम. आर. अमित गुप्ता और ओआरएस।

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

और वित्तीय पुनर्निर्माण (बी. आई. एफ. आर.), ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डी. आर. टी.) और राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. टी.) और उनके संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण। कंपनियों का परिसमापन उच्च न्यायालयों द्वारा किया जाता है। व्यक्तिगत दिवालियापन और दिवालियापन से प्रेसीडेंसी टाउन दिवालियापन अधिनियम, 1909 और प्रांतीय दिवालियापन अधिनियम, 1920 के तहत निपटा जाता है और अदालतों द्वारा निपटा जाता है।

दिवाला और दिवालियापन के लिए मौजूदा ढांचा है -

अपर्याप्त, अप्रभावी और समाधान में अनुचित देरी के परिणामस्वरूप,

इसलिए, प्रस्तावित कानून।

2. दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2015 का उद्देश्य पुनर्गठन और विकास से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करना है।

उद्यमिता, ऋण की उपलब्धता को बढ़ावा देने और सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करने के लिए ऐसे व्यक्तियों की परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने के लिए समयबद्ध तरीके से निगमित व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों का दिवालिया समाधान।

सरकारी देय राशि के भुगतान की प्राथमिकता में परिवर्तन और

एक दिवाला और दिवालियापन कोष की स्थापना, और मामले

और विकास। 3. संहिता एन. सी. एल. टी. और डी. आर. टी. को निगमित व्यक्तियों और फर्मों के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के रूप में नामित करने का प्रावधान करती है।

और दिवाला, परिसमापन और दिवालियापन के समाधान के लिए क्रमशः व्यक्ति। संहिता वाणिज्यिक पहलुओं को अलग करती है -

और दिवाला पेशेवरों, दिवाला पेशेवर एजेंसियों और सूचना के विनियमन के लिए भारतीय दिवालियापन बोर्ड (बोर्ड) उपयोगिताएँ। बोर्ड की स्थापना होने तक, केंद्र सरकार बोर्ड की सभी शक्तियों का

प्रयोग करेगी या बोर्ड की शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करने के लिए किसी भी वित्तीय क्षेत्र के नियामक को नामित करेगी।

दिवाला पेशेवर संहिता में परिकल्पित दिवाला समाधान, परिसमापन और दिवालियापन कार्यवाही को पूरा करने में सहायता करेंगे। सूचना उपयोगिताएँ इस तरह की कार्यवाही को सुविधाजनक बनाने के लिए वित्तीय जानकारी एकत्र करेंगी, एकत्रित करेंगी, प्रमाणित करेंगी और प्रसारित करेंगी।

संहिता में एक कोष स्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिसे कहा जाएगा

निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए भारत की दिवाला और दिवालियापन निधि

कोड में।"

54. आई. बी. सी. के अधिनियमन के लिए कानून की स्थिति से उभरने वाले मुख्य पहलुओं को इस प्रकार तैयार किया जा सकता है:

इससे निपटने के लिए कई तरह के कानून थे

((i)

दिवालियापन और दिवालियापन;

((ख)

विधानों की बहुलता ने अनेकता का निर्माण किया

के लिए;

दिवाला और दिवालियापन से संबंधित प्रावधान

(iii)

कंपनियों को एस. आई. सी. ए., बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कारण ऋण की वसूली अधिनियम, 199346, वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 200247 और

सी. ए. 2013;

((iv) की स्थापना के लिए उपबंधित उपरोक्त कानून

बी. आई. एफ. आर., ऋण वसूली न्यायाधिकरण 48, एन. सी. एल. टी. और अपीलीय न्यायाधिकरण सहित न्यायनिर्णायक निकायों की बहुलता;

जबकि कंपनियों के परिसमापन पर निर्णय लिया गया था

(v)

कंपनी अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालयों द्वारा,

व्यक्तिगत दिवालियापन राष्ट्रपति द्वारा शासित था नगर दिवाला अधिनियम, 1909 और पी. आई. ए.;

(vi) आई. बी. सी. से पहले शासन में कानून और मंचों की बहुलता ने दिवाला और दिवालियापन के लिए एक रूपरेखा तैयार की।

जो अपर्याप्त और अप्रभावी था, और जिसके परिणामस्वरूप अनुचित था

देरी;

(vii) आई. बी. सी. को लागू करने का अंतर्निहित उद्देश्य और उद्देश्य दिवाला और दिवालियापन का समय पर समाधान सुनिश्चित करना था।

जो होगा:

परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करना;

(अ)

उद्यमिता को बढ़ावा देना;

(ख)

(ग) ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाना;

" आरडीडीबी "

" सर्फेसी "

" डी. आर. टी. "9 जरात उर्जा विकास निगम लिमिटेड। वी. एम. आर. अमित गुप्ता और ओआरएस।

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

(घ) ऋण बाजारों के विकास में सहायता करना; और

(ई) सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करना।

(viii) उपरोक्त पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, आई. बी. सी., जो एक समेकित और संशोधनकारी क़ानून है, अधिनियमित किया गया;

और

(ix) आई. बी. सी., अतीत से एक स्पष्ट प्रस्थान में, दिवाला और दिवालियापन के वाणिज्यिक पहलुओं को अलग करता है।

न्यायिक पहलुओं से कार्यवाही।

55. स्विस रिबन (ऊपर) में इस न्यायालय के निर्णय में, जहाँ

कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता के लिए खतरा था

न्यायमूर्ति आर. एफ. नरीमन के फैसले में एक खंड है जिसका शीर्षक है

लॉग: कानून की पूर्व-विद्यमान स्थिति "। पूर्ववर्ती शासन में कई विधियों और मंचों से उत्पन्न समस्याओं को दिवालियापन कानून सुधार समिति (2015) की रिपोर्ट में शामिल किया गया था।

आरसी "):

दिवाला के तहत देनदार को विभिन्न अधिनियमों के तहत प्रदान किया जाता है। यह समस्याग्रस्त है कि इन विभिन्न कानूनों को विभिन्न न्यायिक मंचों पर लागू किया जाता है। न्यायाधिकरण/बी. आई. एफ. आर. में निर्णय लिए जाने वाले मामले अक्सर उच्च न्यायालयों में समीक्षा के लिए आते हैं। यह समाधान ढांचे के कार्यान्वयन में दो प्रकार की समस्याओं को जन्म देता है। पहला अधिकार क्षेत्र की स्पष्टता की कमी है। ऐसी स्थिति में जहाँ

एक मंच लेनदार के अधिकारों से संबंधित मामलों पर निर्णय लेता है, जबकि दूसरा ऋणदाता के अधिकारों से संबंधित मामलों पर निर्णय लेता है, निर्णयों के खिलाफ आसानी से अपील की जाती है और या तो उच्च न्यायालय में रोक लगाई जाती है या पलट दिया जाता है। आदर्श रूप से, यदि आर्थिक मूल्य को वास्तव में संरक्षित किया जाना है, तो एक ही मंच होना चाहिए जो मामले के दोनों पक्षों को सुने और दोनों के आधार पर निर्णय ले। दूसरी समस्या कई न्यायिक मंचों की समस्याओं को बढ़ा देती है। दिवाला से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने के लिए सौंपे गए मंच

और दिवालियापन के पास ऐसे मामलों पर निर्णय लेने के लिए व्यवसाय या वित्तीय विशेषज्ञता, जानकारी या बैंडविड्थ नहीं हो सकता है। यह एक परिणाम पर पहुंचने में देरी और विस्तार की ओर ले जाता है, और परिणाम की अपील के लिए भेद्यता को बढ़ाता है।

खंडित और विपरीत परिणाम, ". [2021] 13 एस. सी. आर.

"देनदार और लेनदार के नेतृत्व में कॉर्पोरेट दिवालियापन की प्रक्रिया" थी।

इसके परिणामस्वरूप "सुसंगत और सुसंगत. पूर्ववर्ती" के बजाय खंडित और विपरीत परिणामों का एक मैट्रिक्स बन गया।

56. बी. एल. आर. सी. ने नोट किया कि दिवालियापन संहिता के काम करने के लिए गति महत्वपूर्ण है। लेनदारों के दृष्टिकोण से, एक अच्छा

आई. बी. सी. का ध्यान निगम का पुनरुद्धार और निरंतरता सुनिश्चित करना है। ऋणी। निगमित देनदार के हितों को विभाजित किया गया है और प्रबंधन में व्यक्तियों के हितों से अलग किया गया है। आई. बी. सी. में निर्धारित समय-सीमा का उद्देश्य निगमित देनदार का पुनरुत्थान सुनिश्चित करना है।

57. आई. बी. सी. का अधिनियमन महत्वपूर्ण रूप से अतीत से एक विराम है। आई. बी. सी. के प्रावधानों की व्याख्या करते समय, यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि जिस शासन में संसद ने कमी पाई और जो नए कानून के अधिनियमन का मूल कारण था, उसे पिछले दरवाजे से कपटपूर्ण कानूनी व्याख्या की प्रक्रिया द्वारा नहीं लाया गया है। हालाँकि, इसका यह कहना नहीं है कि आई. बी. सी. के अधिनियमन से पहले मौजूद वैधानिक प्रावधानों को दी गई व्याख्या

पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। ऐसे वैधानिक प्रावधानों को दी गई व्याख्या जो लिखित रूप से धारा 60 (5) (सी) के समान हैं, वे प्रासंगिक हो सकते हैं, बशर्ते कि ऐसी व्याख्या आई. बी. सी. को लागू करने के उद्देश्य से हो, यानी, अन्य बातों के साथ-साथ, मंचों की बहुलता से बचना और दिवाला प्रक्रिया का समय पर समाधान।

58. सुदर्शन चिट्स (आई) लिमिटेड बनाम ओ सुकुमारन पिलर 52 में, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि सीए 1956 की धारा 446 (2) का उद्देश्य कंपनी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाना था ताकि कार्यवाही, देरी और महंगे मुकदमेबाजी से बचा जा सके। न्यायालय न्यायमूर्ति डी. ए. देसाई के माध्यम से बोल रहा था:

49 49 मद्रास पेट्रोकेमिकल सीमित। बी. आई. एफ. आर. बनाम (2016) 4 एससीसी 1 50 इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज बनाम आईसीआईसीआई बैंक: (2018) 1 एस. सी. सी. 407; इसके बाद "अभिनव उद्योग" के रूप में संदर्भित किया जाता है।

51 आर्सेलर मित्तल (इंडिया) (प्राइवेट) लिमिटेड। बनाम सतीश कुमार गुप्ता: (2019) 2 एस. सी. सी. 1; इसके बाद "आर्सेलर मित्तल" के रूप में संदर्भित

52 (1984) 4 एस. सी. सी. 657 गुजरात उर्जा विकास निगम लिमिटेड। वी. एम. आर. अमित गुप्ता और ओआरएस।

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

अदालत ने कंपनी को बंद कर दिया ताकि निपटान को सुविधाजनक बनाया जा सके बंद करने की कार्यवाही। कंपनी को बचाने के लिए जो है

इस प्रोलिक्स और महंगे मुकदमे से समाप्त होने का आदेश दिया गया

और समापन कार्यवाही के निपटारे में तेजी लाने के लिए, संसद ने एक सस्ता और संक्षिप्त उपाय तैयार किया

अदालत का अधिकार क्षेत्र कंपनी को मनोरंजन के लिए बंद कर रहा है

कंपनी के पक्ष और विपक्ष में दावों के संबंध में याचिकाएं। यह

धारा 446 (2) को लागू करने के पीछे का उद्देश्य था और इसलिए, यह

न्यायालय के हाथों ऐसा निर्माण प्राप्त करना चाहिए जो

वस्तु को आगे बढ़ाएँ और किसी भी तरह से इसे विफल न करें "

59. पी. आई. ए. की धारा 4 (1) के संबंध में समान शब्दों का उपयोग किया गया

आई. बी. सी. की धारा 60 (5) के रूप में दिवाला न्यायालय की अधिकारिता। पी. आई. ए. की धारा 4 (1) में प्रावधान किया गया है:

" धारा 4-उत्पन्न होने वाले सभी प्रश्नों पर निर्णय लेने की न्यायालय की शक्ति दिवालियापन में

(1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, न्यायालय के पास पूरा अधिकार होगा

सभी प्रश्नों को तय करने की शक्ति, चाहे शीर्षक या प्राथमिकता के, या किसी भी प्रश्न के प्रकृति जो भी हो, और चाहे कानून के मामले शामिल हों या

तथ्य, जो दिवालिया होने के किसी भी मामले में उत्पन्न हो सकता है न्यायालय का संज्ञान, या जिसे न्यायालय इसे मान सकता है

पूर्ण करने के उद्देश्य से निर्णय लेना समीचीन या आवश्यक

ऐसे किसी भी मामले में न्याय या संपत्ति का पूर्ण वितरण करना।

मामला "।

(जोर दिया गया)

60. थम्पनूर रवि में इस न्यायालय की तीन अन्य न्यायाधीशों की पीठ

बनाम चारुपारा रवि 53 ने अभिनिर्धारित किया कि उच्च न्यायालय के पास यह निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है कि क्या कोई व्यक्ति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत दायर एक चुनाव याचिका में पी. आई. ए. के तहत गठित दिवालिया अदालत को प्रदत्त विशेष अधिकार क्षेत्र को देखते हुए एक अविमुक्त दिवालिया है। न्यायमूर्ति एस. राजेंद्र बाबू ने कहा:

" 11 ..... दिवाला अधिनियम एक पूर्ण संहिता और निर्धारण है

दिवाला से संबंधित सभी प्रश्नों के बारे में एक प्रश्न सहित

चाहे (1) कोई व्यक्ति दिवालिया हो या नहीं, या (2) दिवालिया हो।

छुट्टी दी गई या नहीं और किन शर्तों के अधीन, तय किया जा सकता है

केवल उस अधिनियम के तहत गठित न्यायालय द्वारा।

53 (1999) 8 एससीसी 74 [2021] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

13. वर्तमान मामले में, जैसा कि हमने पहले योजना की व्याख्या की है

दिवाला अधिनियम के प्रावधानों के बारे में, अनन्य अधिकार क्षेत्र

दिवाला से संबंधित किसी भी प्रश्न से निपटने के लिए

एक सवाल का फैसला करें कि क्या कोई व्यक्ति निर्विकार है दिवालिया या नहीं। मान लीजिए, इस मामले में ऐसा कोई नहीं है।

न्यायनिर्णयन। इसलिए उच्च न्यायालय अपीलार्थी को घोषित नहीं कर सका

एक 'अविमुक्त दिवालिया' होना।

61. बी. आर. ए. की धारा 45-बी धारा के समान भाषा का उपयोग करती है।

आई. बी. सी. बी. आर. ए. की धारा 45-बी प्रदान करती है:

" धारा 45 बी-उच्च न्यायालय की सभी दावों पर निर्णय लेने की शक्ति

बैंकिंग कंपनियों का सम्मान

उच्च न्यायालय, अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए प्रावधान को छोड़कर, धारा 45 सी के पास मनोरंजन और निर्णय लेने के लिए अनन्य अधिकार क्षेत्र है

किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध किया गया कोई दावा जो

भारत) या कंपनियों की धारा 39 के तहत किया गया कोई भी आवेदन अधिनियम, 1956 किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा या उसके संबंध में या कोई प्रश्न

प्राथमिकताओं या किसी अन्य प्रश्न का, चाहे वह कानून का हो या

सनक [sic तथ्य] जो संबंधित हो सकता है या के दौरान उत्पन्न हो सकता है

किसी बैंकिंग कंपनी का समापन, चाहे वह ऐसा दावा हो या प्रश्न उठा है या उत्पन्न हुआ है या ऐसा आवेदन किया गया है

या समापन के लिए आदेश की तारीख से पहले या बाद में किया जाता है

बैंकिंग कंपनी की शुरुआत से पहले या बाद में

बैंकिंग कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1953 (1953 का 52)।"

(जोर दिया गया)

62. धीरेंद्र चंद्र पाल बनाम एसोसिएटेड बैंक ऑफ त्रिपुरा

4 , इस न्यायालय की चार न्यायाधीशों की पीठ ने धारा के दायरे की जांच की

न्यायमूर्ति बी. जगन्नाथ ने टिप्पणी की:

धन की वसूली या चल संपत्ति की वसूली के लिए दावे या अचल, लेकिन सभी प्रकार के दावों को समझता है जो संबंधित हैं

या समाप्त होने के दौरान उत्पन्न होता है।

1955 एससी213 गुजरात उर्जा विकास निगम लिमिटेड। वी. एम. आर. अमित गुप्ता और ओआरएस।

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

63. उपरोक्त निर्णय निस्संदेह इस संबंध में थे -

अलग-अलग कानूनों के तहत परिसमापन और दिवाला कार्यवाही के संबंध में न्यायालयों की अधिकारिता। लेकिन दिवाला समाधान प्रक्रिया से या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले मामलों पर निर्णय लेने के लिए आई. बी. सी. के तहत एक विशेष निकाय की स्थापना के लिए कई मंचों, त्वरित निपटान और मुकदमेबाजी की लागतों से बचने जैसे विचार भी जिम्मेदार होंगे।

64. इस संदर्भ में, इतिहास का पता लगाना उपयोगी होगा

एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी., जो दिवालियापन से संबंधित सभी मुद्दों से निपटने के लिए सशक्त हैं, विशेष रूप से कई मंचों से बचने के उद्देश्य से। न्याय इराडी समिति का गठन विभाग द्वारा किया गया था कंपनी मामलों में पारदर्शिता बढ़ाने और कंपनियों के परिसमापन में देरी को कम करने के लिए कंपनियों को बंद करने पर मौजूदा कानून में सुधार पर सिफारिशें करना। दिवाला और कंपनियों के समापन (2000) से संबंधित कानून पर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि:

..... एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण की स्थापना की आवश्यकता है

पुनर्वास से संबंधित मामलों से निपटने के लिए विशेष एजेंसी,

मामलों से निपटने के लिए अधिकार क्षेत्र और शक्तियां प्रदान की गई वर्तमान में कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत

कंपनी विधि बोर्ड; अधिकार क्षेत्र, शक्ति और प्राधिकरण

उच्च के साथ निहित कंपनियों के समापन से संबंधित

अदालतें और पुनर्वास और पुनरुद्धार पर विचार करने की शक्ति वर्तमान में बी. आई. एफ. आर. में निहित कंपनियाँ। यह सुझाव

समिति भाग वी. यू. के प्रावधानों में संशोधन करेगी।

बीमार औद्योगिक को निरस्त करने के अलावा कंपनी अधिनियम, 1956 कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 और धारा में संशोधन

10 वर्तमान कंपनी कानून से संबंधित कंपनी अधिनियम का ई

बोर्ड। उच्च न्यायालयों में लंबित सभी मौजूदा मामले और

कंपनी विधि बोर्ड को न्यायाधिकरण में स्थानांतरित किया जा सकता है और

बी. आई. एफ. आर./ए. ए. एफ. आई. आर. के समक्ष लंबित संदर्भ समाप्त हो जाएंगे।

(जोर दिया गया)

65. उपरोक्त रिपोर्ट पर इस न्यायालय के फैसले में चर्चा की गई थी।

भारत संघ बनाम आर. गांधी, अध्यक्ष, मद्रास बार एसोसिएशन 55 में एक संविधान पीठ ने नोट किया कि समिति की सिफारिशें 55 (2010) 11 एससीसी 1 [2021] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सरकार द्वारा स्वीकार किया गया, जिसने उच्च न्यायालयों द्वारा किए जा रहे कार्यों को स्थानांतरित करने के लिए एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. की स्थापना की।

कंपनी विधि बोर्ड, बी. आई. एफ. आर. और औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण के लिए अपीलीय प्राधिकरण को एक ही मंच पर रखा गया है ताकि कई मंचों पर लंबे समय तक चलने वाले मुकदमेबाजी से बचा जा सके। न्यायमूर्ति आर. वी. रवींद्रन ने टिप्पणी की:

कम्पनियों का विघटन। यह भी पाया गया कि अलग कंपनियों से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों से निपटने वाली एजेंसियां,

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण के लिए बोर्ड

(बी. आई. एफ. आर.) और औद्योगिक और वित्तीय अपीलीय प्राधिकरण पुनर्निर्माण (ए. ए. आई. एफ. आर.) संबंधित संदर्भों से संबंधित

उच्च न्यायालयों ने कंपनियों के पुनर्वास और पुनरुद्धार पर विचार किया

कम्पनियों और कम्पनी विधि बोर्ड के समापन के साथ

(सी. एल. बी.) की रोकथाम से संबंधित मामलों से निपटा गया

उत्पीड़न और कुप्रबंधन आदि। औद्योगिक रूप से उन्नत देशों में प्रचलित कॉर्पोरेट दिवालियापन पर कानूनों को ध्यान में रखते हुए,

समिति ने इस संबंध में विभिन्न संशोधनों की सिफारिश की राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधान जो कंपनी की शक्तियों को जोड़ेंगे।

कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत सी. एल. बी., बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के तहत बी. आई. एफ. आर. और ए. ए. आई. एफ. आर. के साथ-साथ वर्तमान में बंद करने से संबंधित अधिकार क्षेत्र और शक्तियां भी।

उच्च न्यायालयों में निहित।

4. यह कहा गया है कि एराडी समिति की सिफारिशों को सरकार और कंपनी द्वारा स्वीकार कर लिया गया था (दूसरा

संशोधन) अधिनियम, 2002 पारित किया गया था जिसमें सी. एल. बी., बी. आई. एफ. आर., ए. ए. आई. एफ. आर. और उच्च न्यायालयों द्वारा किए जा रहे कार्यों को संभालने के लिए एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. की स्थापना का प्रावधान था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. की स्थापना के निम्नलिखित लाभकारी प्रभाव होंगेः (i) लंबित मामलों को कम करना और समापन प्रक्रिया की अवधि को 20 से घटाकर लगभग दो साल करना; (ii) विभिन्न मंचों (उच्च न्यायालयों और सी. एल. बी., बी. आई. एफ. आर. और ए. ए. आई. एफ. आर. जैसे अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों) के समक्ष मुकदमेबाजी की बहुलता से बचना क्योंकि सभी की सुनवाई और निर्णय एन. सी. एल. टी. द्वारा किया जा सकता है; (iii) अपीलों को एन. सी. एल. टी. के आदेश के खिलाफ विशेष रूप से एन. सी. एल. टी. से उत्पन्न मामलों के लिए समर्पित एक अपीलीय न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) को दी गई अपील के साथ सुव्यवस्थित किया जाएगा, जिसमें ए. आर. ए. टी. यू. आर. जे. ए. विकास निगम लिमिटेड को एक और अपील की जाएगी।

वी. एम. आर. अमित गुप्ता और ओआरएस।

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

सर्वोच्च न्यायालय केवल कानून के बिंदुओं पर, जिससे कम हो जाता है

अपीलों में विलम्ब; और (iv) के समक्ष लंबित मामलों के संबंध में कंपनी विधि बोर्ड और पहले से लंबित सभी समापन मामले

उच्च न्यायालयों को एन. सी. एल. टी. में स्थानांतरित किया जा रहा है, उच्च न्यायालयों पर बोझ

अदालतों को कम किया जाएगा और बीआईएफआर और एएआईएफआर को समाप्त किया जा सकता है।

(जोर दिया गया)

66. आई. बी. सी. एक सुधार था जिसे कई माध्यमों से आसुत किया गया था।

निट्टी रिपोर्ट, सबसे महत्वपूर्ण रूप से बी. एल. आर. सी. की रिपोर्ट, जिसमें कहा गया है कि इससे संबंधित पहले का संस्थागत ढांचा

कंपनियों का निगमन और परिसमापन जारी रहना चाहिए रिपोर्ट में कहा गया है:

इसके अलावा, वर्तमान कानून के अनुसार, एक बार परिसमापन या दिवालियापन का आदेश दिए जाने के बाद, एन. सी. एल. टी. या डी. आर. टी. की छुट्टी होगी - किसी भी लंबित मुकदमे या कार्यवाही के साथ आगे बढ़ने या ऋणी फर्म या व्यक्ति द्वारा या उसके खिलाफ कोई नया मुकदमा या कार्यवाही दायर करने के लिए आवश्यक है। यह परिसमापन या दिवालियापन प्रक्रिया की पवित्रता सुनिश्चित करेगा। एन. सी. एल. टी. या डी. आर. टी. को भी होना चाहिए

ऋणदाता कंपनी या व्यक्ति द्वारा या उसके विरुद्ध किसी लंबित या नए मुकदमे या कानूनी कार्यवाही को स्वीकार करने और निपटाने की अधिकारिता; परिसमापन के संबंध में प्राथमिकताओं या किसी अन्य प्रश्न, चाहे वह कानून या तथ्यों का हो, या

दिवालियापन। उन सभी मुकदमों को लाकर जिनका देनदार फर्म के आर्थिक मूल्य पर मौद्रिक प्रभाव पड़ सकता है या

एन. सी. एल. टी. के अधिकार क्षेत्र के भीतर व्यक्ति की परिसंपत्तियों, परिसमापन या दिवालियापन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और कुशल बनाया जाएगा।

4.21 फर्म दिवाला पर न्यायाधिकरण का अधिकार क्षेत्र और

परिसमापन कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. टी.) के पास कंपनियों के समापन और परिसमापन का अधिकार क्षेत्र है। एन. सी. एल. ए. टी. को एन. सी. एल. टी. पर अपीलीय अधिकार क्षेत्र दिया गया है। इसी तरह, सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 भी विघटन और समापन के लिए एन. सी. एल. टी. को अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है।

सीमित देयता भागीदारी, जबकि अपीलीय अधिकार क्षेत्र निहित है [2021] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

NCLAT के साथ। समिति ने इसे जारी रखने की सिफारिश की है

यह मौजूदा संस्थागत व्यवस्था है। एनसीएलटी को होना चाहिए

फर्म दिवाला से उत्पन्न होने वाले निर्णयों पर अधिकार क्षेत्र

और परिसमापन, जबकि एन. सी. एल. ए. टी. का अपीलीय अधिकार क्षेत्र होगा

उसी पर "।

(जोर दिया गया)

67. आई. बी. सी. के तहत संस्थागत ढांचे ने विचार किया

दिवाला के मामलों से निपटने के लिए एक एकल मंच की स्थापना, जो पहले कई मंचों पर वितरित किए गए थे। दिवालियापन से संबंधित मामलों पर विशेष अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले न्यायालय की अनुपस्थिति में, कॉर्पोरेट देनदार को विभिन्न मंचों पर कई कार्यवाहियों को दायर करना होगा और/या उनका बचाव करना होगा। इन कार्यवाहियों के कारण निचली अदालतों और अपील की अदालतों में कई कार्यवाहियों के कारण दिवाला समाधान प्रक्रिया में अनुचित देरी हो सकती है। दिवाला प्रक्रिया को पूरा करने में देरी से देनदार की संपत्ति का मूल्य कम हो जाएगा और संभावनाओं में बाधा आएगी।

एक सफल पुनर्गठन या परिसमापन। दिवाला व्यवस्था की सफलता के लिए, यह आवश्यक है कि दिवाला कार्यवाही को समय पर, प्रभावी और कुशल तरीके से निपटाया जाए। इस विषय को अभिनव (ऊपर) में आगे बढ़ाते हुए इस अदालत ने कहा कि "संहिता के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक भारत में दिवाला कानून को एक एकीकृत छत्र के तहत लाना है जिसका उद्देश्य दिवाला प्रक्रिया को तेज करना है।" आर्सेलर मित्तल (उपरोक्त) में इस सिद्धांत को दोहराया गया था जहां इस अदालत ने कहा था कि धारा 60 (5) में गैर-अबाधित खंड एक अलग उद्देश्य के लिए बनाया गया है: यह सुनिश्चित करने के लिए कि अकेले एन. सी. एल. टी. का अधिकार क्षेत्र है

जब किसी निगम द्वारा या उसके विरुद्ध आवेदनों और कार्यवाही की बात आती है

संहिता द्वारा कवर किए गए देनदार, यह स्पष्ट करते हुए कि किसी अन्य मंच के पास ऐसे आवेदनों या कार्यवाही को स्वीकार करने या निपटाने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। इसलिए, धारा 60 (5) (सी) के पाठ और अन्य दिवाला संबंधी कानूनों में इसी तरह के प्रावधानों की व्याख्या पर विचार करते हुए, एनसीएलटी ने

विवादों का न्यायनिर्णयन करने की अधिकारिता, जो केवल उनसे उत्पन्न होते हैं या जो संबंधित होते हैं

निगमित देनदार की दिवालियापन के लिए। हालांकि, ऐसा करते हुए, हम एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. को यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी का एक नोट जारी करते हैं कि वे अन्य अदालतों, न्यायाधिकरणों और मंचों के वैध अधिकार क्षेत्र को हड़प न लें।

जब विवाद वह हो जो केवल निगमित देनदार की दिवालियापन से उत्पन्न नहीं होता है या उससे संबंधित नहीं है। निगमित देनदार की दिवालियापन के साथ सांठगांठ मौजूद होनी चाहिए।

गुजरात उर्जा विकास निगम लिमिटेड। वी. एमआर। अमित गुप्ता और ओआरएस।

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

68. की रिपोर्ट में टिप्पणियों का उल्लेख करना उचित है

बी. एल. आर. सी. ने निम्नलिखित शब्दों में सी. आई. आर. पी. के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के रूप में एन. सी. एल. टी. की भूमिका का उल्लेख किया:

" एक न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का पालन सुनिश्चित करता है

प्

रक्रिया

सभी बिंदुओं पर, प्रक्रिया और अनुपालन का पालन

सभी लागू कानूनों को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित किया जाता है। द.

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी दिवाला पेशेवर को शक्तियाँ देता है।

प्रक्रिया के दौरान सभी भौतिक कार्यों और घटनाओं को दर्ज किया जाता है। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी में। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी मूल्यांकन कर सकता है

और तुच्छ आवेदनों को दंडित करना। न्यायनिर्णायक सुनता है

प्रक्रिया के दौरान उल्लंघन और धोखाधड़ी के आरोप। द.

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी धोखाधड़ी पर निर्णय लेंगे, विशेष रूप से इस अवधि के दौरान

दिवालियापन को हल करने की प्रक्रिया। के खिलाफ अपील/कार्रवाई

नियामक/न्यायनिर्णायक "।

इस प्रकार, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि एन. सी. एल. टी. का अधिकार क्षेत्र

आई. बी. सी. के तहत इसके लिए परिकल्पित पर्यवेक्षी भूमिका द्वारा हमेशा सीमित किया जाएगा, जो प्रशिक्षित समाधान पेशेवरों द्वारा संचालित प्रक्रिया बनाने का प्रयास करती है।

69. वर्तमान मामले में, पी. पी. ए. को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था

कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ। निगमित ऋणदाता के दिवालिया होने के अभाव में, पी. पी. ए. को समाप्त करने का कोई आधार नहीं होगा। समाप्ति दिवालियापन से स्वतंत्र आधार पर नहीं है। वर्तमान में विवाद केवल निगमित देनदार की दिवालियापन से उत्पन्न होता है और उससे संबंधित होता है।

70. सुश्री रामचंद्रन और श्री दीवान ने तर्क दिया है कि सीए

1956 , पी. आई. ए. और बी. आर. ए. में आई. बी. सी. की धारा 25 (2) (बी) और 18 (एफ) (vi) के समतुल्य कोई प्रावधान नहीं है जो आर. पी. को कुछ निर्णयों में निगमित देनदार के लाभ के लिए अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार देता है।

कार्यवाही। उनका कहना है कि आई. बी. सी. की धारा 60 (5) (सी) को धारा 25 (2) (बी) और 18 (एफ) (आई. वी.) के अनुरूप पढ़ा जाना चाहिए, जिसे निरर्थक माना जाएगा यदि एन. सी. एल. टी. इसके लिए विशेष मंच बन जाता है।

निगमित देनदार के सभी अधिकारों का प्रवर्तन। आई. बी. सी. की धारा 25 (2) (बी) प्रदान करती है:

" धारा 25-समाधान पेशेवर के कर्तव्य

(2) उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए समाधान पेशेवर निम्नलिखित कार्य करेगा, अर्थात्:

(बी) तीसरे पक्ष के साथ कॉर्पोरेट देनदार की ओर से प्रतिनिधित्व करें और कार्य करें, न्यायिक, अर्ध-न्यायिक या मध्यस्थता कार्यवाही में कॉर्पोरेट देनदार के लाभ के लिए अधिकारों का प्रयोग करें;

धारा 18 (च) (vi) प्रदान करती है:

" धारा 18-अंतरिम समाधान पेशेवर के कर्तव्य

अंतरिम समाधान पेशेवर निम्नलिखित कार्य करेगा:

कर्तव्य, अर्थात्:

(च) किसी भी परिसंपत्ति का नियंत्रण और अभिरक्षा लेना, जिस पर निगमित देनदार के स्वामित्व अधिकार हैं, जैसा कि निगमित देनदार की तुलनपत्र में दर्ज है, या सूचना उपयोगिता या प्रतिभूतियों के डिपॉजिटरी या किसी अन्य रजिस्ट्री के साथ जो परिसंपत्तियों के स्वामित्व को दर्ज करता है, जिसमें शामिल हैं -

.....

((vi) अदालत द्वारा स्वामित्व के निर्धारण के अधीन परिसंपत्तियाँ या

अधिकार; "

71. हम श्री सिंह की इस दलील से सहमत हैं कि केवल इसलिए कि आई. आर. पी. या आर. पी. पर शुल्क लगाया गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि एन. सी. एल. टी. का अधिकार क्षेत्र आई. बी. सी. की धारा 60 (5) (सी) के तहत सीमित है। एम्बेसी प्रॉपर्टी (ऊपर) में, यह तर्क दिया गया था कि आई. बी. सी. की धारा 3 (27) के तहत "संपत्ति" शब्द में सरकार द्वारा दिया गया खनन पट्टा शामिल है और आई. आर. पी. आई. बी. सी. की धारा 20 (1) के तहत कॉर्पोरेट देनदार की संपत्ति के मूल्य को संरक्षित करने के लिए बाध्य है। इसलिए, निवेदन यह था कि आर. पी. पट्टे के विस्तार से संबंधित विवाद पर निर्णय लेने के लिए एन. सी. एल. टी. के अधिकार क्षेत्र का आह्वान कर सकता है। हालाँकि, न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यन ने इस न्यायालय की ओर से बोलते हुए कहा कि "उक्त तर्क को इस सरल कारण से कायम नहीं रखा जा सकता है कि एक समाधान पेशेवर के कर्तव्य एन. सी. एल. टी". 56 के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों से पूरी तरह से अलग हैं।

56 दूतावास संपत्ति (ऊपर), पैरा 39।

72. इसलिए हमारा मानना है कि आर. पी. दिवाला समाधान से संबंधित विवादों के निर्णय के लिए एन. सी. एल. टी. से संपर्क कर सकता है।

प्रक्रिया। तथापि, निगमित ऋणदाता के दिवालिया होने से उत्पन्न होने वाले विवादों के निर्णय के लिए, आर. पी. को संबंधित से संपर्क करना चाहिए

सक्षम प्राधिकारी। उदाहरण के लिए, यदि वर्तमान मामले में विवाद बिजली की आपूर्ति न होने से संबंधित है, तो आर. पी. आई. बी. सी. के तहत एन. सी. एल. टी. के अधिकार क्षेत्र को लागू करने का हकदार नहीं होता। हालाँकि, चूंकि वर्तमान मामले में विवाद पूरी तरह से कॉर्पोरेट देनदार की दिवालियापन के आधार पर उत्पन्न हुआ है, इसलिए एनसीएलटी को अधिकार प्राप्त है -

आई. बी. सी. की धारा 60 (5) (सी) के तहत इस विवाद पर निर्णय लें।

1.2 एन. सी. एल. टी. और जी. ई. आर. सी. का अधिकार क्षेत्र

73. अपीलार्थी की ओर से यह आग्रह किया गया है कि पी. पी. ए. के अनुच्छेद 10.4 के संदर्भ में जी. ई. आर. सी. संबंधित विवादों पर विचार करने का हकदार है।

पी. पी. ए. तक।

74. विद्युत अधिनियम की धारा 86 (1) (एफ) की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है, जिसमें यह प्रावधान है कि जी. ई. आर. सी. इस कार्य का निर्वहन करेगी।

"लाइसेंसधारियों और उत्पादन करने वाली कंपनियों के बीच विवादों का निर्णय लेना और किसी भी विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करना"। यह प्रस्तुत किया गया है कि इसलिए, पी. पी. ए. के संबंध में कोई भी मुद्दा पहले उठाया जाना चाहिए।

75. रिलायंस को दूतावास संपत्ति (ऊपर) में इस अदालत के फैसले पर भी रखा गया है, जहां इस अदालत ने कहा कि एनसीएलटी और कर्नाटक राज्य द्वारा खनन पट्टा बढ़ाने से इनकार करने के संबंध में खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत उत्पन्न विवाद पर एन. सी. एल. ए. टी. का अधिकार क्षेत्र नहीं था। अपने निर्णय पर आते समय इस न्यायालय के साथ प्राथमिक विचार यह था कि एन. सी. एल. टी. का सार्वजनिक कानून के मामलों पर अधिकार क्षेत्र नहीं हो सकता है। इस न्यायालय ने कहा:

" 37 ..... धारा 60 की उप-धारा (5) का खंड (सी) अपने विस्तार में बहुत व्यापक है, जिसमें यह कानून या तथ्य के किसी भी प्रश्न के बारे में बात करता है,

दिवाला समाधान से या उसके संबंध में उत्पन्न होना। लेकिन सार्वजनिक कानून के दायरे में आने वाले किसी मामले के संबंध में सरकार या किसी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा लिया गया निर्णय किसी भी तरह से नहीं लिया जा सकता है। कल्पना की दृष्टि से, उप-धारा (5) के खंड (ग) में दिखाई देने वाले वाक्यांश "दिवाला संकल्प से या उसके संबंध में उत्पन्न" के दायरे में लाया जाए।

वर्तमान मामले में पी. पी. ए. को समाप्त करने का निर्णय नहीं लिया गया है।

अपने सार्वजनिक कानून कार्यों के क्षेत्र के भीतर कार्य करने वाले किसी भी सरकारी या वैधानिक प्राधिकरण द्वारा लिया गया है। यह निर्णय केवल एक अनुबंधित पक्ष द्वारा दिवालिया होने की शुरुआत के कारण लिया गया है।

पार्टियों के बीच एक समझौते के संदर्भ में कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ कार्यवाही।

76. सुश्री रामचंद्रन और श्री दीवान ने अभिलाष लाल (उपरोक्त) मामले में इस अदालत के फैसले पर भी भरोसा किया है, जो ग्रेटर मुंबई नगर निगम की मंजूरी लेने से संबंधित है।

(" एमसीजीएम ") एक समाधान योजना को लागू करने के लिए। उस मामले में निगमित देनदार ने सी. आई. आर. पी. की शुरुआत से पहले एमसीजीएम के स्वामित्व वाली भूमि पर एक अस्पताल का निर्माण करने के अपने दायित्व के संबंध में चूक की थी, जिसके बाद एक पट्टा विलेख निष्पादित किया जाना था।

यह स्पष्ट रूप से वार्षिक पट्टे के किराए का भुगतान करने में भी विफल रहा था। इस संदर्भ में, न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट ने इस न्यायालय की ओर से बोलते हुए कहा कि:

" 47 ..... धारा 238 को एम. सी. जी. एम. के अधिकार पर हावी होने के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है-वास्तव में इसे नियंत्रित करने और विनियमित करने का इसका सार्वजनिक कर्तव्य है कि यह कैसे किया जाता है।

संपत्तियों से निपटा जाना है "। इसके अलावा, इस माननीय न्यायालय ने कहा कि "एम. एम. सी. अधिनियम की धारा 92 और 92 ए के संदर्भ में अनुमोदन के अभाव में, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण एम. सी. जी. एम. की आपत्तियों को खारिज नहीं कर सकता था और इसकी संपत्तियों और भूमि के संबंध में एक नए हित के निर्माण को सक्षम बना सकता था। फिर भी, संहिता के तहत अधिकारी उस नियंत्रण को रोक नहीं सकते थे जो एमसीजीएम के पास निस्संदेह कानून के तहत, विचाराधीन संपत्तियों और भूमि से निपटने के लिए है, जो निर्विवाद रूप से सार्वजनिक संपत्तियां हैं। इसलिए, समाधान योजना एमसीजीएम की स्वतंत्र योजनाओं के लिए एक गंभीर बाधा होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को उनके द्वारा चुने गए तरीके से विकसित किया जाए, और जिसके लिए एमएमसी अधिनियम के तहत एक अलग योजना के लिए नई मंजूरी मिल सकती है।

उस निगम (एमसीजीएम) द्वारा तैयार की गई योजना "

दूसरे शब्दों में, नगर निगम को अपनी संपत्तियों पर नियंत्रण रखने के लिए सौंपी गई वैधानिक शक्तियों को आई. बी. सी. की धारा 238 द्वारा ओवरराइड नहीं किया जाता है। एक बार फिर वर्तमान स्थिति यह है कि

अलग करने योग्य। अभिलाष लाल (ऊपर) में विचाराधीन अनुबंध को कॉर्पोरेट की दिवालियापन से असंबंधित चूक के कारण समाप्त कर दिया गया था।

ऋणी। वर्तमान मामले में, अपीलार्थी द्वारा निगमित देनदार को एकमात्र चूक यह थी कि यह एक दिवाला समाधान प्रक्रिया से गुजर रहा था, जो वर्तमान विवाद को आई. बी. सी. की धारा 60 (5) (सी) के तहत एन. सी. एल. टी. के अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी बनाता है।

ए. आर. ए. टी. उर्जा विकास निगम लिमिटेड। वी. एम. आर. अमित गुप्ता और ओआरएस।

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

77. आई. बी. सी. की धारा 238 में कहा गया है कि आई. बी. सी. कानूनों को दरकिनार कर देगा, जिसमें ऐसे किसी भी साधन का प्रभाव भी शामिल है, एन. सी. एल. टी. ने 29 अगस्त 2019 को अपने निर्णय में विस्तृत निष्कर्ष दिए।

ई मुद्दा कि क्या पी. पी. ए. आई. बी. सी. के 238 के अर्थ के भीतर एक साधन है। आई. बी. सी. की धारा 238 प्रदान करती है:

" धारा 238-इस संहिता के प्रावधान अन्य को ओवरराइड करते हैं

कानून

इस संहिता के प्रावधानों का प्रभाव होगा, इसके बावजूद कि उस समय लागू किसी अन्य कानून या किसी ऐसे कानून के आधार पर प्रभावी होने वाले किसी दस्तावेज में कुछ भी असंगत है। " एन. सी. एल. टी. के निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

" 19. धारा 238 के सरल पठन से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त धारा एक 'लिखत' पर भी लागू होती है। हालाँकि, हम पाते हैं कि आई. बी. सी. 2016 के तहत 'उपकरण' शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है।

20. यह जानने के लिए कि क्या बिजली खरीद समझौता (पी. पी. ए.) है

एक 'साधन' या नहीं, हमने धारा 3 के प्रावधानों का उल्लेख किया

(37) संहिता, जिसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है: " धारा 3 (37): भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872, भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932, प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के देय ऋणों की वसूली अधिनियम में उपयोग किए गए लेकिन इस संहिता में परिभाषित नहीं किए गए शब्द और अभिव्यक्तियाँ।

1993 , सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 और

कंपनी अधिनियम, 2013 का अर्थ उन अधिनियमों में क्रमशः दिया जाएगा।

21. हालाँकि, इन सभी अधिनियमों और सामान्य खंड अधिनियम 1897 की परिभाषा खंडों में, हम 'उपकरण' शब्द की परिभाषा खोजने में विफल रहे।

22. 'साधन' शब्द की व्याख्या के लिए, हमने, इसलिए, यह जांचना उचित समझा कि विधानमंडल ने कैसे परिभाषित किया है अन्य अधिनियमों में 'उपकरण' शब्द।

23 . यह पाते हुए कि पी. पी. ए. को स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया गया है, हमने भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 2 (14) का उल्लेख किया, जो इस प्रकार है:

" धारा 2 (14): " लिखत "-" लिखत "में प्रत्येक दस्तावेज शामिल है जिसके द्वारा कोई अधिकार या दायित्व है, या होना अभिप्रेत है, बनाया गया, स्थानांतरित किया गया, सीमित किया गया, विस्तारित किया गया, बुझा दिया गया या रिकॉर्ड किया गया।

24. 'उपकरण' शब्द की लगभग समान परिभाषा प्रदान की गई है।

नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 2 (बी) के तहत:

संशोधित, सीमित, विस्तारित, निलंबित, बुझाया या दर्ज किया गया;
25. इसके अलावा, बॉम्बे स्टाम्प एक्ट, 1958 इस शब्द को परिभाषित करता है।

' धारा 2 (1) में 'लिखत' निम्नानुसार है:

अधिकार या देयता है, या होने का तात्पर्य है, बनाया गया है, स्थानांतरित किया गया है, सीमित किया गया है, विस्तारित किया गया है, समाप्त किया गया है या दर्ज किया गया है, लेकिन इसमें विनिमय का बिल, चेक, वचन पत्र, लेडिंग का बिल, क्रेडिट का पत्र, बीमा पॉलिसी, शेयर का हस्तांतरण, डिबेंचर, प्रॉक्सी और रसीद; "

26. कि मरियम-वेबस्टर शब्दकोश शब्द को परिभाषित करता है

' वाद्य ', अन्य बातों के साथ, इस प्रकार:

" एक औपचारिक कानूनी दस्तावेज (जैसे एक विलेख, बांड या समझौता)

27. चूंकि, पार्टियों के अधिकारों और देनदारियों का निर्माण किया गया है

बिजली खरीद समझौता और ऐसा समझौता है

कानून द्वारा प्रवर्तनीय और अन्य बातों के साथ-साथ 'साधन' शब्द में एक 'समझौता' शामिल है, हमारा विचार है कि बिजली खरीद समझौता अर्थात पी. पी. ए. अनुभाग के उद्देश्य के लिए एक 'साधन' है।

238 आई. बी. सी. 2016 "

78. अपीलार्थी की ओर से यह आग्रह किया गया है कि धारा 238 किसी निगम के बीच द्वैपाक्षिक वाणिज्यिक अनुबंध पर लागू नहीं होती है।

देनदार और एक तीसरा पक्ष और केवल वैधानिक अनुबंधों पर लागू होता है या कानून के संचालन द्वारा प्रवेश किए गए उपकरण। इस प्रस्तुति का आधार यह है कि "उपकरण" शब्द का अर्थ इजस्डेम जेनरिस दिया जाना चाहिए।

"किसी अन्य कानून में निहित" प्रावधान के लिए। हम इस तर्क में बल नहीं पाते हैं। धारा 238 में यह नहीं कहा गया है कि "लिखत" को कानून के संचालन द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए; बल्कि यह कहा गया है कि लिखत का प्रभाव ऐसे किसी कानून के आधार पर है। दूसरे शब्दों में, साधन को किसी क़ानून का निर्माण होने की आवश्यकता नहीं है; यह एक कानून के आधार पर प्रवर्तनीय हो जाता है।

गुजरात उर्जा विकास निगम लिमिटेड। वी. एमआर। अमित गुप्ता और ओआरएस।

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

इसलिए, हम एन. सी. एल. टी. द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमत हैं। धारा 238 एक गैर-बाध्यकारी खंड द्वारा प्रस्तुत की गई है। वर्तमान मामले में एन. सी. एल. टी. के अधिकार क्षेत्र को लागू किया जा सकता है क्योंकि पी. पी. ए. को पूरी तरह से इस आधार पर समाप्त करने की मांग की गई थी कि निगमित देनदार आई. बी. सी. के तहत दिवालिया समाधान प्रक्रिया के अधीन हो गया था।

79. आई. बी. सी. की धारा 63 में प्रावधान है कि "किसी भी दीवानी अदालत या प्राधिकरण के पास किसी भी मुकदमे या कार्यवाही पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।

कोई भी मामला जिस पर राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण को इस संहिता के तहत अधिकार क्षेत्र प्राप्त है।

I. 3 धारा के तहत एन. सी. एल. टी. की अवशिष्ट अधिकारिता

80. प्रतिवादियों ने एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड बनाम सतीश के लेनदारों की समिति में इस अदालत के फैसले पर भरोसा किया है। कुमार गुप्ता 57, जहाँ इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि आई. बी. सी. की धारा 60 (5) (सी) "एन. सी. एल. टी. में निहित अवशिष्ट अधिकार क्षेत्र की प्रकृति में है ताकि

एन. सी. एल. टी. संहिता "58 के तहत दिवाला या परिसमापन से या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले कानून या तथ्य के सभी प्रश्नों पर निर्णय ले सकता है।

81. इस स्तर पर हम इस न्यायालय से निकलने वाले कुछ उदाहरणों पर जा सकते हैं जहां अवशिष्ट शक्तियों का एक वैधानिक प्रदान किया गया है

विश्लेषण किया गया। इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम, 1993 की धारा 12 की उप-धारा (जे) की व्याख्या करते हुए रेमदेव चौहान बनाम बानी कांत दास 5 9 59 में अवशिष्ट शक्तियों की रूपरेखा पर चर्चा की, जो एन. एच. आर. सी. को "ऐसे अन्य" अधिकार प्रदान करती है। मानव अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कार्य "। प्रावधान का अर्थ लगाते हुए, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि:

" 45 ..... यह आवश्यक नहीं है कि मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित प्रत्येक मामला 1993 के अधिनियम की धारा 12 के चार कोनों के भीतर पूरी तरह से फिट होगा।

एनएचआरसी। यह स्वीकार करना चाहिए कि मानवाधिकार चट्टान पर उत्कीर्ण शिलालेख नहीं हैं। वे क्रूसिबल पर बनाए गए और बनाए नहीं गए हैं अनुभव और स्वतंत्रता के लिए मानव संघर्ष की प्रतिवर्ती प्रक्रिया के माध्यम से। वे एक निश्चित मात्रा में तरलता को स्वीकार करते हैं। मानवाधिकारों की श्रेणियां, अनंत विविधता की होने के कारण, वास्तव में कभी भी बंद नहीं होती हैं। यही कारण है कि उप-धारा (जे) में अवशिष्ट खंड

57 (2020) 8 एस. सी. सी. 531; इसके बाद "सतीश कुमार गुप्ता" के रूप में संदर्भित 58 आई. बी. आई. डी., पैरा 69

59 59 (2010) 14 एससीसी 209 [2021] 13 एस. सी. आर.

इतनी व्यापक रूप से उन स्थितियों का ध्यान रखने के लिए कहा जाता है जो इसके दायरे में नहीं आती हैं

1993 के अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (ए) से (आई)।

46.इस प्रकार एन. एच. आर. सी. का अधिकार क्षेत्र धारा 12 (जे) द्वारा बढ़ाया गया है।

के संरक्षण के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए 1993 अधिनियम

मानवाधिकार। इस तरह की कार्रवाई में ऐसे मामलों की जांच शामिल होगी जहां

एक पक्ष को किसी भी कानून के संरक्षण से वंचित कर दिया गया है जिसके लिए वह है

हकदार, चाहे किसी निजी पक्ष द्वारा, किसी सार्वजनिक संस्थान द्वारा,

सरकार या यहाँ तक कि अदालतें भी। हमारा मानना है कि

यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष कानून के तहत लाभ का हकदार है, और लाभ

उस कानून के तहत उसे मना कर दिया गया है, यह उल्लंघन के बराबर होगा

उनके मानवाधिकारों के बारे में "।

(जोर दिया गया)

82. डी. आर. कोहली बनाम अतुल प्रोडक्ट्स लिमिटेड मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ

इस न्यायालय ने दो प्रावधानों के तहत सरकार को देय धन की वसूली के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरणों की शक्ति के बीच अंतर किया, जिनमें से एक अवशिष्ट प्रावधान है:

" 14. अगला प्रश्न कानून के उचित प्रावधान से संबंधित है।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरण। इस प्रश्न का निर्णय नहीं किया गया था प्रत्यर्थी के दायित्व पर अपने निष्कर्ष को देखते हुए उच्च न्यायालय

उसके द्वारा निर्मित उत्पादों पर उत्पाद शुल्क का भुगतान करना। जबसे हम

इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय के फैसले से सहमत नहीं हैं,

इस प्रश्न पर निर्णय लेना हमारे लिए आवश्यक हो गया है।

अपील करें। जबकि विभाग दावा करता है कि यह इसके लिए खुला था

प्रत्यर्थी का तर्क है कि नियम 10-ए के तहत आगे बढ़ें।

कि भले ही कोई छोटा शुल्क था, उचित नियम लागू होता है इसके मामले में नियम 10 था न कि नियम 10-ए। नियम 10 और नियम 10

संबंधित अवधि के दौरान नियमों में से ए निम्नानुसार था:

10. शुल्कों या शुल्कों की वसूली कम या गलत तरीके से

वापस किया गया: जब शुल्क या शुल्क कम कर दिए गए हों -

किसी पक्ष की ओर से असावधानी, त्रुटि, मिलीभगत या गलत निर्माण अधिकारी, या मात्रा, विवरण या विवरण के बारे में गलत कथन के माध्यम से

स्वामी की ओर से ऐसी वस्तुओं का मूल्य, या जब ऐसी कोई वस्तु हो।

शुल्क या शुल्क, लगाए जाने के बाद/किसी भी कारण से देय है

ऐसा कारण, गलती से वापस किया गया, जिसके साथ आरोपित व्यक्ति

60 (1985) 2 एस. सी. सी. 77 ए. आर. ए. टी. उर्जा विकास निगम लिमिटेड। वी. एम. आर. अमित गुप्ता और ओआरएस।

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

गलती से किया गया है, कमी का भुगतान करेगा या राशि का भुगतान करेगा लिखित माँग पर, जैसा भी मामला हो, उसे अधिक भुगतान किया गया

तारीख से तीन महीने के भीतर उचित अधिकारी बनाया जा रहा है,

जिस पर शुल्क या शुल्क का भुगतान या समायोजन मालिक के खाते में किया गया था। खाता-चालू, यदि कोई हो, या धनवापसी करने की तारीख से।

10 - ए. देय राशियों की वसूली के लिए अवशिष्ट शक्तियाँ

सरकार:

जहाँ ये नियम इसके लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं करते हैं

किसी भी कर्तव्य का संग्रह, या कर्तव्य में किसी भी कमी का यदि कर्तव्य है

किसी भी कारण से कम शुल्क लगाया गया है, या किसी भी प्रकार की कोई अन्य राशि

अधिनियम या इन नियमों के तहत केंद्र सरकार को देय,

ऐसा शुल्क, शुल्क या राशि में कमी, लिखित मांग पर उचित अधिकारी द्वारा किए गए, ऐसे व्यक्ति को भुगतान किया जाए और इस तरह

समय और स्थान, जैसा कि उचित अधिकारी निर्दिष्ट करे।

15. उपरोक्त दो नियमों के बीच अंतर के बिंदु थे

कि (i) जबकि नियम 10 लघु शुल्क के मामलों पर लागू होता है

किसी पक्ष की ओर से असावधानी, त्रुटि, मिलीभगत या गलत निर्माण

अधिकारी, या मात्रा, विवरण या विवरण के बारे में गलत कथन के माध्यम से

माल के मालिक की ओर से उत्पाद शुल्क का मूल्य नियम 10-ए

जो उन मामलों पर लागू एक अवशिष्ट खंड था जो नियम 10 और उस (ii) के अंतर्गत नहीं आते थे जबकि नियम के तहत

10 , घाटे की राशि की समाप्ति के बाद एकत्र नहीं की जा सकी

शुल्क या शुल्क का भुगतान करने की तारीख से तीन महीने या मालिक के खाते में समायोजित-वर्तमान या तारीख से

धनवापसी करते हुए, नियम 10-ए में ऐसी कोई अवधि शामिल नहीं थी - सीमा "।

(जोर दिया गया)

83. अतः, कानून द्वारा प्रदत्त अवशिष्ट क्षेत्राधिकार

उन मामलों के लिए विज्ञापन जो विशेष रूप से एक के तहत सूचीबद्ध नहीं हैंएटियन। जबकि किसी न्यायालय का अवशिष्ट अधिकार क्षेत्र उसे व्यापक शक्तियाँ प्रदान करता है, अधिकार क्षेत्र संबंधित के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं हो सकता है।

ई. ए. देवेंद्रन बनाम स्टेट ऑफ T.N.6[1] 61 में, दो न्यायाधीशों की पीठ

न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता, 197362 की धारा 465 के तहत अवशिष्ट क्षेत्राधिकार की सीमाओं का निर्धारण करते हुए कहा कि

7) 11 एससीसी 720

पीसी "[2021]

13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अवशिष्ट अधिकारिता का उपयोग तब नहीं किया जा सकता है जब अधिकारिता में कोई पेटेंट दोष हो या सीआरपीसी के किसी अनिवार्य प्रावधान के उल्लंघन में कोई आदेश पारित किया जाए। न्यायमूर्ति जी. बी. पटनायक के माध्यम से बोलते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि एक सक्षम न्यायालय के पास निम्नलिखित शर्तों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 465 के तहत अवशिष्ट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने की शक्ति निहित है:

" 15. हम राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील श्री मोहन द्वारा दी गई दलीलों पर भी ध्यान दे सकते हैं कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ दोषसिद्धि और सजा में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

संहिता की धारा 465 के प्रावधानों का दृष्टिकोण, क्योंकि न्याय की कोई विफलता नहीं हुई है। हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। संहिता की धारा 465 अवशिष्ट धारा है जिसका उद्देश्य दुर्घटना या असावधानी के माध्यम से मुकदमे के दौरान सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय द्वारा की गई किसी भी त्रुटि, चूक या अनियमितता को ठीक करना है, या यहां तक कि कानून के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन में शामिल अवैधता को भी ठीक करना है। धारा का एकमात्र उद्देश्य संहिता के किसी भी प्रावधान के तकनीकी उल्लंघन के आधार पर, जो अभियुक्त के लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं करता है, पहले से आयोजित मुकदमे को अमान्य होने से रोककर न्याय प्राप्त करना है। लेकिन कल्पना के किसी भी विस्तार से उपरोक्त प्रावधानों को ऐसी स्थिति की ओर आकर्षित नहीं किया जा सकता है जहां

संहिता के तहत कोई अधिकार क्षेत्र नहीं रखने वाला न्यायालय कुछ या उल्लंघन में एक आदेश पारित करता है

संहिता के अनिवार्य प्रावधान। हमारी पहले से की गई व्याख्या को ध्यान में रखते हुए कि सत्र न्यायालय में आपराधिक कार्यवाही के बाद केवल सत्र न्यायालय को ही अभियुक्त को क्षमा करने का अधिकार क्षेत्र प्राप्त है और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास ऐसा कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, यह अभिनिर्धारित करना असंभव होगा कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा क्षमा की ऐसी निविदा को स्वीकार किया जा सकता है और उसके बाद संविधि की धारा 465 के प्रावधानों को आकर्षित करके अनुमोदक के साक्षय पर विचार किया जा सकता है। उपरोक्त प्रावधान लागू नहीं किया जा सकता है।

अधिकारिता के एक पेटेंट दोष के लिए। फिर से यह सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय द्वारा पारित सजा या आदेश को उलटने का मामला नहीं है, बल्कि एक ऐसा मामला है जिसमें केवल एक विशेष साक्षय को विचार से बाहर कर दिया गया है क्योंकि तथाकथित अनुमोदनकर्ता के साक्षय को हमारे द्वारा कानूनी साक्षय नहीं माना गया है क्योंकि अक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय द्वारा माफी दी गई थी। हमारी राय में, ऐसी स्थिति में धारा 465 के प्रावधानों को बिल्कुल भी आकर्षित नहीं किया जा सकता है।

यह सच है कि प्रक्रिया गुजरात उर्जा विकास निगम लिमिटेड द्वारा की जाती है। वी. एम. आर. अमित गुप्ता और ओआरएस।

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

न्याय और अनुचित जोर के उद्देश्यों को पूरा करने का इरादा है

केवल तकनीकीताओं पर जो महत्वपूर्ण या महत्वपूर्ण नहीं हैं

न्याय के उद्देश्यों को विफल करें। अतः न्यायालयों की आवश्यकता है

अनियमितता की गंभीरता पर विचार करने के लिए और क्या वही है

न्याय की विफलता का कारण बना। मुख्य न्यायिक द्वारा माफी देने के लिए

मजिस्ट्रेट को केवल अनियमितता का मामला नहीं माना जा सकता है और न ही

क्या यह कहा जा सकता है कि न्याय की कोई विफलता नहीं हुई है। यह एक मामला है

क्षेत्राधिकार की कुल कमी, और इसके परिणामस्वरूप अनुवर्ती कार्रवाई मजिस्ट्रेट के इस तरह के आदेश के बिना कार्रवाई

अधिकारिता को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा जा सकता है। इसमें

विद्वान वकील श्री मोहन के तर्क पर विचार

इस संबंध में राज्य की ओर से पेश होने को अस्वीकार किया जाना चाहिए।

(जोर दिया गया)

84. जौहरी लाल सोनी बनाम भंवरी बाई 6 3 (जौहरी लाल सोनी) में, ए

इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ को यह निर्धारित करना था कि क्या एक दिवाला अदालत हस्तांतरणकर्ता को दिवालिया घोषित किए जाने से सात साल पहले किए गए हस्तांतरण की वैधता की जांच कर सकती है, जब पी. आई. ए. की धारा 53 ने केवल उन हस्तांतरणों को प्राप्तकर्ता के खिलाफ अमान्य के रूप में वर्गीकृत किया, जहां हस्तांतरणकर्ता को हस्तांतरण की तारीख के बाद दो साल के भीतर प्रस्तुत याचिका पर दिवालिया घोषित किया गया था। यह न्यायालय व्यापक विवेकाधिकार को ध्यान में रखते हुए धारा 4 के संदर्भ में प्रदत्त, यह अभिनिर्धारित किया गया कि दिवाला न्यायालय के पास किसी भी समय किए गए अमान्य हस्तांतरण की वैधता निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र होगा। जबकि धारा 53 केवल अमान्य लेन-देन पर लागू होती थी, इस न्यायालय का विचार था कि धारा 4 दिवालिया होने के मामले में उत्पन्न होने वाले सभी प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए एक दिवालिया अदालत को विवेकाधिकार प्रदान करती है और एक व्याख्या जो अदालत को किसी भी समय किए गए शून्य हस्तांतरण की जांच करने की अनुमति देती है, प्रावधान के उद्देश्य के अनुरूप होगी। न्यायालय ने कहा:

" 4. अब हम एस के प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए आगे बढ़ते हैं। 4 स्वयं,

जिनका प्रासंगिक भाग इस प्रकार निकाला जा सकता है:

4. (1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, न्यायालय के पास होगा - सभी प्रश्नों को तय करने की पूर्ण शक्ति, चाहे वह शीर्षक या प्राथमिकता के हों, या

न्यायालय का संज्ञान, या जिसे न्यायालय इसे मान सकता है पूर्ण करने के उद्देश्य से निर्णय लेना समीचीन या आवश्यक

63 (1977) 4 एससीसी 59: इसके बाद, "जौहरी लाल सोनी" के रूप में संदर्भित

ऐसे किसी मामले में न्याय या संपत्ति का पूर्ण वितरण करना।

मामला।

5. यह देखा जाएगा कि खंड को सबसे चौड़े में रखा गया है

संभावित शर्तें और पूर्ण और पूर्ण शक्तियाँ प्रदान करता है

दिवाला न्यायालय स्वामित्व या प्राथमिकता के सभी प्रश्नों का निर्णय करेगा, या कोई भी प्रकृति जो दिवालियापन के किसी भी मामले में उत्पन्न हो सकती है।

धारा 4 में निहित एकमात्र प्रतिबंध यह है कि

ये शक्तियाँ अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन हैं।

दूसरे शब्दों में, स्थिति यह है कि जहां का कोई अन्य खंड

अधिनियम में एक प्रावधान है जो या तो धारा 4 के विपरीत है या

उस सीमा तक धारा 4 के अनुप्रयोग को स्पष्ट रूप से बाहर करता है। धारा 4 लागू नहीं होगी। प्रतिवादी के लिए वकील

धारा 53 के प्रावधानों पर दृढ़ता से भरोसा किया गया जो इस प्रकार है:

53. संपत्ति का कोई भी हस्तांतरण जो पहले नहीं किया गया है

या सद्भावना में और मूल्यवान विचार के लिए अभिदाता, यदि अंतरणकर्ता को प्रस्तुत याचिका पर दिवालिया घोषित किया जाता है

हस्तांतरण की तारीख के दो साल बाद, इसके विपरीत अमान्य होगा प्राप्तकर्ता और न्यायालय द्वारा रद्द किया जा सकता है।

(जोर दिया गया)

यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि पी. आई. ए. की धारा 4 के विपरीत, धारा

60 (5) (ग) आई. बी. सी. कानून के अन्य प्रावधानों के अधीन नहीं है। इसलिए, आई. बी. सी. की धारा 60 (5) (सी) को पी. आई. ए. की धारा 4 की तुलना में अधिक व्यापक रूप से लिखा गया है।

85. धारा 53 और 4 के बीच परस्पर क्रिया के संबंध में

पी. आई. ए., जौहरी लाल सोनी (ऊपर) मामले में, इस न्यायालय ने आगे कहा:

स्पष्ट रूप से यह है कि यह दिवाला न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को प्रतिबंधित करता है दो से अधिक किए गए किसी भी हस्तांतरण की वैधता निर्धारित करने के लिए

हस्तांतरणकर्ता के दिवालिया घोषित किए जाने के वर्ष। यह नहीं है।

इस बात पर संदेह है कि "तारीख के दो साल के भीतर" शब्द सही हैं।

हस्तांतरण का "प्राप्तकर्ता की तुलना में अमान्य होना"

एक समय सीमा तय करें जिसके भीतर हस्तांतरण को रद्द किया जा सके।

अदालत द्वारा। लेकिन धारा 53 का एक सादा निर्माण होगा

स्पष्ट रूप से/इंगित करें कि शब्द "दो साल के भीतर

तारीख, प्राप्तकर्ता की तुलना में अमान्य होगी और गुजरात उर्जा विकास निगम लिमिटेड होगी।

वी. एमआर। अमित गुप्ता और ओआरएस।

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

न्यायालय द्वारा निरस्त "स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि केवल वे

जो अमान्य हैं। इसलिए इस खंड ने स्पष्ट किया है कि शून्य और शून्य हस्तांतरण के बीच अंतर-एक अंतर

जो कानून के लिए अच्छी तरह से ज्ञात है। एक शून्य हस्तांतरण पर कोई स्थानांतरण नहीं है

सभी और किसी भी कानूनी प्रभाव से पूरी तरह से वंचित है: यह एक है

शून्य और किसी भी शीर्षक को बिल्कुल भी पास नहीं करता है। उदाहरण के लिए, जहाँ एक स्थानांतरण नाममात्र, नकली या काल्पनिक है, शीर्षक के साथ रहता है

हस्तांतरणकर्ता। इसलिए यह स्पष्ट है कि इस तरह का हस्तांतरण नहीं है। कानून की नजर में स्थानांतरण। इसलिए इस तरह के हस्तांतरण स्पष्ट रूप से

अधिनियम की धारा 53 के दायरे से बाहर है जो संदर्भित करता है

केवल उन स्थानान्तरणों के लिए जो अमान्य हैं। यह अच्छी तरह से तय है कि ए

अमान्य हस्तांतरण अन्यथा एक वैध लेनदेन है और जारी है जब तक पीड़ित पक्ष द्वारा इससे बचा नहीं जाता, तब तक अच्छा रहेगा। उदाहरण के लिए,

हस्तांतरणकर्ता द्वारा उसे देरी या धोखा देने के लिए किए गए स्थानान्तरण

हस्तांतरण की धारा 53 के तहत लेनदारों से बचा जा सकता है

स्थानांतरण की तिथि, जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा पूछताछ नहीं की जा सकती है अधिनियम की धारा 53। यह हमें सादा प्रतीत होता है और

अनुभागों के संयुक्त पठन की सरल व्याख्या

4 और अधिनियम के 53. वास्तव में, अगर एक अलग व्याख्या है दी गई है, यह खंड के पूरे उद्देश्य को प्रस्तुत करेगा [4]

निरर्थक, क्योंकि न्यायालय स्थापित करने के लिए शक्तिहीन होगा

कुछ भी स्थानांतरण नहीं जो स्पष्ट रूप से शून्य हैं, केवल इसलिए कि वे एक विशेष समय पर बनाए गए थे।

(जोर दिया गया)

86. जौहरी लाल सोनी (ऊपर) में निर्णय ने एक विस्तृत जानकारी दी।

की धारा 4 के तहत एक दिवालिया अदालत की शक्तियों की व्याख्या

पी. आई. ए., जो आई. बी. सी. की धारा 60 (5) (सी) के समान है। इस न्यायालय ने कहा कि एक दिवाला अदालत को पी. आई. ए. की धारा 4 के तहत अमान्य हस्तांतरण की वैधता पर विचार करने का अधिकार है, जो स्पष्ट रूप से पी. आई. ए. की धारा 53 के तहत नहीं आता है। हालाँकि, इस न्यायालय का निर्णय इस निष्कर्ष पर आधारित था कि पी. आई. ए. की धारा 53 केवल अमान्य हस्तांतरणों से संबंधित है। इस न्यायालय ने नोट किया कि एक दिवालिया अदालत का अधिकार क्षेत्र उन मामलों में प्रतिबंधित होगा जहां [2021] 13 एस. सी. आर. के बाद एक अमान्य हस्तांतरण हुआ है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धारा 53 के तहत निर्धारित समय-सीमा जिसके भीतर हस्तांतरण को अदालत द्वारा रद्द किया जा सकता है। इसलिए, एक अवशिष्ट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के नाम पर, एक अदालत खुद को अधिकार क्षेत्र के साथ नहीं छिपा सकती है जो एक क़ानून के प्रावधानों के विपरीत है। हालाँकि, उसी समय, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा जौहरी लाल सोनी (ऊपर) में अभिनिर्धारित किया गया है, एक व्याख्या जो प्रस्तुत करती है अवशिष्ट अधिकारिता के उद्देश्य को इस न्यायालय द्वारा बरकरार नहीं रखा जा सकता है। यह सुनिश्चित करने के बीच एक महीन रेखा खींची जानी चाहिए कि एक अवशिष्ट अधिकार क्षेत्र को अत्यधिक प्रतिबंधात्मक व्याख्या के कारण अनुचित नहीं माना जाता है, साथ ही साथ, एक अदालत या एक न्यायाधिकरण द्वारा शक्ति के दुरूपयोग से बचाव जो इसमें निहित नहीं है।

87. आई. बी. सी. की धारा 60 (5) (सी) के तहत एन. सी. एल. टी. का अवशिष्ट अधिकार क्षेत्र इसे कानून के प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए व्यापक विवेकाधिकार प्रदान करता है या

दिवाला समाधान कार्यवाही से या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाला तथ्य। यदि एन. सी. एल. टी. का अधिकार क्षेत्र आई. बी. सी. की धारा 14 द्वारा निषिद्ध कार्यों तक ही सीमित होता, तो विधायिका के लिए आई. बी. सी. की धारा 60 (5) (सी) को लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। धारा 60 (5) (सी) को अनुचित माना जाएगा यदि धारा 14 को आधारों का संपूर्ण आधार माना जाता है।

निगमित देनदार के मूल्य को संरक्षित करने के मामलों में आई. बी. सी. के तहत विचार किए गए न्यायिक हस्तक्षेप और एक 'चालू चिंता' के रूप में इसकी स्थिति। हम जल्दबाजी में यह जोड़ते हैं कि एन. सी. एल. टी. द्वारा अवशिष्ट शक्ति के प्रयोग की वैधता पर हमारा निष्कर्ष इस मामले के तथ्यों पर आधारित है।

हम एन. सी. एल. टी. द्वारा अवशिष्ट शक्ति के प्रयोग की रूपरेखा पर एक सामान्य सिद्धांत निर्धारित नहीं कर रहे हैं। हालाँकि, यह उल्लेख करना उचित है कि एन. सी. एल. टी. दिवाला कार्यवाही को बाधित करने वाले मामलों पर अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर सकता है क्योंकि ऐसे मामले दायरे से बाहर होंगे। आईबीसी से। धारा 60 (5) (सी) की कोई अन्य व्याख्या सतीश कुमार गुप्ता (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के निर्णय के विपरीत होगी।

जे इप्सो फैक्टो खंडों की वैधता

वर्तमान मामले में, इस मुद्दे पर व्यापक बहस के भीतर इसे प्रासंगिक बनाना महत्वपूर्ण है। विश्व स्तर पर, इप्सो फैक्टो खंड विभिन्न अनुबंधों में उत्पन्न होते हैं। इप्सो वास्तविक खंड संविदात्मक प्रावधान हैं जो एक पक्ष को अनुमति देते हैं। (" समाप्ति करने वाला पक्ष) 'चूक की घटना' की घटना के कारण अपने समकक्ष ("देनदार") के साथ अनुबंध को समाप्त करने के लिए। दिवाला कानून के संदर्भ में, इनमें से कुछ वास्तविक खंडों में, 'की घटना'

'चूक' में दिवाला के लिए आवेदन करना, दिवाला कार्यवाही शुरू करना, दिवाला प्रतिनिधि की नियुक्ति आदि शामिल हैं।

यूनाइटेड गुजरात उर्जा विकास निगम लिमिटेड। वी. एम. आर. अमित गुप्ता और ओआरएस।

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून 64 पर राष्ट्र आयोग ने 2004-65 में दिवाला कानून पर अपनी विधायी मार्गदर्शिका जारी की। यह मार्गदर्शिका आई. पी. एस. ओ. वास्तविक खंडों को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित करती है:

" 114. कई अनुबंधों में एक खंड शामिल होता है जो डिफ़ॉल्ट की घटनाओं को परिभाषित करता है जो प्रतिपक्ष को बिना शर्त अधिकार देता है, उदाहरण के लिए, अनुबंध की समाप्ति या त्वरण (कभी-कभी "इप्सो फैक्टो" खंड के रूप में संदर्भित)। चूक की इन घटनाओं में आम तौर पर दिवाला कार्यवाही शुरू करने या शुरू करने के लिए आवेदन करना शामिल है; एक दिवाला प्रतिनिधि की नियुक्ति;

यह तथ्य कि देनदार दिवाला कार्यवाही शुरू करने के मानदंडों को पूरा करता है; और यह भी संकेत देता है कि देनदार कमजोर वित्तीय स्थिति में है।

इस तरह के इप्सो फैक्टो खंडों की वैधता पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और घरेलू क्षेत्रों में वैश्विक परिप्रेक्षय में विचार किया गया है।

राष्ट्र के अधिकार क्षेत्र-अपने राष्ट्रीय दिवाला कानूनों में राज्य। भारत में उनकी वैधता का आकलन करने के लिए, हमें पहले समकालीन न्यायशास्त्र में वैश्विक रुझानों को समझना होगा। हम तुलनात्मक कानून से अपने अनुभवात्मक ज्ञान का विस्तार करने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे-जैसे भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के एक उत्तरदायी सदस्य के रूप में विकसित हो रहा है, हमारे कानून अंतर्दृष्टिपूर्ण नहीं हो सकते हैं।

जे. 1 अंतर्राष्ट्रीय और बहुपक्षीय संगठनों की स्थिति

89. UNCITRAL गाइड में कहा गया है कि विभिन्न क्षेत्राधिकारों में दिवाला कानून या तो वास्तविक खंडों को बनाए रखते हैं या उन्हें अमान्य कर देते हैं। यह दोनों पक्षों के तर्कों को इस प्रकार नोट करता है:

" 115. इस प्रकार के खंडों को बनाए रखने का दृष्टिकोण कई कारकों द्वारा समर्थित हो सकता है, जिसमें वाणिज्यिक सौदेबाजी का सम्मान करने की वांछनीयता शामिल है; देनदार को चुनिंदा रूप से ऐसे अनुबंध करने से रोकने की आवश्यकता जो लाभदायक हैं और दूसरों को अस्वीकार करते हैं (एक ऐसा लाभ जो ऋणकर्ता के लिए उपलब्ध नहीं है)।

प्रतिपक्ष); एक स्वचालित समाप्ति प्रावधान को बनाए नहीं रखने के वित्तीय अनुबंध जाल पर प्रभाव; यह विश्वास कि, चूंकि

65 " UNCITRAL गाइड "; यहाँ उपलब्ध है <HTTPS: //असंकलित। एक. ओ. आर. जी./साइट/अनसिट्रल। एक. ओ. आर. जी./फाइल / मीडिया-दस्तावेज़/अनसीट्रल/एन/05-80722 _ ईबुक। पी. डी. एफ.> अभिगम 18 फरवरी 2021. UNITRAL गाइड को इस इरादे से बनाया गया था कि इसका उपयोग "नए कानूनों और विनियमों को तैयार करते समय या मौजूदा कानूनों और विनियमों की पर्याप्तता की समीक्षा करते समय राष्ट्रीय अधिकारियों और विधायी निकायों द्वारा एक संदर्भ के रूप में किया जाएगा" [2021] 13 एस. सी. आर.

एक दिवालिया व्यवसाय आम तौर पर भुगतान करने में असमर्थ होगा, जिससे देरी होगी

अनुबंधों की समाप्ति संभावित रूप से केवल ऋण के मौजूदा स्तरों को बढ़ाती है; बौद्धिक संपदा के रचनाकारों के लिए उस संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने में सक्षम होने की आवश्यकता; और एक अनुबंध की समाप्ति के प्रतिपक्ष के व्यवसाय पर प्रभाव, विशेष रूप से एक संबंध के साथ

एक अमूर्त के लिए।

116. एक अलग दृष्टिकोण के तहत, दिवाला कानून उन खंडों को ओवरराइड करता है, जिससे वे अप्रवर्तनीय हो जाते हैं। जहां खंड, उदाहरण के लिए, परिभाषित घटना की घटना पर समाप्ति के लिए प्रदान करता है, अनुबंध प्रतिपक्ष की आपत्ति पर जारी रखा जा सकता है। हालाँकि ऐसे खंडों को ओवरराइड करने के दृष्टिकोण को अनुबंध कानून के सामान्य सिद्धांतों में हस्तक्षेप के रूप में माना जा सकता है, लेकिन इस तरह का हस्तक्षेप कार्यवाही की सफलता के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। पुनर्गठन में, उदाहरण के लिए, जहां अनुबंध एक महत्वपूर्ण पट्टा है या इसमें बौद्धिक संपदा का उपयोग शामिल है एक प्रमुख उत्पाद में अंतर्निहित, अनुबंध का निरंतर प्रदर्शन व्यवसाय की आय क्षमता को बढ़ा सकता है; एक आवश्यक आपूर्तिकर्ता की सौदेबाजी की शक्ति को कम कर सकता है; सभी लेनदारों के लाभ के लिए देनदार के अनुबंधों के मूल्य को पकड़ सकता है; और इसमें सहायता कर सकता है।

सभी लेनदारों को पुनर्गठन में बंद करना "।

90. इप्सो फैक्टो खंडों की वैधता जैसे परेशान करने वाले मुद्दे का व्यावहारिक समाधान खोजने में, कानून बहस के दोनों पक्षों के प्राथमिक तर्कों के बीच अंतर्निहित तनाव को स्वीकार करता है। एक तरफ यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि दिवालिया प्रक्रिया के दौरान ऋणी एक 'चालू चिंता' के रूप में बना रहे। दूसरी ओर, कानून को अनुबंध करने की स्वतंत्रता और संविदात्मक उपायों को लागू करने की पवित्रता का सम्मान करना चाहिए। इप्सो फैक्टो खंडों के दायरे को नियंत्रित करने से पक्षों की अपने अनुबंधों में प्रवेश करने और उन्हें लागू करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन करने के तर्कों को जन्म मिलता है। UNCITRAL गाइड राष्ट्रीय अधिकारियों को यह निष्कर्ष निकालकर मार्गदर्शन प्रदान करता है कि यह वांछनीय है कि उनके राष्ट्रीय दिवाला कानून इस तरह के इप्सो फैक्टो खंडों को ओवरराइड करते हैं।

सीमित अपवादों के लिए, क्योंकि समाप्त अनुबंधों का निरंतर प्रदर्शन अक्सर दिवालिया प्रक्रिया की सफलता के लिए महत्वपूर्ण होता है। UNCITRAL गाइड इसे निम्नलिखित शब्दों में बताती है:

" 118. यद्यपि कुछ दिवाला कानून इस प्रकार के खंड को ओवरराइड करने की अनुमति देते हैं यदि दिवाला कार्यवाही शुरू की जाती है,

यह दृष्टिकोण अभी तक दिवाला कानूनों की एक सामान्य विशेषता नहीं बना है। ऋणी के ए. आर. ए. टी. यू. आर. जे. ए. विकास निगम लिमिटेड को बढ़ावा देने के बीच एक अंतर्निहित तनाव है।

वी. एम. आर. अमित गुप्ता और ओआरएस।

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

उत्तरजीविता, जिसके लिए अनुबंधों के संरक्षण की आवश्यकता हो सकती है, और

वाणिज्यिक लेन-देन में अप्रत्याशितता और अतिरिक्त लागत का निवेश करना

यह समस्या स्पष्ट रूप से एक ऐसी समस्या है जिस पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। फायदे और नुकसान हैं,

फिर भी, परिस्थितियाँ जहाँ की क्षमता

दिवाला प्रतिनिधि यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक अनुबंध

निरंतर प्रदर्शन की सफलता के लिए महत्वपूर्ण होगा

पुनर्गठन और भी, लेकिन शायद कुछ हद तक,

परिसमापन जहाँ व्यवसाय को चालू के रूप में बेचा जाना है

चिंता की बात। इन कारणों से, यह वांछनीय है कि एक दिवालिया

कानून ऐसे खंडों को ओवरराइड करने की अनुमति देता है। कोई भी नकारात्मक प्रभाव

इस प्रकार के खंडों को ओवरराइड करने की नीति को संतुलित किया जा सकता है।

लेनदारों को मुआवजा प्रदान करके जो यह प्रदर्शित कर सकते हैं कि अनुबंध के परिणामस्वरूप उन्हें नुकसान या हानि हुई है

दिवाला शुरू होने के बाद भी जारी रहना

कुछ प्रकार के अनुबंधों के लिए खंड, जैसे कि ऋण देने के लिए अनुबंध धन और, विशेष रूप से, वित्तीय अनुबंध (नीचे देखें, पैरा।

208-215) . "

(जोर दिया गया)

91. विश्व बैंक, प्रभावी दिवाला के लिए अपने सिद्धांतों में

2016 में प्रकाशित लेनदार/देनदार शासन, नोट करता है कि सीमित अपवादों के अधीन, इप्सो फैक्टो ईएस को ओवरराइड किया जाना चाहिए। वह इस प्रकार कहता है:

" सी10 संविदात्मक दायित्वों का उपचार

सी 10.2 उन अनुबंधों का लाभ प्राप्त करने के लिए जिनके मूल्य हैं, दिवालिया प्रतिनिधि के पास उन अनुबंधों के तहत दायित्वों को पूरा करने और ग्रहण करने का विकल्प होना चाहिए। अनुबंध के प्रावधान जो शुरू करने या शुरू करने के लिए किसी आवेदन पर अनुबंध की समाप्ति का प्रावधान करते हैं।

दिवाला कार्यवाही विशेष अपवादों के अधीन अप्रवर्तनीय होनी चाहिए।

<एच. टी. पी.: //पबडोक्स। विश्व बैंक। org/en/919511468425523509/ICR-प्रिंसिपल्स ency-लेनदार-देनदार-शासन-2016. pdf> 18 फरवरी 2021 को पहुँचा गया।

92. सुपरनैशनल संगठनों द्वारा अपनाई गई स्थिति का आकलन करते हुए, हम ध्यान देते हैं कि यूरोपीय संसद ने यूरोपीय संघ में पुनर्गठन और दिवालिया ढांचे के संबंध में 20 जून 201967 को निर्देश (ईयू) 2019/1023 जारी किया, जिससे पिछले निर्देश में संशोधन किया गया। ई. यू. निर्देश अपने पाठों में उन मुद्दों को नोट करता है जो पुनर्गठन से गुजर रहे कॉर्पोरेट ऋणदाता के लिए उत्पन्न हो सकते हैं जब इसके आपूर्तिकर्ता इप्सो फैक्टो खंडों के आधार पर अनुबंधों को समाप्त कर देते हैं। पाठ निम्नलिखित रूप में बताते हैं:

" (40) जब कोई देनदार दिवालिया प्रक्रिया में प्रवेश करता है, तो कुछ आपूर्तिकर्ताओं के पास संविदात्मक अधिकार हो सकते हैं, जो तथाकथित इप्सो फैक्टो खंडों में प्रदान किए गए हैं, जो उन्हें पूरी तरह से दिवालिया होने के कारण आपूर्ति अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार देते हैं, भले ही देनदार ने अपने दायित्वों को विधिवत पूरा किया हो। जब कोई देनदार निवारक पुनर्गठन उपायों के लिए आवेदन करता है तो इप्सो वास्तविक खंड भी शुरू हो सकते हैं। कहाँ?

ऐसे खंडों को तब लागू किया जाता है जब ऋणी केवल

पुनर्गठन योजना पर बातचीत करना या उस पर रोक लगाने का अनुरोध करना

व्यक्तिगत प्रवर्तन कार्रवाई या संबंध में लागू किया गया ठहराव से जुड़ी किसी भी घटना के साथ, जल्दी समाप्ति का देनदार के व्यवसाय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और

व्यवसाय का सफल बचाव। अतः इस प्रकार

मामलों में, यह प्रदान करना आवश्यक है कि लेनदार नहीं हैं

इप्सो फैक्टो खंडों को लागू करने की अनुमति दी गई है जो पुनर्गठन योजना या ठहराव या किसी अन्य पर बातचीत का संदर्भ देते हैं।

ठहरने से जुड़ी इसी तरह की घटना।

(41) जल्दी समाप्ति व्यवसाय की क्षमता को खतरे में डाल सकती है।

विशेष रूप से जब गैस, बिजली, पानी, दूरसंचार और कार्ड भुगतान जैसी आवश्यक आपूर्ति के लिए अनुबंध किए जाते हैं सेवाओं का संबंध है। सदस्य राज्यों को यह प्रदान करना चाहिए कि

जिन लेनदारों पर व्यक्तिगत प्रवर्तन कार्रवाइयों की रोक लागू होती है, और जिनके दावे ठहराव से पहले अस्तित्व में आए थे और जिनका भुगतान किसी देनदार द्वारा नहीं किया गया है, उन्हें ठहराव अवधि के दौरान आवश्यक निष्पादन अनुबंधों के प्रदर्शन को रोकने, समाप्त करने, तेजी लाने या किसी अन्य तरीके से संशोधित करने की अनुमति नहीं है, बशर्ते कि देनदार ऐसे अनुबंधों के तहत अपने दायित्वों का पालन करता हो जो देय हों।

रहने के दौरान। निष्पादन अनुबंध हैं, उदाहरण के लिए, पट्टा और

67 " ई. यू. निर्देश "गुजरात उर्जा विकास निगम लिमिटेड। वी. एम. आर. अमित गुप्ता और ओआरएस।

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

लाइसेंस समझौते, दीर्घकालिक आपूर्ति अनुबंध और मताधिकार

समझौते "।

(जोर दिया गया)

93. इसके बाद, ई. यू. निर्देश अनुशंसा करता है कि सदस्य

यूरोपीय संघ के राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि ऋणदाताओं को आई. पी. एस. ओ. वास्तविक खंडों के आधार पर अनुबंधों को समाप्त करने की अनुमति नहीं है जब 'चूक की स्थिति' एक कॉर्पोरेट ऋणदाता है जो पुनर्गठन के दौर से गुजर रहा है। निर्देश के अनुच्छेद 7 में कहा गया है:

" अनुच्छेद 7

व्यक्तिगत प्रवर्तन कार्यों के ठहराव के परिणाम

5. सदस्य राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि लेनदारों को निष्पादन को रोकने या समाप्त करने, तेजी लाने या किसी अन्य तरीके से निष्पादन अनुबंधों को संशोधित करने की अनुमति नहीं है ताकि ऐसे उपायों के लिए केवल एक संविदात्मक खंड के आधार पर देनदार को नुकसान हो।

इसके कारण: (क) निवारक पुनर्गठन शुरू करने का अनुरोध

कार्यवाही;

(ग) निवारक पुनर्गठन की कार्यवाही शुरू करना; या (घ) व्यक्तिगत प्रवर्तन कार्रवाइयों पर रोक लगाने के रूप में

इस तरह "।

जे. 2 राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार

94. जैसे-जैसे हम राष्ट्रीय क्षेत्राधिकारों की स्थिति का आकलन करना शुरू करते हैं, यह उचित है कि हम अपनाए गए विरोधाभासी स्थितियों का विश्लेषण करके शुरुआत करें

यूरोपीय को देखने से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम द्वारा

और नागरिक कानून परंपराओं वाले अन्य राष्ट्रों में, और उसके बाद समान कानून जड़ों वाले राष्ट्रों में।

जे. 2.1 संयुक्त राज्य अमेरिका

95. अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका दिवालियापन की धारा 365 (ई)

संहिता, 1979 ("यू. एस. दिवालियापन संहिता") आई. पी. एस. ओ. वास्तविक खंडों को अप्रवर्तनीय बनाता है जब वे एक निष्पादन अनुबंध या एक अप्रचलित पट्टे में मौजूद होते हैं। धारा 365 (ई) में कहा गया है:

" (1) एक निष्पादन अनुबंध में एक प्रावधान के बावजूद या

जिस पर शर्त लगाई जाती है (क) मामला बंद होने से पहले किसी भी समय ऋणी की दिवालियापन या वित्तीय स्थिति;

(बी) इस शीर्षक के तहत एक मामले की शुरुआत; या ((ग) किसी मामले में न्यासी की नियुक्ति या कब्जा लेना।

इस शीर्षक के तहत या इस तरह के प्रारंभ से पहले एक संरक्षक "

96. एक संबंधित प्रावधान, अमेरिकी दिवालियापन संहिता की धारा 541 (सी) (1) (बी) में प्रावधान है कि "संपत्ति में देनदार का ब्याज संपत्ति बन जाता है।

"किसी समझौते, अंतरण लिखत, या लागू गैर-दिवालियापन कानून के बावजूद" जो "ज़ब्त करने का विकल्प देता है,

संपत्ति में देनदार के हित का संशोधन या समाप्ति "। हालाँकि, फिर भी, यू. एस. दिवालियापन संहिता में इप्सो फैक्टो खंडों की अनुमति है।

कुछ अनुबंध (अदला-बदली समझौते, प्रतिभूतियाँ, अग्रेषण, आदि) लागू करने योग्य होंगे। 97. इसके अलावा, ऐसे उदाहरण हैं जहां संयुक्त राज्य अमेरिका में जिला दिवालियापन न्यायालयों ने अनुबंधों में इप्सो फैक्टो खंडों को अमान्य कर दिया है

निष्पादन अनुबंधों या व्यापक आधार पर अप्रचलित पट्टों के अलावा

संहिता की परिसमापन प्रक्रियाओं के लाभ "68। उदाहरण के लिए, डेलावेयर जिले के लिए जिला न्यायालय ने नोट किया है "सामान्य संघीय अदालतों की प्रवृत्ति है कि इप्सो फैक्टो खंडों के खिलाफ निषेध कार्यों तक सीमित नहीं है [जिसमें निष्पादन अनुबंध या अप्रचलित शामिल हैं]

पट्टा] ", जबकि दिवालियापन दाखिल करने पर आधारित एक इप्सो फैक्टो खंड को अमान्य करते हुए। इसी तरह, एक अन्य मामले में, एक गैर-निष्पादन में एक इप्सो फैक्टो खंड 68 रिग्स नेशनल बैंक ऑफ वाशिंगटन, डी. सी. बनाम। जॉन गिलिस पेरी, जूनियर, रे जॉन गिलिस पेरी, जूनियर, डेटर, 729 एफ. 2 डी 982 (चौथा सिर। 1984) एन (चौथे सर्किट के लिए अपील न्यायालय)।

69 डब्ल्यू. आर. ग्रेस एंड कंपनी, 475 बी. आर. 34,154 (डी. डेल। 2012) .

गुजरात उर्जा विकास निगम लिमिटेड। वी. एम. आर. अमित गुप्ता और ओआरएस।

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

अनुबंध को अमान्य माना गया था क्योंकि "यह उद्देश्यों को विफल कर देगा

[यू. एस.] दिवालियापन संहिता "और" इक्विटी अदालत द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है "70। दिवालियापन न्यायालय ने तर्क दिया कि:

" दिवालियापन संहिता के तहत, कोई वैधानिक आदेश नहीं है कि दिवालियापन-डिफ़ॉल्ट खंड वैध और लागू करने योग्य हैं। एकमात्र कांग्रेस का बयान स्पष्ट है कि अधिकांश उदाहरणों में, यदि सभी नहीं, तो ऐसे खंड लागू करने योग्य नहीं हैं। साथ ही, सी. एफ. दिवालियापन संहिता की धारा 363 (1) और 541 (सी) (1) (बी), जहां दिवालियापन-डिफ़ॉल्ट खंडों को प्रभावी नहीं किया गया है। इस प्रकार, बस कोई कारण नहीं है

मान लीजिए कि कांग्रेस का इरादा इन खंडों को लागू करने योग्य बनाना था केवल गैर-निष्पादन अनुबंधों में। ऐसी धारणा दिवालियापन संहिता की भावना और उद्देश्यों के सीधे विपरीत होगी। दिवालियापन कानूनों के उद्देश्यों में से एक देनदारों को एक नई शुरुआत करने में सक्षम बनाना है। 71

हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि न्यूयॉर्क के जिला न्यायालय ने एक विपरीत स्थिति ली है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिकी दिवालियापन संहिता की धारा 365 (ई) का पाठ स्पष्ट है और इसके निषेध को केवल निष्पादन अनुबंधों और अप्रचलित पट्टों तक सीमित करता है। इसलिए, इस मुद्दे के संबंध में स्थिति अमेरिका में भी अस्थिर प्रतीत होती है।

जे. 2.2 यूनाइटेड किंगडम

98. यू. के. में कानून की स्थिति पर आते हुए, हमें पहले

यह स्वीकार करें कि वहाँ की दिवाला व्यवस्था न केवल कानून द्वारा बल्कि सामान्य कानून सिद्धांत के माध्यम से भी शासित होती है। महत्वपूर्ण सामान्य कानून सिद्धांत 'वंचितता विरोधी नियम' है, जो देनदार की संपत्ति से किसी संपत्ति के अनुचित निष्कासन को रोकने का प्रयास करता है, जिससे देनदार का समग्र शुद्ध संपत्ति मूल्य कम हो जाएगा, जिससे बदले में राशि का आकार कम हो जाएगा। इसलिए, यह नियम देनदार की संपत्ति को दिवालिया होने से पहले कम होने से रोकने का प्रयास करता है।

प्रक्रिया। इस प्रकार, यह तर्क दिया गया है कि इप्सो फैक्टो खंड में हो सकता है

वंचितता विरोधी नियम का उल्लंघन क्योंकि वे एक पक्ष को दिवालिया होने पर एक अनुबंध को समाप्त करने की अनुमति देते हैं, जो तब देनदार की मूल्यवान संपत्ति (यानी अनुबंध) को छीन लेता है।

70 जेम्स मार्गरेट रोज़ जूनियर के मामले में, डेटर्स 21 बी. आर. 272 (बैंकर। डी. एन. जे. 1982) (संयुक्त राज्य दिवालियापन न्यायालय, डी. न्यू जर्सी)।

71 आई. बी. आई. डी. 72 इन री जनरल ग्रोथ प्रॉपर्टीज, इंक., 451 बी. आर. 323 (बैंकर। S.D.N.Y. 2011) (संयुक्त राज्य दिवालियापन न्यायालय, एस. डी. न्यूयॉर्क)।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

99. वंचितता विरोधी नियम का दायरा इसके द्वारा स्पष्ट किया गया था

बेलमॉन्ट पार्क इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम बी. एन. वाई. कॉर्पोरेट ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड और एक अन्य (राजस्व और सीमा शुल्क और एक अन्य हस्तक्षेप) के मामले में यू. के. सुप्रीम कोर्ट। द.

मैकगिल लॉ जर्नल में एड्रिएन हो के एक लेख में इस मामले के तथ्यों को संक्षेप में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है: नीचे दिया गया पुनरुत्पादन फुटनोटेड अनुच्छेद 75 से है:

लेहमैन ब्रदर्स ने विशेष प्रयोजन वाहनों ("जारीकर्ता") की स्थापना की,

(1)

जिसने बदले में उत्तरदाताओं सहित निवेशकों ("नोटधारकों") को नोट जारी किए। जारीकर्ता ने नोटों का इस्तेमाल किया?

लेहमैन ब्रदर्स स्पेशल फाइनैंसिंग ("एल. बी. एस. एफ".) के साथ क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप समझौतों ("समझौतों") में प्रवेश करते हुए सुरक्षित निवेश ("संपार्श्विक") खरीदने के लिए आय। एल. बी. एस. एफ. ने लेहमैन ब्रदर्स के स्वामित्व वाले ऋणों पर ऋण सुरक्षा के बदले में जारीकर्ता प्रीमियम का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की। एल. बी. एस. एफ. से जारीकर्ता को प्राप्त प्रीमियम का भुगतान नोटधारकों को किया जाता था। द.

समझौता अंग्रेजी कानून द्वारा शासित था; इस आधार पर कि लेहमन ब्रदर्स और एल. बी. एस. एफ. का अध्याय

((ख)

11 2008 में फाइलिंग (यानी, अमेरिका में दिवालियापन के लिए) 'चूक की घटनाएं' थीं जैसा कि समझौतों में उल्लिखित है,

नोटधारकों ने न्यासी को समाप्त करने का निर्देश दिया समझौते। न्यासी द्वारा धारित संपार्श्विक,

जारीकर्ता के दायित्वों के लिए सुरक्षा प्रदान की गई नोटधारक और एल. बी. एस. एफ. यद्यपि बाद वाले को संपार्श्विक के लिए प्राथमिकता दी गई थी, समझौतों में एक प्रावधान ("दूसरा खंड") शामिल था जो प्राथमिकताओं को इसके पक्ष में उलट देगा।

नोटधारक यदि चूक की कोई घटना हुई हो; और

(iii)

एल. बी. एस. एफ. ने तर्क दिया कि दूसरा खंड दो कारणों से अमान्य था:

पहला, इसने एल. बी. एस. एफ. को उस संपत्ति से वंचित कर दिया जिसका वह दिवालिया होने पर हकदार होता और दूसरा, इस खंड ने एल. बी. एस. एफ. और नोटधारकों की संबंधित प्राथमिकताओं को एल. बी. एस. एफ. के आधार पर उलटकर वंचितता विरोधी नियम को आहत किया।

दिवालियापन।

73 " यूकेएससी "74 [2011] 3 डब्ल्यू. एल. आर. 521; इसके बाद "बेलमोंट पार्क" के रूप में संदर्भित 75 जैसा कि एड्रिएन हो, कनाडा में इप्सो फैक्टो क्लॉज का उपचार, (2015) 61 में उल्लेख किया गया है: 1 मैकगिल एलजे 139।

गुजरात उर्जा विकास निगम लिमिटेड। वी. एमआर। अमित गुप्ता और ओआरएस।

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

100. इस मामले में यू. के. एस. सी. वंचितता विरोधी नियम की रूपरेखा पर विचार कर रहा था, जो देनदार के ऋण को कम करने से बचाता है।

मूल्य। यह उस स्थिति से काफी अलग है जहां संबंधित खंड का प्रभाव दिवाला समाधान प्रक्रिया की विफलता होगी।

पूरी तरह से। बहुमत की राय लिखते हुए, लॉर्ड कॉलिन्स ने इस आधार पर उलट खंड को बरकरार रखा कि यह "सद्भावना से किया गया एक जटिल वाणिज्यिक लेनदेन" था और प्रावधानों का उपयोग जानबूझकर नहीं किया गया था।

दिवाला कानून के लागू होने से बचना, जो कि वंचितता विरोधी नियम के लागू होने के लिए एक प्रमुख आवश्यकता थी। विद्वान न्यायाधीश ने इस प्रकार निर्णय दिया:

" 102 यह 200 वर्षों के अधिकार को त्यागने और आधुनिक वैधानिक विकास के आलोक में मामले के कानून को फिर से लिखने का प्रयास करने के लिए न्यायिक कार्य के उचित प्रांत से परे जाएगा। वंचितता विरोधी नियम बहुत अच्छी तरह से स्थापित है

आधुनिक में निर्धारित विस्तृत प्रावधानों के बावजूद त्याग दिया गया

दिवाला कानून, जिनमें से सभी को लिया जाना चाहिए नियम की पृष्ठभूमि के खिलाफ अधिनियमित किया गया।

103 जैसा कि देखा गया है, दिवालिया कानूनों से बचने के लिए व्यावसायिक भावना और इरादे का अभाव वंचितता विरोधी नियम के अनुप्रयोग में अत्यधिक प्रासंगिक कारक रहे हैं। वैधानिक पैठ के बावजूद, पार्टी की स्वायत्तता अंग्रेजी वाणिज्यिक कानून के केंद्र में है। स्पष्ट रूप से इस क्षेत्र में पार्टी की स्वायत्तता की सीमाएँ हैं जिसके साथ यह

अपील संबंधित है, कम से कम इसलिए नहीं कि इसमें तीसरे पक्ष के लेनदारों के हित शामिल होंगे। लेकिन, जैसा कि लॉर्ड न्यूबर्गर ने जोर देकर कहा

[2010] अध्याय 347, पैरा 58, यह वांछनीय है कि, जहाँ तक संभव हो,

सहमत हो गए हैं। और एक विशेष रूप से मजबूत मामला है जटिल वित्तीय साधनों के मामलों में स्वायत्तता

इस अपील में शामिल लोगों के रूप में।

104 इसमें कोई संदेह नहीं है कि यही कारण है, सिवाय एक खुलेआम के मामले को छोड़कर

किसी पक्ष को संपत्ति से वंचित करने का प्रयास

परिसमापन (फोल्गोट लंदन मार्केट लिमिटेड बनाम चौसर बीमा) पीएलसी [2011] ईडब्ल्यूसीए सीवी 328; द टाइम्स, 13 अप्रैल 2011), आधुनिक

वंचितता विरोधी नियमः मुद्रा बाजार अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड बनाम लंदन स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड [2002] 1 डब्ल्यू. एल. आर. 1150; लोमास बनाम जे. एफ. बी. फर्थ रिक्सन इंक [2011] 2 बी. सी. एल. सी. 120; और [2021] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सर एंड्रयू मॉरिट्ट सी और अपील न्यायालय के निर्णय

ये कार्यवाहियाँ। वंचितता विरोधी नियम के पीछे की नीति है -

उस नीति को एक सामान्य ज्ञान अनुप्रयोग देना संभव है जो इसके उपयोग को प्रामाणिक वाणिज्यिक रूप से करने से रोकता है

ऐसे लेन-देन जो उनके प्रमुख रूप में नहीं हैं

उद्देश्य, या उनके मुख्य उद्देश्यों में से एक, का अभाव

दिवालियापन पर पक्षों में से एक की संपत्ति।

(जोर दिया गया)

101. लॉर्ड मैन्स ने अपनी सहमति में एक समान राय व्यक्त की

दृश्यः

न्यासी या परिसमापक को जारी रखने के अवसर से वंचित करना। अनुबंध और इसलिए भविष्य की संभावना की दिवालिया संपत्ति

लाभ, सिद्धांत का उल्लंघन करेगा। मेरी राय में नहीं है

ऐसे किसी भी नियम के लिए आधार। जहाँ एक अनुबंध प्रदान करता है

पारस्परिक दायित्वों के भविष्य में प्रदर्शन,

जिनमें से प्रत्येक का प्रदर्शन क्विड प्रो क्वो है

अन्य, मैं एक के बारे में कुछ भी आपत्तिजनक या टालमटोल नहीं देखता

एक पक्ष को समाप्त करने का अधिकार देने वाला प्रावधान यदि दूसरा

दिवालिया हो जाता है। '

(जोर दिया गया)

इस प्रकार, यह समझा गया कि प्रामाणिक वाणिज्यिक अनुबंध

जिन पक्षों में इप्सो फैक्टो खंड शामिल हैं, वे वंचितता विरोधी नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे।

102. लॉर्ड मैन्स ने भी समानांतर कार्यवाही पर चर्चा की

यू. एस. और वहां इप्सो फैक्टो खंडों का विधायी अमान्यकरण। यू. के. और यू. एस. में स्थिति के बीच के अंतर को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने यह मानते हुए निष्कर्ष निकाला कि यू. के. में इप्सो फैक्टो खंडों का एक समान अमान्यकरण। इसे विधायी रूप से किया जाना चाहिए, न कि एक सामान्य कानून विकास के माध्यम से।

उन्होंने इस प्रकार कहाः

इप्सो फैक्टो समाप्ति खंडों को अमान्य करना कानून का एक उत्पाद हैः दिवालियापन संहिता 1978 की धारा 365 (ई)।

मामला कानून धारा 541 में एक समानांतर पाता है। लेकिन अंग्रेज़ी मामला कानून आज तक संपत्ति के अभाव पर केंद्रित है,

और इसके किसी भी समकक्ष सिद्धांत को मान्यता नहीं दी है

धारा 365 (ई) में अधिनियमित। इसके अलावा, धारा 365 (ई) स्वयं है।

धारा 560 के "सुरक्षित बंदरगाह" प्रावधानों द्वारा अर्हता प्राप्त, जो

विशेष रूप से एक गैर-चूक अदला-बदली प्रतिभागी के अनुबंध की रक्षा करें

अदला-बदली समझौते को समाप्त करने, समाप्त करने या उसमें तेजी लाने का अधिकार धारा 365 (ङ) (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार की शर्त के कारण,

वह देनदार की दिवालियापन या वित्तीय स्थिति है और

दिवालियापन के मामले की शुरुआत। यह क्या सुझाव देता है

यह है कि कोई भी सामान्य नियम जो इप्सो फैक्टो समाप्ति को अमान्य करता है

खंड विधायी ध्यान देने का विषय होना चाहिए, बल्कि

नवीन सामान्य कानून विकास की तुलना में "।

(जोर दिया गया)

103. बेलमोंट पार्क (ऊपर) में निर्णय का पालन किया गया है।

ई. फाइब्रिया सेलुलोज एस/ए बनाम पैन ओशन कंपनी में चांसरी डिवीजन

बनाम फाइब्रिया सेलुलोज एस/ए चांसरी डिवीजन, दिनांक 30 जून

76.मॉर्गन जे ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:

" 12 कुछ क्षेत्राधिकारों में, एक खंड जो एक पक्ष को अनुबंध करने की अनुमति देता है

दिवालिया होने के कारण अनुबंध को समाप्त करना

ऐसे खंडों के तहत अधिकार। बाद में इस फैसले में, मैं विचार करूँगा कोरियाई दिवाला कानून के तहत इस तरह के खंडों को कैसे माना जाता है।

13 प्रभावकारिता को लेकर मेरे सामने कोई विवाद नहीं था।

अनुबंध के खंड 28 में प्रावधानों का अंग्रेजी कानून

जो दिवालिया घटना के कारण समाप्ति की अनुमति देता है।

कानून, जिसे वंचितता विरोधी नियम के रूप में जाना जाता है, हड़ताल नहीं करता है उन प्रावधानों को कम करें।

14 हालांकि एक के दृष्टिकोण के रूप में कोई तर्क नहीं था

खण्ड 28 में दिवाला प्रावधानों के लिए अंग्रेजी न्यायालय

[4] बस। एल. आर. 1041; इसके बाद "पैन ओशन कंपनी लिमिटेड" [2021] 13 एस. सी. आर. के रूप में संदर्भित किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अनुबंध, यह वर्तमान उद्देश्यों के लिए यह समझने में सहायक है कि वे क्यों हैं

प्रावधान वंचितता विरोधी नियम या किसी अन्य का उल्लंघन नहीं करते हैं।

अंग्रेजी दिवाला कानून का नियम। अभाव-विरोधी का दायरा

हाल ही में बेलमोंट में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियम पर विचार किया गया है। पार्क इन्वेस्टमेंट्स पीटीवाई लिमिटेड बनाम बीएनवाई कॉर्पोरेट ट्रस्टी सर्विसेज

लिमिटेड (राजस्व और सीमा शुल्क हस्तक्षेप) [2011] बस एल. आर.

1266 ; [2012] 1 एसी 383 "।

(जोर दिया गया)

104. अपने ग्रंथ में, कॉर्पोरेट दिवाला कानून के सिद्धांत "

प्रोफेसर रॉय गूडे ने इप्सो फैक्टो खंडों की वैधता पर बेलमोंट पार्क (ऊपर) में निर्णय के प्रभाव पर चर्चा की है। प्रोफेसर गूडे निम्नलिखित शब्दों में ऐसा करते हैं:

ऐसा प्रतीत होता है कि बेलमोंट में लॉर्ड मैन्स द्वारा स्वीकार किया गया था। इस तरह के प्रावधान नियम से बच नहीं पाते हैं क्योंकि वे प्रभावी होते हैं।

संपत्ति का कोई अभाव नहीं (वास्तव में, वे करते हैं), लेकिन क्योंकि वे व्यावसायिक रूप से समझदार हैं या (लॉर्ड मैन्स के अनुसार)

भाषा) का एक वैध व्यावसायिक आधार है। कुछ क्षेत्राधिकारों का वैधानिक कानून समकक्षों को अनुबंधों के उन खंडों पर भरोसा करने से रोकता है जो

दिवालिया कार्यवाही (तथाकथित इप्सो फैक्टो खंड) में किसी अन्य पक्ष के प्रवेश पर समाप्ति की अनुमति देते हैं। वैधानिक नियंत्रण के अभाव में, ऐसे खंड अनुमति देते हैं -

उन परिस्थितियों में भी समाप्त करने के लिए प्रतिपक्ष जहां देनदार

प्रतिपक्ष। इस तरह के खंडों को देनदार से रियायतें निकालने के लिए लाभ के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां प्रतिपक्ष अनुबंध को इस परंतुक पर रखने के लिए सहमत होता है कि कंपनी द्वारा उसे देय किसी भी बकाया ऋण का निर्वहन किया जाता है। अंग्रेजी कानून ने पारंपरिक रूप से इस तरह के खंडों के लिए एक उदार दृष्टिकोण अपनाया है। सामान्य कानून वंचितता विरोधी नियम समाप्ति खंडों को अमान्य नहीं करता है, जिसमें कुछ भी नहीं है।

77 5 टीएच एड (लंदन: स्वीट एंड मैक्सवेल, 2018), पैरा 7-24 और 7-29 ए. आर. ए. टी. यू. आर. जे. ए. विकास निगम लिमिटेड।

वी. एम. आर. अमित गुप्ता और ओआरएस।

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

किसी को हकदार बनाने वाले प्रावधान के बारे में आपत्तिजनक या टालमटोल

पार्टी इसे समाप्त करने के लिए [एक द्विपक्षीय अनुबंध] यदि दूसरा दिवालिया हो जाता है "। जैसा कि डेविड रिचर्ड्स जे ने समझाया

फुटबॉल लेनदारों का मामला:

" विशिष्ट वैधानिक प्रावधान के अभाव में, दिवाला कानून किसी पक्ष को किसी कंपनी के साथ सौदा जारी रखने के लिए मजबूर नहीं करता है

प्रशासन या परिसमापन, और न ही यह किसी पक्ष को प्रतिबंधित करता है

यह निर्धारित करते हुए कि भविष्य के सभी सौदे उन शर्तों पर होंगे जो न केवल

भविष्य के ऋणों के साथ-साथ मौजूदा ऋणों का भी पूरा भुगतान किया जाता है। तब इसके लिए

प्रशासक या परिसमापक यह तय करने के लिए कि इन्हें स्वीकार करना है या नहीं

शर्तें। 9999

(जोर दिया गया)

105. विधायी पक्ष पर, यू. के. में दिवाला व्यवस्था है

दिवाला अधिनियम, 19867 द्वारा लागू किया गया, जो आई. पी. एस. ओ. को अमान्य नहीं करता है

खंड। हालाँकि, यूके अधिनियम को हाल ही में संशोधित किया गया था

ओरेट दिवाला और शासन अधिनियम 2020 ", जो 5 जून 2020 को लागू हुआ। अन्य परिवर्तनों के अलावा, इसने धारा 233 बी लागू की।

यूके अधिनियम। धारा 233 ख इस प्रकार है:

" वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति का संरक्षण

(2) ..... (3) माल की आपूर्ति के लिए अनुबंध का प्रावधान या

कंपनी को दी जाने वाली सेवाओं का प्रभाव तब समाप्त हो जाता है जब कंपनी प्रासंगिक दिवालियापन के अधीन हो जाती है

प्रक्रिया यदि और उस सीमा तक कि, प्रावधान के तहत

या आपूर्ति, या कोई अन्य काम करना, क्योंकि कंपनी प्रासंगिक दिवाला प्रक्रिया के अधीन हो जाता है।

अधिनियम "जीए"

[2021] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(4) कहाँ?

(क) कंपनी को वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के लिए अनुबंध के प्रावधान के तहत आपूर्तिकर्ता दिवालिया अवधि की शुरुआत से पहले होने वाली घटना के कारण अनुबंध या आपूर्ति को समाप्त करने का हकदार है, और

(ख) उस अवधि की शुरुआत से पहले पात्रता उत्पन्न होती है, उस अवधि के दौरान पात्रता का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। (5) जहां किसी अनुबंध का कोई प्रावधान उप-धारा (3) के तहत प्रभावी नहीं होता है या किसी प्रावधान के तहत पात्रता समाप्त हो जाती है।

उप-धारा (4) के तहत किसी अनुबंध का उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो आपूर्तिकर्ता अनुबंध को समाप्त कर सकता है यदि (क) एक ऐसे मामले में जहां कंपनी एक प्रासंगिक मामले के अधीन हो गई है

उप-धारा (2) (बी), (सी), (ई) या (एफ) में विनिर्दिष्ट दिवाला प्रक्रिया, पद-धारक अनुबंध की समाप्ति के लिए सहमति देता है,

(ख) किसी अन्य मामले में, कंपनी की समाप्ति के लिए सहमति देता है

अनुबंध, या (ग) न्यायालय संतुष्ट है कि अनुबंध को जारी रखने से आपूर्तिकर्ता को कठिनाई होगी और अनुमति दी जाएगी।

अनुबंध की समाप्ति के लिए।

उप-धारा (5) (ए) से (सी) के अनुसार अनुबंध को समाप्त करना। (7) आपूर्तिकर्ता उस समय के बाद वस्तुओं और सेवाओं की किसी भी आपूर्ति की शर्त नहीं लगाएगा जब कंपनी प्रासंगिक दिवालिया प्रक्रिया के अधीन हो जाएगी, या ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिसका प्रभाव उसे ऐसी आपूर्ति की शर्त बनाने पर पड़े, कि

उस समय से पहले कंपनी को की गई आपूर्ति के संबंध में बकाया शुल्क का भुगतान किया जाता है।

(9) ..... (10) ..... "

(जोर दिया गया)

गुजरात उर्जा विकास निगम लिमिटेड। वी. एम. आर. अमित गुप्ता और ओआरएस।

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

106. धारा 233 बी की शुरूआत पर विधायी टिप्पणी

इस प्रकार पढ़ता है:

" इप्सो फैक्टो (समाप्ति) खंड

आपूर्ति में समाप्ति खंडों के उपयोग में एक स्थायी परिवर्तन

कंपनी को आपूर्ति करना बंद करें या अनुबंध की शर्तों में बदलाव करें (जैसे। आपूर्ति की कीमत में वृद्धि करके)।

ग्राहक को एक बार की गई किसी भी आपूर्ति के लिए भुगतान करना पड़ता है।

कंपनी दिवालिया प्रक्रिया में है, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है पिछली आपूर्ति के लिए बकाया राशि का भुगतान करने के लिए जबकि यह है

अपनी बचाव योजना की व्यवस्था करना। सुरक्षा उपायों में निहित हैं

यह सुनिश्चित करने के लिए बिल कि आपूर्तिकर्ताओं को राहत दी जा सकती है

आपूर्ति की आवश्यकता यदि यह उनके व्यवसाय के लिए कठिनाई का कारण बनती है,

और छोटी कंपनियों के लिए एक अस्थायी छूट काम करेगी।

कोरोनावायरस आपातकाल के दौरान '।

(जोर दिया गया)

107. इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जबकि धारा 233 ख

इप्सो फैक्टो खंडों को अमान्य करता है, यह केवल उन अनुबंधों के संबंध में ऐसा करता है जहां समाप्त करने वाला पक्ष कॉर्पोरेट देनदार को वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति कर रहा है, और उन अनुबंधों को शामिल नहीं करता है जहां

कॉर्पोरेट देनदार समाप्त करने वाले पक्ष को आपूर्ति कर रहा था। इसके अलावा, धारा 233 बी (5) (सी) आपूर्तिकर्ता अनुबंधों के संबंध में भी एक अपवाद की अनुमति देती है जब यह समाप्त करने वाले पक्ष को "वित्तीय कठिनाई" का कारण बनती है, और धारा 233 बी (6) समाप्ति की अनुमति देती है यदि एक बार समाप्त करने वाले पक्ष को समाप्त करने से रोका जाता है, तो कॉर्पोरेट देनदार एक अन्य दिवालिया कार्यवाही से गुजरता है। कुछ टिप्पणीकारों द्वारा यह भी नोट किया गया है कि, धारा 233 बी के संकीर्ण दायरे को देखते हुए, बेलमोंट में निर्णय इस नई व्यवस्था के तहत भी पार्क (सुप्रा) अभी भी उसी तरह से तय किया गया होगा। अंत में, सी. आई. जी. ए. के पीछे की विधायी प्रक्रिया पर चर्चा करते हुए,

फेलिसिटी टुबे क्यू. सी. और जोआन रुमले ने नोट किया है कि यू. के. संसद का इरादा सी. आई. जी. ए. का उपयोग यू. के. को यू. एस. की स्थिति के अनुरूप लाने का नहीं था। 80 ' निगमित दिवाला और शासन अधिनियमः इप्सो फैक्टो (समाप्ति) खंड '(एशर्स्ट, 26 जून 2020) //डब्ल्यू. डब्ल्यू. एशर्स्ट। com/en/समाचार-और-अंतर्दृष्टि/कानूनी-अद्यतन/सिगा-इप्सो-वास्तविक-समाप्ति-खंड/> 18 फरवरी 2021 तक पहुँचा गया।

इप्सो फैक्टो खंडों का व्यापक अमान्यकरण, बल्कि उनका ध्यान यह सुनिश्चित करने पर था कि कॉर्पोरेट देनदार दिवालिया प्रक्रिया 81 के दौरान वस्तुओं की अपनी आपूर्ति को बनाए रखे।

जे. 2.3 ऑस्ट्रिया

108. अमेरिका के समान स्थिति ऑस्ट्रिया में अपनाई गई है।

जहां, 1 जुलाई 2010 को लागू होने वाले दिवाला शासन सुधार के बाद, ऑस्ट्रियाई दिवाला संहिता 82 की धारा 25 बी (2) के अनुसार इप्सो फैक्टो खंडों को व्यापक रूप से अमान्य माना जाता है। यह कानून अनुबंधों में ऐसे सभी प्रावधानों को अप्रवर्तनीय बनाता है जो एक पक्ष को प्रदान करते हैं।

दिवाला कार्यवाही शुरू होने के कारण समाप्ति अधिकारों के साथ ऋणी के खिलाफ। हालाँकि, यह केवल तभी होता है जब समाप्त करने वाले पक्ष के हित अनुचित रूप से प्रभावित नहीं होते हैं, यानी जब एक समाप्त करने वाला पक्ष समाप्त करने के लिए एक अच्छा कारण दिखा सकता है, तो समाप्ति को अप्रवर्तनीय नहीं बनाया जाएगा। इसके अलावा, अनुबंधों में उल्लिखित चूक की अन्य घटनाओं के कारण अनुबंध समाप्ति वैध रहती है।

जे. 2.4 फ्रांस

109. फ्रांस में भी यही स्थिति है, जो अपने 2014 के सुधार के बाद से, अनुच्छेद एल 622-138, एल 631-14 (आई) 85 और एल 641-11% के अनुसार है।

81 फेलिसिटी टुबे क्यू. सी., जोआन रुमली 'एक बहादुर नई दुनिया? क्या ब्रिटेन को गैर-निष्पादन अनुबंधों में इप्सो फैक्टो खंडों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? ' दिवाला खुफिया 2018 82 " अमान्य समझौते। धारा 25ख। (2) दिवाला कार्यवाही शुरू होने की स्थिति में किसी अनुबंध को रद्द करने या समाप्त करने वाला संविदात्मक प्रावधान धारा 20 (4) के अनुसार अनुबंधों को छोड़कर अप्रवर्तनीय होगा। अंग्रेजी अनुवाद <HTTPS पर उपलब्ध है: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. राउटनर। कॉम/डब्ल्यूपी-सामग्री/अपलोड/2016/05/3645187 _ ऑस्ट्रियाई

दिवाला-Code_ENG.pdf> 24 फरवरी 2021 तक पहुँचा गया।

83 जान फेलिक्स हॉफमैन, 'क्रॉस-बॉर्डर इन्सॉल्वेंसीज में निष्पादन अनुबंध, इप्सो फैक्टो क्लॉज और लाइसेंसिंग समझौते' (2018) 27 इंटरनेशनल इन्सॉल्वेंसी रेव 300,304; 'इंटरनेशनल कम्पैरेटिव लीगल गाइड' (इंटरनेशनल कम्पैरेटिव लीगल गाइड इंटरनेशनल बिजनेस रिपोर्ट्स) //आइसीएलजी। कॉम/प्रैक्टिस-एरिया/रिस्ट्रक्चरिंग-एंड इन्सॉल्वेंसी-लॉज़-एंड-रेगुलेशन्स/ऑस्ट्रिया> को 18 फरवरी 2021 को एक्सेस किया गया। 84 ". इसके विपरीत किसी भी कानूनी नियम या संविदात्मक अवधि के बावजूद, अनुबंध की अविभाज्यता, समाप्ति या निरसन के प्रारंभ से परिणाम नहीं हो सकता है केवल कार्यवाही की रक्षा करें। "अंग्रेजी अनुवाद <HTTPS: पर उपलब्ध है: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. वाइपो। int/edocs/lexdocs/वितियाँ/en/fr/fr199en। पी. डी. एफ.> 24 फरवरी 2021 को पहुँचा गया।

85 " I-अनुच्छेद L 622-2 से L 622-9 और L 622-13 से L 622-33 पुनर्गठन की कार्यवाही पर लागू होंगे। अंग्रेजी अनुवाद <HTTPS पर उपलब्ध है: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. वाइपो। int/edocs/lexdocs/वितियाँ/en/fr/fr199en। पी. डी. एफ.> 24 फरवरी 2021 को पहुँचा गया।

86 " पर्यवेक्षी न्यायाधीश अनुच्छेद एल 621-9, एल 623-2 और एल 631-11, अनुच्छेद एल 622-13 के पहले पैराग्राफ और अनुच्छेद एल 622-16 के चौथे पैराग्राफ द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों का पालन

करेगा। अंग्रेजी अनुवाद <HTTPS पर उपलब्ध है: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. वाइपो। int/edocs/lexdocs/वितियाँ/en/fr/fr199en। पी. डी. एफ.> 24 फरवरी 2021 को पहुँचा गया।

गुजरात उर्जा विकास निगम लिमिटेड। वी. एम. आर. अमित गुप्ता और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

वाणिज्यिक संहिता, स्पष्ट रूप से बताती है कि निष्पादन अनुबंधों में इप्सो फैक्टो खंड अमान्य हैं। हालांकि, आई. पी. एस. ओ. वास्तविक खंडों के अलावा निष्पादन अनुबंध के उल्लंघन का उल्लेख करने वाले समाप्ति अधिकार पूर्व और बाद दोनों में होने वाली चूक की घटनाओं के कारण मान्य रहते हैं।

प्रशासक को इससे उत्पन्न होने वाले पूर्व-दिवालिया दावों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है अनुबंध को जारी रखने के लिए अधिमानत: एक निष्पादन अनुबंध; हालाँकि, उसे समाप्ति को रोकने के लिए भविष्य में अनुबंध का पालन करना होगा

जे. 2.5 जर्मनी

110. जर्मन दिवाला व्यवस्था दिवाला द्वारा शासित है।

क़ानून, 1999 (इन्सॉल्वेंसॉर्डनुंग) 9 9. हालाँकि, एक बदलाव आने वाला है, क्योंकि 17 दिसंबर 2020 को जर्मन संसद ने पुनर्गठन और दिवाला कानून के आगे के विकास पर अधिनियम पारित किया, जिससे जर्मनी में पुनर्गठन परिदृश्य में एक मौलिक संशोधन होने की उम्मीद है। सैनइन्सएफओजी मुख्य रूप से ऊपर चर्चा किए गए ईयू निर्देश को लागू करने के लिए कार्य करता है, और इसका उद्देश्य एक व्यापक योजना शुरू करना है।

अदालत से बाहर के पुनर्गठन के लिए कानूनी ढांचा। सैनइन्सएफओजी का केंद्रबिंदु कंपनियों के लिए स्थिरीकरण और पुनर्गठन ढांचे पर अधिनियम है, जो 1 जनवरी 2021 को आंशिक रूप से लागू हुआ। स्थगन की धारा 46 के अनुसार, अधिस्थगन के दौरान इस अवधि में, देनदार के अनुबंधित पक्ष एक लंबित पुनर्गठन में वास्तविक खंडों के आधार पर देनदार के साथ अपने अनुबंध को समाप्त नहीं कर सकते हैं।

बात है।

111. हालाँकि, स्टैरूग के प्रभाव में आने से पहले, इप्सो फैक्टो खंडों की वैधता पर पहले जर्मन अदालतों द्वारा विचार किया गया था।

दिवालिया कार्यवाही शुरू करने या अन्य संविदात्मक की परिसंपत्तियों पर दिवालिया कार्यवाही शुरू करने के अनुरोध के कारण 87 ' अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक कानूनी गाइड '(अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक कानूनी गाइड अंतर्राष्ट्रीय व्यापार रिपोर्ट) //आइसीएलजी। कॉम/प्रैक्टिस-एरिया/रिस्ट्रक्चरिंग-एंड

इन्सॉल्वेंसी-लॉज़-एंड-रेगुलेशन्स/फ़्रांस> 18 फरवरी 2021 तक पहुँचा गया। 305 पर 88 आई. बी. आई.

89 " इंसो 9 "

9 0 "सैनइन्सफोग"

91 " स्टरूग

"[2021] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पार्टी। संघीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी माना कि इस तरह के अमान्य होने के लिए, यह अप्रासंगिक था कि क्या कारण दिवालिया होने की संस्था थी दिवाला याचिका की कार्यवाही या दाखिल करना। संक्षेप में, मामले के तथ्य यह थे कि एक उपयोगिता प्रदाता ने बिजली प्रदान करने के लिए एक दीर्घकालिक अनुबंध किया था। ऊर्जा अनुबंध में एक इप्सो फैक्टो खंड था जो दिवालियापन की कार्यवाही होने पर स्वचालित समाप्ति की अनुमति देता था।

उपयोगिता प्रदाता के ग्राहक पर स्थापित या यदि ग्राहक ने दिवालियापन के लिए याचिका दायर की है। इप्सो फैक्टो खंड को तब समाप्त करने वाले पक्ष द्वारा प्रभावी किया गया था।

अनुबंधों का निष्पादन, जो दिवालिया कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा करता है और निपटान के हित में ऐसी परिसंपत्तियों को बढ़ाता है लेनदार पैरी पासू का दावा करता है। विशेष रूप से, यह नोट किया गया कि दिवालिया प्रशासक को यह चुनने का अधिकार है कि वह दिवालिया देनदार के कौन से अनुबंध आई. एन. एस. ओ. की धारा 103 के अनुसार करेगी। इसलिए, इस अधिकार को छोड़कर या सीमित करने वाला कोई भी संविदात्मक प्रावधान आई. एन. एस. ओ. की धारा 119 के अनुसार अमान्य है। इसलिए, यह बाधित होगा यदि दिवालिया देनदार का संविदात्मक भागीदार, केवल अपनी दिवालियापन के कारण, एक अनुबंध को समाप्त कर सकता है जो दिवालिया देनदार के हित में और उसके लाभ के लिए है। इसके अलावा, संघीय सर्वोच्च न्यायालय ने नोट किया कि आई. पी. एस. ओ. वास्तविक खंडों के आधार पर समाप्ति पर रोक से समाप्ति करने वाले पक्ष को कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि तब उन्हें अपनी पूर्ति के लिए पूर्ण रूप से भुगतान प्राप्त होगा जिसे तथाकथित पसंदीदा संपत्ति देयता 9 2 कहा जाता है।

113. हालाँकि, जिस हद तक वैधानिक कानून स्वयं पहले से ही एक वास्तविक समाप्ति अधिकार प्रदान करता है, ऐसे समाप्ति अधिकार दिए गए हैं। वैध और लागू करने योग्य माना जाता है। तदनुसार, साझेदारी अनुबंध की वास्तविक समाप्ति को अतीत में संघीय द्वारा बरकरार रखा गया है।

उच्चतम न्यायालय "3. इसके अलावा, 2016 के एक फैसले में, संघीय सर्वोच्च न्यायालय की 7 वीं सीनेट ने एक निर्माण में निहित एक इप्सो फैक्टो खंड को बरकरार रखा। समाप्ति करने वाले पक्ष के पक्ष में अनुबंध। इसने अभिनिर्धारित किया कि ऐसे खंड हैं -

92 ' दिवाला की संभावित वैधता-जर्मन दिवाला नियमों के तहत संबंधित समाप्ति खंड '(वैश्विक पुनर्गठन निगरानी, 17 सितंबर 2014) // डब्ल्यू. डब्ल्यू. वैश्विक पुनर्संरचना घड़ी। com/2014/09 दिवालियापन से संबंधित संभावित-वैधता

समाप्ति-खंड-के तहत-जर्मन-दिवाला-नियम/> 18 फरवरी 2021 तक पहुँचा गया। 93 वोल्कर गैट्रिंगर, 'जर्मन सुप्रीम कोर्ट ने इप्सो फैक्टो खंडों को अमान्य और अप्रवर्तनीय बना दिया-रोमा लोकुटा, कौसा फिनिटा?' (के एंड एल गेट्स, 27.02.2013)।

गुजरात उर्जा विकास निगम लिमिटेड। वी. एम. आर. अमित गुप्ता और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

वैध है जब अनुबंध करने वाले पक्ष को दिवालिया होने में अनुबंध को समाप्त करने का उचित अधिकार है, और संपत्ति के हित अनुचित रूप से प्रभावित नहीं होते हैं। इस प्रकार, ऐसे खंडों की वैधता पर जर्मन कानून की स्थिति को कभी भी पूरी तरह से न्यायिक रूप से तय नहीं किया गया था।

जे. 2.6 यूनान

114. दिवालियापन संहिता (कानून 3588/2007) के अनुच्छेद 32 में कहा गया है कि "काउंटर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के अधिकारों के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा। एक खंड के आधार पर अनुबंध को रद्द करना, जो दूसरे पक्ष के दिवालिया होने या सामूहिक निष्पादन कार्यवाही के अधीन होने के मामले में रद्द करने की अनुमति देता है। इसलिए, इप्सो फैक्टो खंडों को ग्रीस में विधायी रूप से वैधता प्रदान की जाती है।

जे. 2.7 कोरिया गणराज्य

115. कोरिया गणराज्य नागरिक कानून परंपरा का पालन करता है। ऋणदाता पुनर्वास और दिवालियापन अधिनियम के अनुच्छेद 119 (1) के तहत

कोरिया ", पुनर्वास से गुजर रही कंपनी का संरक्षक चुन सकता है

किसी अप्रचलित द्वैपाक्षिक अनुबंध को रद्द करना या समाप्त करना। ऐसा प्रतीत होता है कि अनुच्छेद 119 संरक्षक को दूसरे पक्ष को अपनी शर्तों को पूरा करने की अनुमति देता है।

इस तरह के अनुबंध के तहत दायित्व। जबकि कुछ टिप्पणीकारों ने नोट किया है कि यह अनिवार्य रूप से एक इप्सो फैक्टो खंड पर प्रतिबंध की प्रकृति में माना जाता है, अन्य कहते हैं कि इस स्थिति को सभी न्यायालयों द्वारा समान रूप से नहीं अपनाया गया है। वास्तव में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जारी किया 9 4 जनवरी फेलिक्स हॉफमैन, 'एक्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स, इप्सो फैक्टो क्लॉज एंड लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स इन क्रॉस-बॉर्डर इन्सॉल्वेंसीज' (2018) 27 इंटरनेशनल इन्सॉल्वेंसी रेव 300,305। 95 क्रिस्टोफ जी पॉलस और स्टैथिस पोटामाइटिस और अलेक्जेंड्रोस रोकास और इग्नासियो टेराडो, 'बाजार

अर्थव्यवस्था के मुख्य स्तंभ के रूप में दिवाला कानून-ग्रीक दिवाला कानून का एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन' (2015) 24 अंतर्राष्ट्रीय दिवाला रेव 1,18।

9 6 अनुच्छेद 119 (विकल्प जब दोनों पक्ष द्वैपाक्षिक अनुबंध को पूरा करने में विफल रहते हैं)-(1) जब देनदार और दूसरे पक्ष को पुनर्वास प्रक्रिया शुरू होने के समय अनुबंध का निष्पादन पूरा करना होता है, तो कोई भी संरक्षक ऐसे द्वैपाक्षिक अनुबंध को रद्द या समाप्त कर सकता है और देनदार से अपने दायित्वों को पूरा करने का अनुरोध कर सकता है और दूसरे पक्ष से अपने दायित्वों को पूरा करने की अपेक्षा कर सकता है: बशर्ते कि संरक्षक किसी पुनर्वास प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करने के लिए आयोजित संबंधित व्यक्तियों की सभा के बाद या अनुच्छेद 240 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी मामले पर लिखित प्रस्ताव पारित करने का निर्णय लेने के बाद द्विपक्षीय अनुबंध को रद्द या समाप्त नहीं करेगा। 97 जून यंग चुंग और सी ने किम, "कोरियाई कॉर्पोरेट पुनर्वास कार्यवाही और पार-सीमा दिवालियापन-हैंजिन शिपिंग दिवालियापन मामले के परिप्रेक्षय से" //निसबा। ओ. आर. जी./एन. वाई. एस. बी. ए./सेक्शन/इंटरनेशनल/इवेंट्स/2018 /

सियोल% 20 क्षेत्रीय% 20 बैठक/पाठ्यक्रम% 20 सामग्री/4 _ कोरियाई% 20 निगमित% 20 पुनर्वास% 20 कार्यवाही% 20 और% 20 पार-सीमा% 20 दिवालियापन. पी. डी. एफ.> 24 फरवरी 2021 को पहुँचा गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सितंबर 2020 में कोरिया गणराज्य के "वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम" का संचालन करते हुए "दिवाला और लेनदार अधिकारों" पर एक तकनीकी टिप्पणी, जिसमें उन्होंने स्पष्टता की इस कमी को भी नोट किया और विधायी मार्गदर्शन की सिफारिश की।

116. इस स्पष्टता की कमी को एक ऐसे मामले से दिखाया गया है जहां अनुच्छेद 119 के पूर्ववर्ती पर कोरियाई सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में विचार किया था।

पैन ओशन कंपनी लिमिटेड (ऊपर) 100 1 0 0, ऊपर चर्चा की गई, जहां चांसरी डिवीजन एक नियंत्रित अनुबंध में इप्सो फैक्टो खंड पर विचार कर रहा था। अंग्रेजी कानून द्वारा, लेकिन जहां पार्टी दिवालिया होने से गुजर रही थी

कोरिया गणराज्य में कार्यवाही। कोरियाई सुप्रीम कोर्ट ने एलाइड डोमेक (सुप्रा) में कहा कि अनुच्छेद 119 द्वारा शासित नहीं होने वाले मामले में दिवालिया समाप्ति खंड वैध होगा। इसके बाद इसने अनुबंध के प्रकारों पर विचार किया जो अनुच्छेद 119 के भीतर आते हैं, और उस मामले में विशेष रूप से

अप्रचलित द्विपक्षीय अनुबंध के तहत दायित्वों की प्रकृति का उल्लेख किया। अंततः, इसने अभिनिर्धारित किया कि उस मामले में अनुबंध अनुच्छेद 119 द्वारा शासित नहीं था।

टोंगयांग नेटवर्क्स कंपनी लिमिटेड बनाम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड, जो एक अनुबंध से संबंधित था जिसके तहत देनदार कंपनी को करना था

बैंक को सेवाएँ प्रदान करें। अनुबंध में एक दिवाला समाप्ति खंड था और बैंक ने उस खंड के अनुसार समाप्त करने के लिए नोटिस दिया, या देने का इरादा किया। ऋणी कंपनी के न्यासी ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 119 के कारण बैंक के समाप्त करने के अधिकार को अमान्य माना जाना चाहिए या, वैकल्पिक रूप से, बैंक को कम से कम पुनर्वास की अवधि के दौरान अनुबंध को समाप्त करने से बचना चाहिए। अदालत ने एलाइड डोमेक (ऊपर) में पहले के फैसले पर विचार किया

प्रतिपक्ष को देनदार कंपनी पर भरोसा करने में सक्षम होने की आवश्यकता है, सभी परिस्थितियों को देखना आवश्यक था, जैसे कि ऋण की प्रकृति। अनुबंध, देनदार और प्रतिपक्ष की रक्षा करने की आवश्यकता और

9 8 98 फुटनोट 26 पृष्ठ 16 पर उपलब्ध है। //डब्ल्यू. डब्ल्यू. आईएमएफ। org/~/मीडिया/फाइल/प्रकाशन/CR/2020/अंग्रेजी/1KOREA2020003। एशएक्स> 24 फरवरी 2021 को पहुँचा गया।

99 " संबद्ध डोमैक "

100 पैरा 49.

101 पैरा 52।

गुजरात उर्जा विकास निगम लिमिटेड। वी. एम. आर. अमित गुप्ता और ओआरएस।

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

संबद्ध प्रासंगिक कारक। इसके बाद न्यायालय ने इस बात की विस्तृत जांच की कि वह प्रासंगिक कारकों के रूप में क्या मानता है, और यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 119 दिवाला समाप्ति खंड को अमान्य नहीं करता है। हालाँकि, पैन ओशन कंपनी लिमिटेड (ऊपर) में चांसरी डिवीजन ने नोट किया कि यह निर्णय कोरिया गणराज्य में अपील किया जा सकता है।

जे. 2.8 कनाडा

118. विधायी रूप से, कनाडा में, दिवालियापन और दिवाला अधिनियम 05 की धाराएँ 65.1¹02,66.34¹03 और 84.2104 और कंपनियों के प्रावधान '

102 " (1) यदि किसी दिवालिया व्यक्ति के संबंध में इरादे की सूचना या प्रस्ताव दायर किया गया है, तो कोई भी व्यक्ति दिवालिया व्यक्ति के साथ किसी भी समझौते को समाप्त या संशोधित नहीं कर सकता है, जिसमें एक सुरक्षा समझौता भी शामिल है, या दिवालिया व्यक्ति के साथ सुरक्षा समझौते सहित किसी भी समझौते के तहत त्वरित भुगतान या अवधि को जब्त करने का दावा नहीं कर सकता है, केवल इस कारण से कि:

अनुभाग के प्रावधान समझौते को ओवरराइड करते हैं (5) किसी समझौते में कोई भी प्रावधान जो किसी भी चीज के लिए प्रावधान करने या अनुमति देने का प्रभाव रखता है, जो सार में, उपखंड (1) से (3) के विपरीत है, उसका कोई बल या प्रभाव नहीं है।

103 " कुछ अधिकार सीमित हैं

66.34 (1) यदि उपभोक्ता ऋणदाता के संबंध में कोई उपभोक्ता प्रस्ताव दायर किया गया है, तो कोई भी व्यक्ति उपभोक्ता ऋणदाता के साथ किसी भी समझौते को समाप्त या संशोधित नहीं कर सकता है, या उपभोक्ता ऋणदाता के साथ किसी भी समझौते के तहत त्वरित भुगतान का दावा नहीं कर सकता है, या अवधि को जब्त नहीं कर सकता है।

(क) उपभोक्ता ऋणी दिवालिया है, या (ख) उपभोक्ता ऋणी के संबंध में उपभोक्ता प्रस्ताव तब तक दायर किया गया है जब तक कि उपभोक्ता प्रस्ताव वापस नहीं ले लिया जाता है, लेनदारों या अदालत द्वारा अस्वीकार नहीं किया जाता है, रद्द या रद्द नहीं माना जाता है।

धारा के प्रावधान समझौते (5) के किसी भी प्रावधान को ओवरराइड करते हैं जो किसी समझौते में किसी भी ऐसी चीज के लिए प्रावधान करने या अनुमति देने का प्रभाव रखता है जो सार में, उप-धारा (1) से (3) के विपरीत है, कोई बल या प्रभाव नहीं है।

104 " कुछ अधिकार सीमित हैं

84.2 (1) कोई भी व्यक्ति केवल व्यक्ति के दिवालियापन या दिवालियापन के कारण दिवालिया व्यक्ति के साथ किसी भी समझौते के तहत अवधि के त्वरित भुगतान या ज़ब्त का दावा नहीं कर सकता है, जिसमें एक सुरक्षा समझौता भी शामिल है। (5) किसी समझौते में कोई भी प्रावधान जो किसी भी चीज के लिए प्रावधान करने या अनुमति देने का प्रभाव रखता है, जो वास्तव में इस धारा के विपरीत है, कोई बल या प्रभाव नहीं है।

105 " बी.

आई. ए. "[2021] 13 एस. सी. आर.

लेनदार व्यवस्था अधिनियम 06 वाणिज्यिक और उपभोक्ता पुनर्गठन दोनों में इप्सो फैक्टो खंडों को अमान्य कर देता है, और इसका उद्देश्य उपभोक्ता देनदारों को दिवालियापन पर ट्रिगर होने वाले प्रावधानों के हानिकारक परिणामों से बचाना है। ये प्रावधान यह भी स्पष्ट करते हैं कि कोई भी संविदात्मक

चांडोस कंस्ट्रक्शन लिमिटेड बनाम डेलॉयट में अपील का बहुमत निर्णय कैपिटल स्टील इंक. के दिवालियापन में ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में पुनर्गठन इंक. 109, एक दिवालिया (चांडोस)। संक्षेप में, मामले के तथ्य यह थे कि:

चांडोस ने कैपिटल को एक परियोजना के इस्पात कार्य का उप-अनुबंध दिया था।

((i)

स्टील। उप-अनुबंध में एक ऐसी अवधि शामिल थी जिसके तहत कैपिटल स्टील अनुबंध मूल्य का दस प्रतिशत जब्त करने के लिए सहमत हो जाता है यदि यह दिवालिया हो जाता है।

[चंदोस] वैकल्पिक साधनों का उपयोग करके काम पूरा करना और/या काम की निगरानी के लिए "(" दिवाला खंड "); और कैपिटल स्टील ने अपने अधीन अपना अधिकांश काम पूरा किया।

((ख)

दिवालियापन में कोई कार्य करने से पहले चंदोस के साथ उप-अनुबंध करें। डेलॉयट को कैपिटल स्टील की संपत्ति के ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया गया था और कैपिटल स्टील ने उस समय परिचालन बंद कर दिया था। नतीजतन, चंदोस को अपनी लागत पर इस्पात का काम पूरा करना पड़ा। पूरा करने की लागत के बाद भी

शेष अवैतनिक अनुबंध मूल्य के आधार पर चंदोस पर कैपिटल स्टील की संपत्ति का बकाया था। हालाँकि, चांडोस ने यह स्थिति ली कि वह इस पर भरोसा कर सकता है

106 " सीसीएए "

107 एड्रिएन हो, द ट्रीटमेंट ऑफ इप्सो फैक्टो क्लॉज इन कनाडा, (2015) 61: 1 मैकगिल एलजे 139।

108 " एससीसी "

109 2020 एस. सी. सी. 25 गुजरात उर्जा विकास निगम लिमिटेड। वी. एम. आर. अमित गुप्ता और ओआरएस।

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

दिवाला खंड अनुबंध मूल्य के 10 प्रतिशत (लगभग 1,40,000 डॉलर) को 'असुविधा शुल्क' के रूप में काटने के लिए और यह कि, एक बार कटौती करने के बाद, चांडोस पर कैपिटल स्टील का कुछ भी बकाया नहीं था। द.

न्यासी न्यायिक निर्धारण के लिए एक आवेदन लेकर आए

क्या दिवाला खंड लागू करने योग्य था।

120. एस. सी. सी. की बहुमत राय ने माना कि वर्तमान खंड ने 'वंचितता विरोधी नियम' में आधारित सामान्य कानून सिद्धांत का उल्लंघन किया है, जो उन प्रावधानों को अमान्य करता है जो "देनदार की दिवालियापन से जुड़े हैं और लेनदारों के पूर्वाग्रह के लिए देनदार की संपत्ति से मूल्य को हटा देते हैं"। इसके अलावा, इसने तर्क दिया कि वंचितता विरोधी नियम सामान्य कानून में मौजूद है; कि यह कनाडा के कानून का हिस्सा था, और न तो न्यायिक रूप से और न ही विधायी रूप से बाहर रखा गया था। बी. आई. ए. में पूरी तरह से संहिताबद्ध नहीं होने के बावजूद इसका अस्तित्व बना रहा। चूँकि यह नियम संविदात्मक शर्तों को रद्द कर देता है जो संपत्ति को दिवालियापन न्यासी को पारित करने से रोकते हैं, इस नियम का लागू न होना भी बी. आई. ए. की धारा 71 के उद्देश्य के खिलाफ होगा। बहुमत की राय अंततः वंचितता विरोधी नियम को समझने के लिए 'प्रभाव-आधारित' परीक्षण पर निर्भर थी, यह देखते हुए कि यह बी. आई. ए. के अनुरूप था, जिससे यह अभिनिर्धारित किया गया कि कोई भी खंड जिसका देनदार की संपत्ति को हटाने का 'प्रभाव' था, वह वंचितता विरोधी नियम के खिलाफ होने के रूप में अमान्य होगा। इसके विपरीत, असहमत राय 'प्रामाणिक वाणिज्यिक लेनदेन परीक्षण' पर निर्भर थी जैसा कि बेलमोंट पार्क (ऊपर) में यू. के. एस. सी. द्वारा प्रतिपादित किया गया था, और नोट किया कि बी. आई. ए. में आई. पी. एस. ओ. वास्तविक खंडों की अयोग्यता का संहिताकरण वंचितता विरोधी नियम के पीछे के सिद्धांतों से असंबंधित था क्योंकि "आई. पी. एस. ओ. वास्तविक प्रावधानों का उद्देश्य सुरक्षा करना है।

देनदार; अभाव विरोधी नियम, इसके विपरीत, लेनदारों की रक्षा करता है।

121. कुछ टिप्पणीकारों का कहना है कि इसका व्यावहारिक प्रभाव

निर्णय यह है कि यदि कोई संविदाकारी पक्ष दिवालिया कार्यवाही में प्रवेश करता है, तो कुछ संविदात्मक खंड जो दिवालिया होने से उत्पन्न होते हैं और मूल्य को हटा देते हैं

ऋणी की संपत्ति शून्य है और कनाडा की अदालतों द्वारा प्रभावी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, उनका मानना है कि एस. सी. सी. ने यू. के. सुप्रीम कोर्ट के वंचितता विरोधी नियम के बारे में अधिक उदार दृष्टिकोण को खारिज कर दिया और यू. एस. दिवालियापन संहिता 1 1 1 में एंटी-इप्सो फैक्टो खंड प्रावधानों में अंतर्निहित नीति के साथ अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है।

110 पैरा 118.

' कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय ने चंदोस पर रोक लगा दी: वंचितता विरोधी नियम

कनाडा '(नॉर्टन रोज़ फुलब्राइट, जनवरी 2021) //डब्ल्यू. डब्ल्यू. नॉर्टनरोजफुलब्राइट। com/en-ca/ज्ञान/प्रकाशन/db4bb7a6/chandos-समर्थित-द्वारा-सर्वोच्च-अदालत-की-कनाडा> 18 फरवरी 2021 को पहुँचा गया।

[2021] 13

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जे. 2.9 ऑस्ट्रेलिया

122. हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में कोषागार कानून संशोधन (2017 उद्यम प्रोत्साहन संख्या 2) अधिनियम, 20171 1 2 ने निगमों में संशोधन किया

अधिनियम, 2001, जो दिवाला व्यवस्था को नियंत्रित करता है। इस नई व्यवस्था के तहत, एक निर्दिष्ट पुनर्गठन या दिवालिया प्रक्रिया की अवधि के दौरान, एक अनुबंध, समझौते या व्यवस्था में एक अधिकार लागू करने योग्य नहीं होगा। और 'स्व-निष्पादन प्रावधान' लागू नहीं होंगे, केवल इस कारण से कि कंपनी निर्दिष्ट प्रक्रिया में प्रवेश कर रही है।

स्थिति; एक निर्धारित कारण; या एक कारण जो उपरोक्त के विपरीत है।

123. इस संशोधन से पहले, इप्सो फैक्टो खंडों के आधार पर अनुबंधों की समाप्ति की अनुमति दी गई थी। नई व्यवस्था भी लागू होती है

1 जुलाई 2018 को या उसके बाद किए गए अनुबंध, यानी इसका आवेदन केवल संभावित है। हालांकि, कुछ अनुबंधों और संविदात्मक अधिकारों को इस नई व्यवस्था के तहत ठहराव के संचालन से बाहर रखा गया है। गंभीर रूप से, वित्तपोषण व्यवस्थाओं के संबंध में, इप्सो वास्तविक सुधार (अन्य बातों के अलावा) सिंडिकेटेड ऋणों, प्रतिभूतियों, बांडों, वचन पत्रों, वित्तीय उत्पादों, व्युत्पन्न और कुछ अनुबंधों पर लागू नहीं होंगे।

किसी अन्य कारण से किसी अधिकार को लागू करना (या स्व-निष्पादन प्रावधानों को अस्वीकार करना), जैसे कि भुगतान न करने या गैर-निष्पादन से संबंधित उल्लंघन। इसके अलावा, आईपीएसओ के वास्तविक प्रावधान भी प्रासंगिक दिवालियापन की अनुमति देते हैं। प्रशासकों को अधिकारों के प्रयोग को प्रतिबंधित करने के लिए रोक का विस्तार करने के आदेश के लिए आवेदन करना (उदाहरण के लिए, सुविधा के लिए समाप्त करने का अधिकार), यहां तक कि जहां अधिकार स्पष्ट रूप से ऊपर निर्धारित निषिद्ध कारणों में से एक के आधार पर काम नहीं करता है, अगर अदालत संतुष्ट है कि एक प्रतिपक्ष एक निषिद्ध कारण के लिए उन अधिकारों का प्रयोग करने की संभावना है 1 14

112 " संशोधन अधिनियम "113" लाइसेंस समझौतों पर दिवाला का प्रभाव "(2015) 254 मैनेजिंग इंटेल प्रोप 31,32।

114 ' ऑस्ट्रेलिया का नया इप्सो फैक्टो शासन अब जीवंत है: क्या आपके संविदात्मक अधिकार प्रभावित हैं? (हर्बर्ट स्मिथ फ्रीहिल्स। 2 जुलाई 2018) //डब्ल्यू. डब्ल्यू. हर्बर्टस्मिथ-फ्रीहिल्स।

com/नवीनतम-सोच/ऑस्ट्रेलिया% E 2% 80% 99s-नया-इप्सो-वास्तविक-शासन-है-अब-लाइव-क्या आपके-संविदात्मक-अधिकार-प्रभावित हैं> 18 फरवरी 2021 को एक्सेस किया गया।

गुजरात उर्जा विकास निगम लिमिटेड। वी. एम. आर. अमित गुप्ता और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

जे. 2.10 सिंगापुर

125. सिंगापुर में, दिवाला, पुनर्गठन और विकास अधिनियम की धारा 440 1 1 5 के अनुसार इप्सो फैक्टो खंड निषिद्ध हैं।

विघटन अधिनियम, 2018 ("आई. आर. डी. ए".), जो 30 जुलाई 2020 को लागू हुआ। यह प्रावधान इप्सो फैक्टो खंडों के प्रयोग को सीमित करता है जो केवल एक संविदाकारी पक्ष की दिवालियापन या कॉर्पोरेट बचाव कार्यवाही के प्रारंभ के कारण शुरू होते हैं, अर्थात्

115 " कुछ संविदात्मक अधिकार 440 तक सीमित हैं। - (1) कोई भी व्यक्ति, किसी कंपनी द्वारा किसी भी कार्यवाही के प्रारंभ के बाद और समापन से पहले किसी भी समय - (क) कंपनी के साथ किसी भी समझौते (सुरक्षा समझौते सहित) के तहत अवधि के त्वरित भुगतान या ज़ब्त का दावा करना या उसमें संशोधन करना; या

(बी) कंपनी के साथ किसी भी समझौते (सुरक्षा समझौते सहित) के तहत किसी भी अधिकार या दायित्व को समाप्त या संशोधित करें,

केवल इस कारण से कि कार्यवाही शुरू की गई है या कि कंपनी दिवालिया है। (2) .....

(3) किसी समझौते में कोई भी प्रावधान जो किसी भी चीज के लिए प्रावधान करने या अनुमति देने का प्रभाव रखता है, जो सारत: इस धारा के विपरीत है, उसका कोई बल या प्रभाव नहीं है। (4) किसी समझौते के लिए किसी पक्ष द्वारा आवेदन पर, न्यायालय यह घोषणा कर सकता है कि यह धारा लागू नहीं होती है, या केवल न्यायालय द्वारा घोषित सीमा तक लागू होती है, यदि आवेदक न्यायालय को संतुष्ट करता है कि इस धारा के संचालन से आवेदक को महत्वपूर्ण वित्तीय कठिनाई हो सकती है।

(5) उप-धारा (1) के तहत किसी भी कानूनी अधिकार के संबंध में लागू नहीं होती है।

—

(च) कोई भी समझौता जो उस संधि का विषय है जिसमें सिंगापुर पक्षकार है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है। (6) ..... ” 116 ' सिंगापुर-पुनर्गठनः इप्सो फैक्टो क्लॉज, संकटग्रस्त ऋण बाजार अद्यतन और डी. आई. पी./बचाव वित्त। कॉन्वेंटस लॉ ' //डब्ल्यू. डब्ल्यू. कॉन्वेंटसलॉ। कॉम/रिपोर्ट/सिंगापुर-पुनर्गठन-इप्सो-वास्तविक-खंड/> 18 फरवरी 2021 तक पहुँचा गया।

धारा 440 पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं होती है, और केवल 30 जुलाई 2020 के बाद किए गए अनुबंधों पर लागू होती है।

126. इसके अलावा, दो विधायी सुरक्षा उपायों का निर्माण किया गया है

हितधारकों के संविदात्मक हितों को संतुलित करने के लिए आईआरडीए:

((i)

कुछ प्रकार के अनुबंधों को इनसे छूट दी गई है। प्रतिबंध। ये निम्नलिखित हैं: ((a) व्युत्पन्न

अनुबंध, सीमांत ऋण समझौते या प्रतिभूतियाँ

अनुबंध; (बी) मास्टर नेट समझौतों, प्रतिभूतियों/वस्तुओं को उधार देने या पुनर्खरीद समझौतों, या स्पॉट

ऐसे अनुबंध, जिनमें नेट या सेट-ऑफ व्यवस्था हो; (सी) कवर बांड या संबंधित समझौते; (डी) डिबेंचर या संबंधित समझौते; (ई) डेरिवेटिव अनुबंध से संबंधित लेनदेन को मंजूरी देने या निपटाने के लिए कोई समझौता; और (एफ) एक अनुमोदित एक्सचेंज, एक लाइसेंस प्राप्त व्यापार भंडार, एक अनुमोदित या मान्यता प्राप्त समाशोधन घर या एक मान्यता प्राप्त बाजार संचालक के व्यापार नियम; और

इस प्रावधान से बहिष्करण की भी मांग की जा सकती है।

((ख)

धारा 440 (4) के अनुसार, यदि इप्सो फैक्टो खंड का निषेधाज्ञा "संभवतः आवेदक को महत्वपूर्ण बना देगा"

वित्तीय कठिनाई "118।

127. इस विधायी सुधार की पृष्ठभूमि पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है। 2013 में सिंगापुर की दिवाला विधि समिति ने सिफारिश की थी

118 ' दिवाला, पुनर्गठन और विघटन अधिनियम '(व्हाइट एंड केस एलएलपी। 20 अगस्त 2020) के तहत इप्सो के वास्तविक खंड //डब्ल्यू. डब्ल्यू. व्हाइटकेस। कॉम/प्रकाशन/चेतावनी/इप्सो वास्तव में-खंड-के तहत-दिवाला-पुनर्गठन-और-विघटन-अधिनियम> 18 फरवरी 2021 को प्राप्त किया गया।

गुजरात उर्जा विकास निगम लिमिटेड। वी. एम. आर. अमित गुप्ता और ओआरएस।

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

इस क्षेत्र में आधुनिक व्यापारिक लेन-देन। इसलिए यह सलाह दी गई

इस तरह के खंडों को प्रतिबंधित करने के लिए विधायी हस्तक्षेप के खिलाफ। हालांकि,

इन आलोचनाओं को ध्यान में रखते हुए, सिंगापुर ने फिर भी इसका पालन किया

इप्सो पर इस तरह के प्रतिबंधों को लागू करने में ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के उदाहरण

वास्तविक खंड 1 19।

जे. 2.11 विश्लेषण

128. उपर्युक्त चर्चा के आधार पर -

न्यायक्षेत्रों में निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं:

((i)

कई क्षेत्राधिकार विधायी रूप से अमेरिकी मॉडल का पालन करते हैं।

इप्सो फैक्टो खंडों को अमान्य करना। दिलचस्प बात यह है कि यह बदलाव पिछले दशक में कहीं अधिक प्रमुख रहा है, भले ही अमेरिकी दिवालियापन संहिता की यह स्थिति 1979 से रही है।

((ख)

ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर जैसे, इप्सो फैक्टो खंडों को संभावित रूप से अमान्य करते हैं, यानी, इप्सो फैक्टो खंडों में निहित कानून लागू होने से पहले किए गए अनुबंध अमान्य नहीं होंगे।

(iii)

आपूर्तिकर्ता अनुबंधों में खंड, जो प्रभाव के समान है आई. बी. सी. की धारा 14 (2)। इसके अलावा, यू. के. एस. सी. के निर्णय के आधार पर अन्य इप्सो फैक्टो खंडों को वैध माना जाता है।

बेलमोंट पार्क (ऊपर) में। हालाँकि, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है,

यू. के. एस. सी. का निर्णय के संदर्भ में दिया गया था अभाव-रोधी नियम का अनुप्रयोग, जो ऋण में कंपनी के मूल्य के कमजोर होने से बचाता है और आवश्यक रूप से कंपनी की स्थिति को प्रभावित नहीं करता है

' चिंता हो रही है ';

(iv) ग्रीस उन कुछ देशों में से एक है जो विधायी रूप से

इप्सो फैक्टो खंडों को बनाए रखता है;

(v)

कोरिया गणराज्य में कानून की स्थिति स्पष्ट नहीं है क्योंकि

विरोधाभासी न्यायिक निर्णयों के लिए, जिसने विधायी स्पष्टता की मांगों को प्रेरित किया है। यह इस क्षेत्र में विधायी स्पष्टता के बढ़ते व्यावसायिक महत्व को उजागर करता है।

119 ' इप्सो फैक्टो खंडों पर सिंगापुर के प्रतिबंध: आगे क्या होगा? | लेक्सोलॉजी '<HTTT: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. लेक्सोलॉजी। कॉम/पुस्तकालय/विवरण। एएसपीएक्स? जी = 4 डी40 डी 932-2 एसी 4-45 डीडी-एबीएफ 4

76853aa7331a> 18 फरवरी 2021 को पहुँचा गया।

(vi) आम तौर पर, जहां इप्सो फैक्टो खंड अमान्य हैं,

इसमें डिफ़ॉल्ट की अन्य घटनाओं के आधार पर समाप्त करने वाले पक्ष के समाप्ति अधिकारों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अनुबंध;

(vii) कुछ देश जो इप्सो फैक्टो खंडों को अमान्य करते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिया, कनाडा, सिंगापुर और यूके (आपूर्तिकर्ता अनुबंधों तक सीमित), समाप्त करने वाले पक्ष को होने वाली "कठिनाई" के आधार पर एक अपवाद प्रदान करते हैं। यह "कठिनाई" है

न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा; और

(viii) उन देशों में भी जो विधायी रूप से इप्सो फैक्टो को अमान्य करते हैं।

खंड, उनके अमान्य होने के दायरे के संबंध में अक्सर विपरीत न्यायिक निर्णय होते हैं। कुछ न्यायिक निर्णय हैं जो प्रासंगिक दिवाला शासनों के उद्देश्य और उद्देश्य के व्यापक विचारों पर इप्सो फैक्टो खंड को अमान्य करने के लिए विधायी पाठ से परे जाते हैं। दूसरी ओर, न्यायिक उदाहरण हैं, जो अधिक रूढ़िवादी दृष्टिकोण का पालन करते हैं और सख्ती से इसका अर्थ लगाते हैं

विधायी जनादेश।

जे. 3 भारत में स्थिति

129. इससे पहले कि हम इस बात पर विचार करें कि अन्य क्षेत्राधिकारों के सबक भारत पर किस हद तक लागू होने चाहिए, यह महत्वपूर्ण है कि

भारत में इप्सो फैक्टो खंडों के अमान्य होने पर चर्चा।

130. 2005 में, जे. जे. ईरानी की अध्यक्षता में कंपनी कानून पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में सुधारों की आवश्यकता का उल्लेख किया गया था। भारतीय दिवाला व्यवस्था, विशेष रूप से हाल ही में प्रकाशित UNCITRAL गाइड से सबक का हवाला देते हुए। अधिस्थगन अवधि के संबंध में, इसने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

" स्थगन और कार्यवाही का निलंबन

13.1 अवसर प्रदान करने के लिए एक सीमित ठहराव अवधि आवश्यक है।

पुनर्संरचना का पता लगाने के लिए वास्तविक व्यवसाय के लिए।

13.4 कानून में खराब प्रदर्शन के इलाज का प्रावधान होना चाहिए अनुबंध। जहाँ अनुबंध स्वचालित के लिए प्रदान करते हैं

120 <HTTPS पर उपलब्ध: //इबिबि। गव. में/अपलोड/संसाधन/मई% 202005,% 20J.%20J. %20 ईरानी% 20Report% 20of% 20th% 20 विशेषज्ञ% 20 समिति% 20on% 20 कंपनी% 20 Law.pdf> 24 फरवरी 2021 को पहुँचा गया।

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

दिवाला दाखिल करने पर समाप्ति, इसका प्रवर्तन होना चाहिए

दिवाला की शुरुआत पर रोक लगा दी जाए।

13.5 इसमें हस्तक्षेप करने के लिए सक्षम प्रावधान होने चाहिए

हस्तक्षेप या प्रबल शक्तियाँ प्राप्त करने में सहायता करेंगी दिवाला प्रक्रिया के उद्देश्य। शक्ति की आवश्यकता है

उचित व्यवसाय और अन्य निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करना, जिसमें शामिल हैं -

देनदारियों में वृद्धि को रोकने और मूल्य बढ़ाने के लिए निर्देशित

परिसंपत्तियाँ।

13.6 इस तरह की शक्तियों के अपवाद भी बीमा किए जाने के लिए आवश्यक हैं।

कानून जहाँ एक बाध्यकारी, वाणिज्यिक, सार्वजनिक या सामाजिक है

विरोधी पक्ष के संविदात्मक अधिकारों को बनाए रखने में रुचि

अनुबंध "।

(जोर दिया गया)

131. समिति ने इप्सो फैक्टो खंडों को अमान्य करने की आवश्यकता पर ध्यान दिया

ताकि दिवाला प्रक्रिया के दौरान किसी निगमित देनदार की परिसंपत्तियों के मूल्य को कम होने से रोका जा सके। हालाँकि, इस अमान्यीकरण को "अनुबंध के लिए विरोधी पक्ष के संविदात्मक अधिकारों को बनाए रखने में बाध्यकारी, वाणिज्यिक, सार्वजनिक या सामाजिक हित" को ध्यान में रखते हुए अपवादों के अधीन होना था।

132. हालाँकि, जैसा कि स्पष्ट है, यह सिफारिश कभी नहीं की गई थी

प्रत्यक्ष रूप से विधायी रूप से सन्निहित क्योंकि वर्तमान आई. बी. सी. में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है जो आई. पी. एस. ओ. वास्तविक खंडों को अमान्य करता है। वास्तव में, इप्सो फैक्टो खंडों के अमान्य होने का मुद्दा दिसंबर 2018 की एक रिपोर्ट में नोट किया गया था जिसका शीर्षक था 'दिवाला और दिवालियापन संहिता': विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी द्वारा जारी की गई अब तक की यात्रा और आगे की राह। यह रिपोर्ट

यह नोट करता है कि आई. बी. सी. "दिवालिया कार्यवाही के दौरान आई. पी. एस. ओ. वास्तविक खंडों के संचालन को प्रतिबंधित नहीं करता है। हालांकि, धारा 14 में एक सीमित अपवाद का प्रावधान है जो

निर्दिष्ट "आवश्यक वस्तुओं या सेवाओं" (यानी पानी, बिजली, दूरसंचार सेवाओं और सूचना प्रौद्योगिकी) की समाप्ति, निलंबन या व्यवधान को प्रतिबंधित करता है। सेवाएँ इस हद तक कि वे उत्पादित उत्पाद के लिए प्रत्यक्ष निवेश नहीं हैं या

निगमित देनदार द्वारा आपूर्ति की गई), और स्थगन के दौरान किसी मालिक या पट्टेदार द्वारा किसी भी संपत्ति की वसूली से निगमित देनदार को राहत भी प्रदान करता है। एक समाधान के रूप में, रिपोर्ट एक सशर्त की सिफारिश करती है

121 पृष्ठ 34-35, यहाँ उपलब्ध है: //विधिलेगल नीति। 18 फरवरी 2021 को इन/डब्ल्यूपी-सामग्री/अपलोड/2019/05 आईबीसी _ दजोर्नीसोफारैंडथेरोडेहेड _ दिसंबर 18. पी. डी. एफ.> पर पहुँचा गया।

दिवाला शुरू होने की तारीख से शुरू होने वाले इप्सो फैक्टो खंडों के संचालन पर रोक, क्योंकि "इप्सो फैक्टो खंडों के संचालन पर पूर्ण रोक अनुबंध की स्वतंत्रता पर एक गंभीर प्रतिबंध का गठन करेगी और प्रभावी रूप से आपूर्तिकर्ताओं को अनुबंध करने के लिए मजबूर करेगी, भले ही ऐसी कार्रवाई उनके वाणिज्यिक हितों के खिलाफ हो"। इस समाधान के कार्यान्वयन के संबंध में, रिपोर्ट आई. बी. सी. में एक नए प्रावधान को शामिल करने का सुझाव देती है। 133. हालाँकि, हाल ही में, आई. बी. सी. को दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित किया गया था, जिसने अन्य बातों के साथ-साथ धारा 14 (1) में एक स्पष्टीकरण पेश किया था। धारा 14 (1) का स्पष्टीकरण इस प्रकार है:

" 14. अधिस्थगन। स्पष्टीकरण। इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, लाइसेंस, परमिट, पंजीकरण, कोटा, रियायत, मंजूरी या इसके समान अनुदान या अधिकार

केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, क्षेत्रीय नियामक या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत गठित किसी अन्य प्राधिकरण को दिवालिया होने के आधार पर निलंबित या समाप्त नहीं किया जाएगा, बशर्ते कि

लाइसेंस, परमिट, पंजीकरण, कोटा, रियायत के उपयोग या निरंतरता के लिए उत्पन्न होने वाले वर्तमान बकाया के भुगतान में कोई चूक नहीं,

अधिस्थगन अवधि के दौरान मंजूरी या इसी तरह का अनुदान या अधिकार।

रिपोर्ट ने आई. बी. सी. की धारा 14 (1) में स्पष्टीकरण को जोड़ने की सिफारिश की। धारा 14 (1) के स्पष्टीकरण के संबंध में प्रासंगिक भाग इस प्रकार है। 122 <HTTPS पर उपलब्ध: //आईबीबी। गव. में/अपलोड/संसाधन/c6cb71c9f69f66858830630 Da08e45b4। पी. डी. एफ.> 18 फरवरी 2021 को पहुँचा गया।

ए. आर. ए. टी. उर्जा विकास निगम लिमिटेड। वी. एम. आर. अमित गुप्ता और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

" दिवाला के आधार पर समाप्ति पर प्रतिबंध

8.3 . समिति के समक्ष यह लाया गया कि कुछ मामलों में

जिन सरकारी अधिकारियों ने कॉर्पोरेट देनदार को लाइसेंस, परमिट और कोटा, रियायतें, पंजीकरण या अन्य अधिकार (सामूहिक रूप से "अनुदान" के रूप में संदर्भित) दिए हैं, वे सी. आई. आर. पी. अवधि के दौरान भी उन्हें समाप्त या निलंबित करने का प्रयास करते हैं। इसे दो तरीकों से आजमाया जा सकता है: एक, वास्तविक खंडों पर भरोसा करके, जिसके आधार पर इन अनुदानों को दिवालिया कार्यवाही के आगमन पर समाप्त किया जा सकता है, और दूसरा, बकाया का भुगतान न करने के कारण समाप्ति शुरू करके। 8.4 . समिति ने चर्चा की कि मोटे तौर पर, कॉर्पोरेट देनदार को जो अनुदान मिलता है, वह उसके व्यवसाय का आधार है। इनके बिना, निगमित देनदार का व्यवसाय अपना मूल्य खो देगा और सी. आई. आर. पी. अवधि के दौरान निगमित देनदार को एक चालू चिंता के रूप में चलाना या निगमित देनदार को एक चालू चिंता के रूप में हल करना संभव नहीं होगा। नतीजतन, सी. आई. आर. पी. के दौरान आई. पी. एस. ओ. फैक्टो खंडों पर भरोसा करके या बकाया का भुगतान न करने पर उनकी समाप्ति स्वयं अधिस्थगन के प्रावधान को शुरू करने के उद्देश्य के विपरीत होगी। इस प्रकार,

समिति ने निष्कर्ष निकाला कि स्थगन के प्रावधान को लागू करने के पीछे विधायी इरादा इस तरह के प्रतिबंध को रोकना था समाप्ति।

8.5 . इस संबंध में, समिति ने नोट किया कि उनके द्वारा प्रदत्त अधिकारों की प्रकृति के आधार पर, ये अनुदान कॉर्पोरेट देनदार की "संपत्ति" का गठन कर सकते हैं। संहिता की धारा 3 (27) संपत्ति की एक समावेशी परिभाषा प्रदान करती है जिसमें "धन, वस्तु, कार्रवाई योग्य दावे, भूमि और संपत्ति का प्रत्येक विवरण" शामिल है।

भारत में या भारत के बाहर स्थित संपत्ति और प्रत्येक

संपत्ति से उत्पन्न होने वाले वर्तमान या भविष्य के या निहित या आकस्मिक हित सहित हित का विवरण। यह परिभाषा काफी हद तक दिवाला अधिनियम, 1986 (यू. के.) की धारा 436 के तहत "संपत्ति" की परिभाषा के समान है, जिसे सबसे व्यापक संभव परिभाषा माना गया है।

संपत्ति। भारत में भी यह स्वीकार किया जाता है कि कुछ लाइसेंस और रियायतें संपत्ति का उपयोग करने की अनुमति दे सकती हैं, या संपत्ति में अधिकार देने वाले पट्टे, परमिट आदि को शामिल कर सकती हैं। इस प्रकार, कुछ परिस्थितियों में उनकी समाप्ति पर विचार किया जा सकता था [2021] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धारा 14 (1) (डी) के तहत कार्रवाई को रोकने या किसी भी व्यक्ति द्वारा संपत्ति के अलगाव को रोकने के लिए स्थगन के आदेश के विपरीत। 8.6 . इसी तरह, कई परिस्थितियों में, अनुदान की समाप्ति या निलंबन, विशेष रूप से पंजीकरण, कानूनी प्रक्रिया का पालन करने वाली कार्यवाही के माध्यम से होगा। ऐसी कार्यवाहियां प्रवर्तन का एक रूप हो सकती हैं जो निगमित देनदार को इसके प्रावधानों से वंचित कर देगी।

संपत्ति। इस संबंध में समिति ने उल्लेख किया कि धारा

14 (1) (ए) मुकदमों की स्थापना या निरंतरता को रोकता है

निगमित देनदार के खिलाफ लंबित मुकदमे या कार्यवाही

कानून की अदालत, न्यायाधिकरण, मध्यस्थता पैनल या अन्य प्राधिकरण। (जोर दिया गया)। इस प्रावधान को अपीलीय प्राधिकरण और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा एक विस्तृत अध्ययन दिया गया है,

जिसने स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा वसूली को रोकने के आदेश पारित किए थे

और नियामकों के साथ-साथ विमानों का डी-रजिस्ट्रेशन।

8.7 . इस आधार पर समिति का विचार था कि

इस अवधि के दौरान ऐसे अनुदानों की समाप्ति या निलंबन अधिस्थगन अवधि को धारा 14 द्वारा रोका जाएगा।

हालांकि, अस्पष्टता और अभ्यास में किसी भी गुंजाइश से बचने के लिए

अत्यधिक सावधानी बरतते हुए समिति ने सिफारिश की कि

विधायी आशय को प्रस्तुत करके स्पष्ट किया जा सकता है धारा 14 (1) में संशोधन के माध्यम से स्पष्टीकरण।

135. भारत में आज कानून की स्थिति इप्सो फैक्टो को अमान्य करती है।

इसमें है:

सरकारी लाइसेंस, परमिट, पंजीकरण, कोटा,

((i)

धारा 14 (1) के स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, क्षेत्रीय नियामक या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत गठित किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा दी गई रियायतें, मंजूरी या इसी तरह का अनुदान या अधिकार; और

((ख)

अनुबंध जहाँ विरोधी पक्ष आवश्यक/महत्वपूर्ण आपूर्ति करता है धारा 14 (2) और 14 (2ए) के अर्थ के भीतर निगमित देनदार को माल और सेवाएं।

हालाँकि, आई. बी. सी. के खाली पाठ से अन्य अनुबंधों में वास्तविक खंडों की वैधता के संबंध में कोई स्पष्ट स्थिति सामने नहीं आती है। ङ, वर्तमान मामले में यह कार्य अब इस न्यायालय पर छोड़ दिया गया है।

गुजरात उर्जा विकास निगम लिमिटेड। वी. एम. आर. अमित गुप्ता और ओआरएस।

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

136. हम पर इस कार्य के भार को पूरी तरह से समझने के लिए, यह

यह समझना महत्वपूर्ण है कि हमारे संविधान में निहित प्रमुख सिद्धांतों में से एक हमारे तीन मुख्य अंगों के बीच शक्तियों का विभाजन है: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। राय साहिब राम जवाया कपूर बनाम पंजाब राज्य 23 में, एक संविधान पीठ की ओर से बोलते हुए, मुख्य न्यायाधीश बिजन कुमार मुखर्जी ने निम्नलिखित शब्दों में 'शक्तियों के पृथक्करण' सिद्धांत के बारे में बात की:

" 12 ..... भारतीय संविधान ने वास्तव में मान्यता नहीं दी है अपनी पूर्ण कठोरता में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत लेकिन

सरकार के विभिन्न भागों या शाखाओं के कार्य पर्याप्त रूप से विभेदित किया गया है और इसके परिणामस्वरूप यह बहुत हो सकता है

यह कहा जा सकता है कि हमारा संविधान धारणा पर विचार नहीं करता है,

राज्य के एक अंग या भाग द्वारा, अनिवार्य रूप से कार्यों का किसी और से संबंधित "।

137. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1 24 में, प्रमुख

न्यायमूर्ति एस. एम. सीकरी ने कहा कि 'शक्तियों का पृथक्करण' सिद्धांत एक हिस्सा है संविधान की मूल संरचना:

" 292. विद्वान महान्यायवादी ने कहा कि प्रत्येक प्रावधान

संविधान आवश्यक है; अन्यथा इसे नहीं रखा जाता।

संविधान में। यह बात सच है। लेकिन यह हर जगह नहीं है

उसी स्थिति में संविधान का प्रावधान। सही स्थिति

यह है कि संविधान के प्रत्येक प्रावधान में संशोधन किया जा सकता है बशर्ते कि

परिणामस्वरूप संविधान की मूल नींव और संरचना

वही रहता है। कहा जा सकता है कि मूल संरचना में शामिल हैं

(1) संविधान की सर्वोच्चता; (2) सरकार का रिपब्लिकन और लोकतांत्रिक रूप;

(3) संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र;

(4) विधायिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण,

कार्यपालिका और न्यायपालिका;

(5) संविधान का संघीय चरित्र "।

(जोर दिया गया)

123 (1955) 2 एससीआर 225 124 (1973) 4 एससीसी 225 [2021] 13 एस. सी. आर.

138. इस मामले में न्यायिक शाखा के सदस्यों के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, हमें एक न्यायपूर्ण निर्णय प्रदान करने के बीच एक महीन रेखा पर चलना चाहिए। जबकि विधायिका के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर रहा है।

139. हम विभिन्न अन्य राष्ट्रीय क्षेत्राधिकारों के कानूनों के अपने विश्लेषण में पहले ही ऊपर उल्लेख कर चुके हैं कि इप्सो फैक्टो का अमान्यकरण। ऐसा प्रतीत होता है कि खंड विधायी हस्तक्षेप के माध्यम से हुए हैं। यद्यपि, कुछ क्षेत्राधिकारों में, कुछ न्यायिक निर्णय हुए हैं जिन्होंने विधायी पाठ को एक विस्तृत व्याख्या दी है, ताकि इप्सो फैक्टो खंडों (और उनके बदलावों) को अमान्य किया जा सके जिन्हें विधायिका द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित नहीं किया गया है, ये निर्णय अक्सर विधायी नीति, इरादे और दिवालिया शासन के उद्देश्य को प्रभावी बनाने के लिए जारी किए गए हैं। कोरिया गणराज्य जैसे देशों में, जहां यह अभी तक विधायी रूप से नहीं हुआ है, इसकी सिफारिश की जाती है। ब्रिटेन जैसे अन्य देशों में,

लॉर्ड मैन्स ने बेलमोंट पार्क (ऊपर) में अपनी सहमति वाली राय में कहा है कि यह केवल विधायी रूप से होना चाहिए, न कि अदालत के हस्तक्षेप के माध्यम से। 140. इसके अलावा, हम उन असंख्य जटिल प्रश्नों को भी स्वीकार करते हैं जो इसकी वैधता/अयोग्यता के मुद्दे पर निर्णय लेते समय उत्पन्न होंगे।

इप्सो वास्तविक खंड, जैसे कि:

इप्सो फैक्टो खंडों के अमान्य होने की सीमा, अर्थात,

((i)

आई. बी. सी. के भीतर पूरी तरह से एक 'दिवालिया घटना' (सी. आई. आर. पी. शुरू करने के लिए आवेदन दाखिल करना, सी. आई. आर. पी. शुरू करना, आर. पी. की नियुक्ति, आदि) के आधार पर समाप्ति होगी।

अमान्य;

क्या अमान्यीकरण पूर्ण है या इस दौरान सशर्त है

((ख)

दिवाला प्रक्रिया;

((iii) किस प्रकार के अनुबंधों को इससे छूट दी जानी चाहिए?

अमान्यीकरण;

( ) 3 ((iv)

अपवादों की प्रकृति क्या होनी चाहिए

हितों को संरक्षित करने के लिए इप्सो फैक्टो खंडों को अमान्य करना।

समाप्त करने वाले पक्ष का;

(v) क्या अमान्यीकरण संभावित रूप से होना चाहिए या

पूर्वव्यापी; और

(vi) यह सुनिश्चित करने के लिए कि पक्ष क्या करते हैं, किस सुरक्षा की आवश्यकता होगी।

अमान्यीकरण को दरकिनार न करें।

गुजरात उर्जा विकास निगम लिमिटेड। वी. एम. आर. अमित गुप्ता और ओआरएस।

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

141. जिन मुद्दों का हमने ऊपर वर्णन किया है, वे नहीं हैं।

संपूर्ण। गणना केवल कार्य की जटिलता को उजागर करने का प्रयास करती है, जिसके लिए विभिन्न सिद्धांतों पर विचार करने की आवश्यकता होगी, जिन्हें संतुलित करना होगा। एक निगम के अधिकारों के बीच तनाव

के संविदात्मक अधिकारों के विरुद्ध दिवाला प्रक्रिया के दौरान देनदार एक समाप्त करने वाला पक्ष, जो हाथ में कार्य के लिए केंद्रीय है, वह है जिसके पास है

इसे UNCITRAL द्वारा भी अपनी UNCITRAL गाइड में स्वीकार किया गया है। इन संतुलनकारी विचारों में से प्रत्येक में एक जनहित अंतर्निहित है। कानून न्यायाधीश के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करता है।

न्यायनिर्णयन के लिए जब सही और सही के बीच संतुलन बनाना हो।

142. प्रदान करने में न्यायिक प्रक्रिया की सीमाएँ हैं

इन प्रश्नों के सटीक उत्तर। विशिष्ट तथ्य स्थितियों से जुड़े मामलों में निर्णय दिए जाते हैं। जबकि वे तुरंत अदालत के समक्ष पक्षों को बाध्य करते हैं, सिद्धांत की घोषणा का प्रभाव अन्य लोगों पर पड़ेगा जिनके अनुबंधों में समान प्रावधान हो सकते हैं। उत्तरी प्रतिभूति कंपनी बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका 1 25 में, न्यायमूर्ति ओलिवर वेंडेल होम्स जूनियर ने अपनी असहमत राय में निम्नलिखित शब्दों में एक समान न्यायिक पहेली को स्वीकार किया:

" 356. बड़े मामले, जैसे कठिन मामले, खराब कानून बनाते हैं। महान मामलों को महान कहा जाता है, न कि भविष्य के कानून को आकार देने में उनके वास्तविक महत्व के कारण, बल्कि तत्काल भारी ब्याज की किसी दुर्घटना के कारण जो भावनाओं को आकर्षित करता है और निर्णय को विकृत करता है।

143. नतीजतन, हम मानते हैं कि इप्सो फैक्टो खंडों की वैधता/अयोग्यता का सवाल वह है जिसे अदालत को हल नहीं करना चाहिए। वर्तमान मामले में पूरी तरह से। बल्कि, हम इस मुद्दे पर ठोस मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए विधायिका से ईमानदारी से अपील कर सकते हैं, क्योंकि इस मुद्दे पर विधायी आवाज की कमी से भ्रम पैदा होगा और वाणिज्यिक स्पष्टता कम होगी।

के अपीलार्थी का वर्तमान में पी. पी. ए. को समाप्त करने का अधिकार

मामला

1 पी. पी. ए. का विश्लेषण

144. अब हम पी. पी. ए. के पाठ, संरचना और मुख्य विशेषताओं पर विचार करते हैं। जैसा कि पी. पी. ए. अपने पाठों में दर्ज करता है:

125 1904 एस. सी. सी. ऑनलाइन यूएस एस. सी. 63:

24 एस. सी.

436 [2021] 13 एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" [गुजरात सरकार ने 1 अगस्त 2009 के पत्र के माध्यम से बिजली उत्पादकों को 25 मेगावाट क्षमता आवंटित की है।

गुजरात राज्य में सौर फोटोवोल्टिक आधारित बिजली परियोजना का विकास और स्थापना। बिजली उत्पादक 10 मेगावाट क्षमता का सौर फोटोवोल्टिक ग्रिड इंटरएक्टिव पावर प्लांट स्थापित करना चाहता है।

गाँव लोरिया, तालुका-भुज, जिला कच्छ में बिजली उत्पादन के लिए नए सौर फोटोवोल्टिक ग्रिड इंटरएक्टिव बिजली संयंत्रों का उपयोग किया जा रहा है।

ऊर्जा "।

145. पी. पी. ए. के प्रारंभिक भाग में यह भी स्पष्ट किया गया है कि बिजली उत्पादक (निगमित ऋणदाता) में संबंधित शामिल हैं। उत्तराधिकारी और अनुमत नियुक्तकर्ता। परिभाषाओं वाले अनुच्छेद 1 में स्पष्ट किया गया है कि 'आयोग' शब्द जीईआरसी को संदर्भित करता है।

146. पी. पी. ए. 'कानून' शब्द को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित करता है:

" "कानून" का अर्थ है कोई भी वैध विधान, कानून, नियम, विनियमन, अधिसूचना, निर्देश या आदेश, जो किसी भी व्यक्ति द्वारा जारी या प्रख्यापित किया गया हो।

सरकारी साधन "।

147. अनुच्छेद 4.1 (iii) में प्रावधान है कि निगमित ऋणदाता अपने द्वारा उत्पादित बिजली को पहली प्राथमिकता के आधार पर अपीलार्थी को बेचेगा और किसी भी तीसरे पक्ष को बेचने की अनुमति। अनुच्छेद 4.1 (x) में कहा गया है कि कॉर्पोरेट ऋणदाता वाणिज्यिक संचालन तिथि के बाद पहले दो वर्षों के लिए कम से कम 51 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी रखता रहेगा और उसके बाद 3 वर्षों के लिए कम से कम 26 प्रतिशत हिस्सेदारी रखता रहेगा। पी. पी. ए. का अनुच्छेद 5.2, जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, स्पष्ट करता है कि यदि संयंत्र के चालू होने में 31 वर्ष से अधिक की देरी होती है।

25 वर्ष की अवधि के लिए परिचालन में रहेगा। अनुच्छेद 9.2। 1 निगमित ऋणदाता द्वारा चूक की घटनाओं की गणना करता है, जिसके भीतर अनुच्छेद 9.2. 1 (ई) में कहा गया है कि निगमित देनदार का स्वेच्छा से या अनैच्छिक रूप से किसी भी दिवालियापन या दिवालियापन कानूनों में कार्यवाही का विषय बनना, चूक की घटना का गठन करता है। इस खंड का अपवाद तब शुरू होता है जब निगमित ऋणदाता का विघटन विलय, समेकन या पुनर्गठन के उद्देश्य से होता है और जहां परिणामी इकाई के पास पी. पी. ए. के तहत अपने दायित्वों का पालन करने के लिए वित्तीय स्थिति होती है और

साख योग्यता। अनुच्छेद 9.2। 1 (ई) पी. पी. ए. का उल्लेख नीचे किया गया है:

" 9.2 . 1 बिजली उत्पादक का डिफ़ॉल्ट: शुल्क [एस. आई. सी. अवधि] के दौरान किसी भी समय निम्नलिखित घटनाओं में से किसी की घटना

यह समझौता शक्ति द्वारा चूक की एक घटना का गठन करेगा।

निर्माता:

ई. यदि बिजली उत्पादक स्वेच्छा से या अनैच्छिक रूप से किसी दिवालियापन या दिवालियापन कानूनों के तहत कार्यवाही का विषय बन जाता है या [एस. आई. सी. या] विघटन के परिसमापन में चला जाता है या उस पर एक रिसीवर नियुक्त किया जाता है या परिसमापक नियुक्त किया जाता है, कानून के अनुसार, सिवाय इसके कि बिजली उत्पादक का ऐसा विघटन इस उद्देश्य के लिए है। विलय, समेकित [एस. आई. सी. समेकन] या पुनर्गठन और जहां परिणामी इकाई के पास इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए वित्तीय स्थिति है और बिजली उत्पादक के समान साख है और स्पष्ट रूप से इसके तहत सभी दायित्वों को ग्रहण करता है।

यह समझौता और उन्हें पूरा करने की स्थिति में है।"

149. अनुच्छेद 9.3 के अनुसार। 1 , अपीलार्थी, पर

डिफ़ॉल्ट नोटिस को जन्म देना, और कॉर्पोरेट देनदार से इसे ठीक करने के लिए कहना। इस तरह के नोटिस से 30 दिनों की समाप्ति पर, जब तक कि अन्यथा सहमति न हो, यदि चूक को ठीक नहीं किया गया है, तो अपीलार्थी पी. पी. ए. को समाप्त कर सकता है। इसके अलावा, निगमित देनदार का दायित्व होगा कि वह अपीलार्थी को मुआवजे के रूप में भुगतान करे जो इसके बराबर है - जी. ई. आर. सी. द्वारा शुल्क निर्धारित करते समय मानक पी. एल. एफ. पर विचार किए गए पहले वर्ष के शुल्क के आधार पर तीन साल का बिलिंग, 30 दिनों के भीतर

समाप्ति सूचना। अनुच्छेद 10.4 के अनुसार, जब विवाद उत्पन्न होने के 60 दिनों के भीतर पक्षों के बीच मतभेदों या विवादों का आपसी बातचीत के माध्यम से निपटारा नहीं किया जाता है, तो इसका निर्णय राज्य आयोग द्वारा कानून के अनुसार किया जाएगा।

150. अनुच्छेद 12.9 के अनुसार, पी. पी. ए. के तहत कॉर्पोरेट देनदार के अधिकारों का आवंटन दूसरे पक्ष की पूर्व लिखित सहमति के साथ अनुमेय है। इस अनुच्छेद के प्रावधान से यह स्पष्ट होता है कि कोई भी समनुदेशिती संतोषजनक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर पी. पी. ए. के तहत उत्पन्न होने वाले निगमित देनदार के दायित्वों को स्पष्ट रूप से ग्रहण करेगा। 151. इस मोड़ पर, पुनरावृत्ति के जोखिम पर, एन. सी. एल. टी. और [2021] 13 एस. सी. आर. द्वारा दिए गए तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पी. पी. ए. के रूप में एन. सी. एल. ए. टी. निगमित देनदार के अस्तित्व का एकमात्र आधार है। 29 अगस्त 2019 के अपने फैसले में, एन. सी. एल. टी. ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

" 6. कि कॉर्पोरेट देनदार कथित तौर पर एक विशेष उद्देश्य है

गुजरात राज्य में केवल सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए वाहन (एस. पी. वी.) स्थापित किया गया है। प्रत्यर्थी निगमित ऋणदाता संयंत्र द्वारा उत्पन्न बिजली का एकमात्र खरीदार है, इसलिए, पी. पी. ए. है

कॉर्पोरेट देनदार की "चालू चिंता" की स्थिति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

30 ..... इस स्तर पर पी. पी. ए. की समाप्ति से निगमित ऋणदाता की स्थिति पर प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं।

एस्टनफील्ड सोलर (गुजरात) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उत्पादित बिजली। लिमिटेड '। (कॉर्पोरेट देनदार)। [बिजली की लाइन केवल 'गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड' को दी गई है और एक समझौते के अनुसार, उन्हें 'गुजरात ऊर्जा विकास लिमिटेड' को बिजली की आपूर्ति करनी है।

निगम लिमिटेड "।

152. जैसा कि उपरोक्त अंश इंगित करते हैं, लेकिन पी. पी. ए. के निर्वाह के लिए, निगमित ऋणदाता अब 'चालू ऋणदाता' के रूप में नहीं रहेगा।

चिंता '। अलग-अलग शब्दों में कहें तो पी. पी. ए. के आधार पर, जिसमें अपीलकर्ता निगमित ऋणदाता के व्यवसाय का आधार होता है और इसके परिणामस्वरूप सी. आई. आर. पी. होता है, सी. आई. आर. पी. के सफल समापन के लिए इसकी निरंतरता बहुत महत्वपूर्ण है। पी. पी. ए. की समाप्ति सी. आई. आर. पी. के तहत पैरों को काटने का परिणाम होगी।

के. 2 पी. पी. ए. की समाप्ति की वैधता

153. जैसा कि इस निर्णय की धारा "जे. 3" में चर्चा की गई है, इप्सो फैक्टो खंडों की वैधता का व्यापक प्रश्न विषय रहा है।

कई क्षेत्राधिकारों में निरंतर विधायी हस्तक्षेप। यह एक जटिल नीतिगत निर्धारण है, क्योंकि यह एक ओर संविदात्मक स्वतंत्रता और दूसरी ओर कॉर्पोरेट बचाव के बीच उचित संतुलन बनाने के बारे में कई सवाल उठाता है। हम इस बात से अवगत हैं कि कोई भी नियम जो हम तैयार कर सकते हैं, चाहे वह कितना भी संकीर्ण क्यों न हो, गुजरात उर्जा विकास निगम लिमिटेड के लिए बाढ़ के द्वार खोलने के संदर्भ में अनपेक्षित दूसरे क्रम के प्रभावों की एक श्रृंखला हो सकती है।

वी. एम. आर. अमित गुप्ता और ओआरएस।

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

एन. सी. एल. टी. से हस्तक्षेप जो समाप्त करने वाले पक्ष की संविदात्मक स्वतंत्रता को बाधित कर सकता है। इसके अलावा, तुलनात्मक अनुभव हमें यह भी सिखाता है कि, यह देखते हुए कि इप्सो फैक्टो खंडों का अमान्य होना उन हितों को अस्थिर कर सकता है जिन पर संविदात्मक संबंध स्थापित किए गए हैं, कुछ क्षेत्राधिकार जिन्होंने ऐसे खंडों को अमान्य कर दिया है, उन्होंने सावधानीपूर्वक, संभावित तरीके से ऐसा किया है। यह सुनिश्चित करता है कि दिवाला कानून की नीति लाई जाए

वैश्विक शासनों के साथ मिलकर, यह उन पक्षों के संविदात्मक अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है जो अपनी संविदात्मक शर्तों पर बातचीत करते समय स्थिति में इस परिवर्तन के लिए उचित रूप से जिम्मेदार नहीं हो सकते थे। इस तरह का दृष्टिकोण वाणिज्यिक स्थिरता पर हानिकारक प्रभावों का एक प्रमाण और मान्यता है जो संविदात्मक स्वतंत्रता में इस तरह के अतिक्रमण से उत्पन्न हो सकते हैं, भले ही सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श के बाद विधायी रूप से किया जाए।

154. इप्सो फैक्टो खंडों की वैधता/अयोग्यता के सवाल पर पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न दस्तावेजों में चर्चा की गई है, जैसे कि:

(क) 2004 की UNCITRAL गाइड; (ख) जे. जे. ईरानी समिति की 2005 की रिपोर्ट; (ग) आई. बी. सी. की आलोचना करने वाली 2018 की विधि की रिपोर्ट; और (घ) आई. बी. बी. आई. की 2020 की रिपोर्ट, जो सरकारी अनुदानों के संबंध में वास्तविक खंडों के मुद्दे को स्वीकार करती है। ये सभी सामग्री आई. बी. सी. पर चर्चा करने वाली विभिन्न समितियों के सदस्यों के लिए उपलब्ध थीं। इसके अलावा, निलंबन

दिवाला के दौरान अनुबंधों की एस. आई. सी. ए. की धारा 22 (3) के तहत विशेष रूप से अनुमति दी गई थी, जो पूर्ववर्ती वैधानिक व्यवस्था थी। एस. आई. सी. ए. की धारा 22 ने कानूनी कार्यवाही और अनुबंधों के निलंबन का प्रावधान किया, जिनमें से उप-धारा (3) निम्नलिखित शर्तों में थी:

" (3) जहां धारा 16 के तहत कोई जांच लंबित है या धारा 17 में निर्दिष्ट कोई योजना तैयार की जा रही है या उस अवधि के दौरान है]

धारा 18 के तहत किसी भी योजना पर विचार करने या जहां ऐसी कोई योजना इसके तहत स्वीकृत की जाती है, के उचित कार्यान्वयन के लिए

योजना, बोर्ड संबंधित बीमार औद्योगिक कंपनी के संबंध में आदेश द्वारा घोषणा कर सकता है कि सभी या किसी अनुबंध, संपत्ति के आश्वासन, समझौते, निपटान, पुरस्कार, स्थायी आदेश या अन्य उपकरणों का संचालन, जिसके लिए ऐसी बीमार औद्योगिक कंपनी एक पक्ष है या जो ऐसे आदेश की तारीख से तुरंत पहले ऐसी बीमार औद्योगिक कंपनी पर लागू हो सकती है, निलंबित रहेगी या कि उक्त तिथि से पहले उपार्जित या उसके तहत उत्पन्न होने वाले सभी या किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व और देनदारियों को निलंबित रखा जाएगा या ऐसे अनुकूलन के साथ और ऐसी तरीके से लागू किया जाएगा जो निम्नलिखित द्वारा निर्दिष्ट किया जाए।

बोर्ड:

बशर्ते कि ऐसी घोषणा दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं की जाएगी जिसे एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कुल अवधि सात वर्ष से अधिक नहीं होगी।

कुल मिलाकर वर्ष "।

संसद एस. आई. सी. ए. में अपनाए गए प्रावधान के प्रति सचेत रही होगी। फिर भी, इसके तहत विधायिका द्वारा इप्सो फैक्टो खंडों की समाप्ति के संबंध में कोई ठोस स्थिति नहीं अपनाई गई है। आई. बी. सी. विधायिका द्वारा स्पष्ट निषेध के अभाव में, यह तर्क दिया जा सकता है कि ऐसे खंडों के

संचालन पर कोई सामान्य प्रतिबंध नहीं है यदि वे अनुबंध अधिनियम के तहत एक वैध अनुबंध का हिस्सा हैं।

155. साथ ही, हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि इस अदालत को एक नई स्थिति से अवगत कराया गया है जहां 'चल रही चिंता' की स्थिति है

एक निगमित देनदार के एकमात्र अनुबंध की समाप्ति, एक आई. पी. एस. ओ. वास्तविक खंड के आधार पर, अस्वीकार कर दी जाएगी। यह ध्यान देने योग्य है कि आई. बी. सी. 5 अगस्त 2016 से प्रभावी है, और इसमें कई बार संशोधन भी किया गया है। इसलिए, यदि निगमित ऋणदाताओं की 'चालू चिंता' की स्थिति नियमित रूप से इप्सो फैक्टो खंडों (जो वर्तमान पीपीए के समान वर्तमान अनुबंधों में भी प्रचलित हैं) के कारण प्रभावित हो रही थी,

तब विधायिका, यदि वह आवश्यक समझती है, तो वास्तविक खंडों के संचालन के संबंध में एक स्पष्ट स्थिति पर कानून बनाने के लिए आगे बढ़ सकती है। हालाँकि, वर्तमान मामले में इस न्यायालय को इस व्यापक प्रश्न का समाधान करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या भारत में इप्सो फैक्टो खंडों का अमान्यकरण/स्थगन, आम तौर पर, कानूनी रूप से अनुमत है। यह एक ऐसा मामला है जो कानूनी नीति के जटिल मुद्दों और विशिष्ट और विशिष्ट के बीच संतुलन को उठाता है। परस्पर विरोधी मूल्य। सुधार विधायी प्रक्रिया के माध्यम से करना होगा। जिन चरणों के माध्यम से विधायी सुधार होना चाहिए-पूर्ण या वृद्धिशील-विधायी परिवर्तन का विषय है। हमारा कार्य यह तय करने के मुद्दे तक सीमित है कि क्या एन. सी. एल. टी. ने पी. पी. ए. की समाप्ति पर रोक लगाने के लिए, इस मामले के तथ्यों में, अपने अधिकार क्षेत्र का सही ढंग से प्रयोग किया। विधायिका द्वारा लिए गए स्पष्ट रुख के अभाव में, इस मामले में इस न्यायालय का हस्तक्षेप आई. बी. सी. के प्रावधानों से विधायी इरादे का पता लगाकर निर्देशित किया जाएगा।

156. आई. बी. सी. की धारा 14 इस प्रकार है:

" अधिस्थगन। - (1) उप-धारा (2) और (3) के प्रावधानों के अधीन, दिवाला शुरू होने की तारीख को, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण आदेश द्वारा निम्नलिखित सभी को प्रतिबंधित करने के लिए स्थगन की घोषणा करेगा, अर्थात्-ए. आर. ए. टी. यू. आर. जे. ए. विकास निगम लिमिटेड।

वी. एम. आर. अमित गुप्ता और ओआरएस।

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

(क) निगमित ऋणी के विरुद्ध किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण, मध्यस्थता पैनल या अन्य प्राधिकरण में किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के निष्पादन सहित लंबित मुकदमों या कार्यवाही की स्थापना या निरंतरता;

(बी) निगमित देनदार द्वारा अपनी किसी भी संपत्ति या किसी भी कानूनी अधिकार या लाभकारी का हस्तांतरण, बोझ, अलगाव या निपटान।

2002) ; (घ) मालिक या पट्टेदार द्वारा किसी संपत्ति की वसूली जहाँ

ऐसी संपत्ति पर निगम ऋणी का कब्जा होता है या उसके कब्जे में होती है।

स्पष्टीकरण। इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद उस समय के लिए एक लाइसेंस, परमिट, पंजीकरण, कोटा,

केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, क्षेत्रीय नियामक या किसी अन्य कानून के तहत गठित किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा दी गई रियायत, मंजूरी या इसी तरह का अनुदान या अधिकार।

तत्काल प्रभाव से, दिवालिया होने के आधार पर निलंबित या समाप्त नहीं किया जाएगा, बशर्ते कि

स्थगन अवधि के दौरान मंजूरी या इसी तरह का अनुदान या अधिकार। (2) निगमित देनदार को आवश्यक वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति, जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है, समाप्त या निलंबित नहीं की जाएगी।

या अधिस्थगन अवधि के दौरान बाधित।

देनदार और चालू संस्था के रूप में ऐसे निगमित देनदार के संचालन का प्रबंधन, तो ऐसी वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति नहीं होगी स्थगन की अवधि के दौरान समाप्त, निलंबित या बाधित किया जाएगा, सिवाय इसके कि जहां ऐसे निगमित देनदार ने [2021] 13 एस. सी. आर. का भुगतान नहीं किया है।

अधिस्थगन अवधि के दौरान या ऐसी परिस्थितियों में जो निर्दिष्ट की जाए, ऐसी आपूर्ति से उत्पन्न बकाया।

(3) उप-धारा (1) के प्रावधान इन पर लागू नहीं होंगे -

(क) ऐसे लेन-देन, समझौते या अन्य व्यवस्थाएँ जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा किसी के परामर्श से अधिसूचित किया जा सकता है।

वित्तीय क्षेत्र नियामक या कोई अन्य प्राधिकरण; (ख) किसी निगमित देनदार को गारंटी के अनुबंध में एक जमानत।

(4) स्थगन का आदेश इस तरह के आदेश की तारीख से कॉर्पोरेट दिवाला समाधान के पूरा होने तक प्रभावी रहेगा।

प्रक्रिया:

बशर्ते कि जहां किसी भी समय कॉर्पोरेट दिवालियापन के दौरान

समाधान प्रक्रिया अवधि, यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण मंजूरी देता है धारा 31 की उप-धारा (1) के तहत समाधान योजना या पारित

निगमित देनदार के परिसमापन के लिए आदेश धारा 33 के तहत, स्थगन ऐसे अनुमोदन या परिसमापन आदेश की तारीख से प्रभावी नहीं होगा, जैसा भी मामला हो।

157. आई. बी. सी. की धारा 14 उन शर्तों को सूचीबद्ध करती है जिनके तहत उप-धारा (ए) से (डी) के संदर्भ में एन. सी. एल. टी. द्वारा स्थगन लगाया जा सकता है। यह आगे स्पष्ट करता है कि सरकार द्वारा दिए गए लाइसेंस, परमिट, कोटा, रियायत, अनुदान या अधिकार को निलंबित या समाप्त नहीं किया जा सकता है।

दिवाला के आधार, कुछ अपवादों के अधीन। यह स्पष्टीकरण 28 दिसंबर 2019 से धारा 14 (1) में एक स्पष्टीकरण के माध्यम से जोड़ा गया था। 20 फरवरी 2020 की दिवाला विधि समिति की रिपोर्ट, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, में कहा गया है कि इस तरह के सरकारी अनुदान के बिना "कॉर्पोरेट देनदार का व्यवसाय अपना मूल्य खो देगा और कॉर्पोरेट देनदार को चालू रखना संभव नहीं होगा।

सी. आई. आर. पी. अवधि के दौरान एक चालू चिंता के रूप में, या कॉर्पोरेट देनदार को एक चालू चिंता के रूप में हल करने के लिए। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि सी. आई. आर. पी. के दौरान आई. पी. एस. ओ. फैक्टो खंडों या बकाया का भुगतान न करने के कारण इस तरह के अनुदानों की समाप्ति रोक लगाने के पीछे के उद्देश्य का उल्लंघन है। 158. एक स्पष्टीकरण को शामिल करने की सिफारिश करते हुए, दिवाला विधि समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि जबकि यह विचार था कि इस तरह के अनुदानों की समाप्ति या निलंबन को धारा द्वारा रोका जाता है

126 पैरा 8.4 गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। वी. एम. आर. अमित गुप्ता और ओआरएस।

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

14 , इसने किसी भी गुंजाइश से बचने के लिए स्पष्टीकरण जोड़ने की सिफारिश की

अस्पष्टता और प्रचुर सावधानी बरतने के लिए "127, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि धारा 14 (1) में संशोधन के माध्यम से स्पष्टीकरण की शुरूआत करके विधायी इरादे को स्पष्ट किया जाना चाहिए।

दिवाला विधि समिति (फरवरी 2020 की रिपोर्ट में अपनी चर्चा में) ने यह स्थिति ली कि धारा 14 में अपने अपरिवर्तित रूप में भी सरकारी अनुदानों के अमान्य होने पर एक निर्णय शामिल है, हालांकि धारा 14 की भाषा इस स्थिति को स्पष्ट नहीं करती है।

159. इसके विपरीत, दूतावास संपत्ति में इस न्यायालय का निर्णय

(उपर्युक्त) ने निष्कर्ष निकाला कि खनन पट्टे का नवीनीकरण धारा 14 के दायरे में नहीं था। संसद द्वारा धारा 14 (1) का स्पष्टीकरण इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए जोड़ा गया था कि क्या धारा 14 के तहत स्थगन में सरकारी लाइसेंस, अनुदान, परमिट, कोटा और अन्य प्रावधान शामिल हैं। रियायतें।

160. धारा 14 (2) में प्रावधान है कि आवश्यक वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति, जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है, को समाप्त, निलंबित या निलंबित नहीं किया जा सकता है।

अधिस्थगन के दौरान बाधित। धारा 14 (2ए) को 28 दिसंबर 2019 से जोड़ा गया था। इसमें प्रावधान है कि, जहां आई. आर. पी. या आर. पी. वस्तु या सेवाओं की आपूर्ति को निगमित देनदार के मूल्य की रक्षा और संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण मानता है और इसके संचालन को एक चालू चिंता के रूप में प्रबंधित करता है, तो ऐसी वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति को स्थगन की अवधि के दौरान समाप्त, निलंबित या बाधित नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि जहां ऐसी वस्तुएं हैं।

निगमित देनदार ने अधिस्थगन अवधि के दौरान या ऐसी परिस्थितियों में जो निर्दिष्ट की जा सकती हैं, ऐसी आपूर्ति से उत्पन्न बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है। मोहलत का आदेश दिवाला समाधान की परिणति तक प्रभावी है।

प्रक्रिया।

161. धारा 14 (1) और धारा 14 (2ए) में स्पष्टीकरण को शामिल करने से संकेत मिलता है कि संसद यह सुनिश्चित करने के लिए आईबीसी में संशोधन कर रही है

कि एक 'चालू संस्था' के रूप में निगमित देनदार की स्थिति विभिन्न स्थितियों के कारण बाधित नहीं होती है, जो आई. बी. सी. को लागू करने के समय विचार में नहीं थी। यह ध्यान देने योग्य होगा कि हाल ही में पी मोहनराज बनाम शाह मामले में इस अदालत के तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में

ब्रदर्स इस्पात प्रा. लिमिटेड 1 28, न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन ने न्यायालय की ओर से बोलते हुए निम्नलिखित में धारा 14 के उद्देश्य की व्याख्या की:

शर्तें:

127 2018 के पैरा 8.78 128 सिविल अपील सं. 10355 का निर्णय 1 मार्च 2021 [2021] 13 एस. सी. आर.

" ..... धारा 14 जैसे अधिस्थगन प्रावधान का उद्देश्य है -

यह देखें कि इस अवधि के दौरान किसी निगमित देनदार की परिसंपत्तियों में कोई कमी न हो

दिवाला समाधान प्रक्रिया ताकि इसे चालू रखा जा सके

सभी हितधारक। विचार यह है कि यह निरंतर संचालन की सुविधा प्रदान करता है। निगमित देनदार के व्यवसाय को सांस लेने की अनुमति देने के लिए

निगमित देनदार को संभालें और वित्तीय बीमारी से बाहर निकालें, इस प्रकार सभी हितधारकों को लाभ होगा, जिसमें कर्मचारी भी शामिल होंगे

निगमित देनदार का "।

(जोर दिया गया)

162. इसके अलावा, धाराओं के संदर्भ में आई. बी. सी. की योजना, अन्य बातों के साथ-साथ

0 (2) (ई), 25 (1) और समाधान योजना की परिभाषा से पता चलता है कि इसका उद्देश्य कॉर्पोरेट देनदार को 'चालू चिंता' के रूप में आरक्षित करना है। धारा 20 के प्रासंगिक भाग को नीचे निकाला गया है:

" 20. निगमित देनदार के संचालन का प्रबंधन

(1) अंतरिम समाधान पेशेवर हर संभव प्रयास करेगा। निगम की संपत्ति के मूल्य की रक्षा और संरक्षण करना।

देनदार के रूप में कॉर्पोरेट देनदार के संचालन का प्रबंधन करना और

चिंता हो रही है। (2) उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए, अंतरिम संकल्प

पेशेवर के पास अधिकार होगा

निगम को बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी कार्रवाई करना।

एक चालू चिंता के रूप में ऋणी "।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि धारा 25 (1) में निम्नलिखित प्रावधान हैं: " धारा 25-समाधान पेशेवर के कर्तव्य

(1) समाधान पेशेवर का यह कर्तव्य होगा कि निगमित देनदार की परिसंपत्तियों को संरक्षित और संरक्षित करें, जिसमें निगमित देनदार का निरंतर व्यावसायिक संचालन भी शामिल है।

समाधान योजना को आई. बी. सी. की धारा 5 (26) के तहत परिभाषित किया गया है नीचे:

" (26) " समाधान योजना "का अर्थ है भाग 2; गुजरात उर्जा विकास निगम लिमिटेड के अनुसार कॉर्पोरेट देनदार के दिवालिया होने के समाधान के लिए 3 [समाधान आवेदक] द्वारा प्रस्तावित योजना।

वी. एम. आर. अमित गुप्ता और ओआरएस।

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

स्पष्टीकरण। संदेहों को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि एक समाधान योजना में निगमित देनदार के पुनर्गठन के प्रावधान शामिल हो सकते हैं, जिसमें विलय, समामेलन और विलयन शामिल हैं।

163. हालांकि आई. बी. सी. के विभिन्न प्रावधानों से संकेत मिलता है कि क़ानून का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कॉर्पोरेट देनदार एक 'चालू चिंता' बना रहे, लेकिन अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए एन. सी. एल. टी. के लिए एक विशिष्ट पाठ्य हुक होना चाहिए। एन. सी. एल. टी. आई. बी. सी. के 'आत्मा' या 'उद्देश्य' से अपनी शक्तियाँ प्राप्त नहीं कर सकता है। आई. बी. सी. की धारा 60 (5) (सी) एन. सी. एल. टी. को व्यापक शक्तियां प्रदान करती है क्योंकि यह दिवाला समाधान प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाले तथ्य या कानून के किसी भी प्रश्न का समाधान कर सकता है। हालाँकि, हम यह जोड़ने में जल्दबाजी करते हैं कि एन. सी. एल. टी. का अवशिष्ट अधिकार क्षेत्र, हालांकि व्यापक है, फिर भी आई. बी. सी. के पाठ द्वारा परिभाषित किया गया है। विशेष रूप से, एन. सी. एल. टी. वह नहीं कर सकता जो आई. बी. सी. ने जानबूझकर उसे करने की शक्ति प्रदान नहीं की थी।

164. इस मामले में, पी. पी. ए. को पूरी तरह से दिवालिया होने के आधार पर समाप्त कर दिया गया है, जो धारा 60 (5) (सी) के तहत एन. सी. एल. टी. को अधिकार क्षेत्र देता है। इस मामले का न्यायनिर्णयन करना और पी. पी. ए. की समाप्ति को अमान्य करना क्योंकि यह है

फोरम दिवाला समाधान प्रक्रिया की निरंतरता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी के साथ निहित है, जिसके लिए एक चालू चिंता के रूप में कॉर्पोरेट ऋणदाता के संरक्षण की आवश्यकता है। इस मामले के अद्वितीय तथ्यात्मक मैट्रिक्स में सी. आई. आर. पी. के लिए पी. पी. ए. की केंद्रीयता को देखते हुए, इस न्यायालय को एन. सी. एल. टी. के अवशिष्ट अधिकार क्षेत्र की व्याख्या को अपनाना चाहिए जो आई.

बी. सी. के व्यापक लक्षयों के अनुरूप है। सर पी. बी. मैक्सवेल ने अपनी टिप्पणी, ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैटचूट्स 1 29 में इस बात पर जोर दिया है कि

प्रावधान को एक सामंजस्यपूर्ण व्याख्या दी जानी चाहिए जो विधानमंडल के इरादे के अनुरूप हो। टिप्पणी में कहा गया है:

" सख्त निर्माण का नियम, हालांकि, जब भी लागू किया जाता है, यह योग्यताओं और अन्य नियमों के साथ आता है जो कम महत्वपूर्ण नहीं हैं, और यह प्रकाश है जो प्रत्येक योगदान देता है कि अर्थ निर्धारित किया जाना चाहिए। उनमें से यह नियम है कि

उन शब्दों को अपनाया जाना चाहिए जो सबसे अच्छा सामंजस्य रखते हैं

नीति के संदर्भ में और उसे पूरे तरीके से बढ़ावा देना और

विधायिका का उद्देश्य। सर्वोपरि वस्तु, में दंडात्मक के साथ-साथ अन्य कानूनों का अर्थ यह सुनिश्चित करना है कि

129 रॉय विल्सन, ब्रायन गैल्पिन और पीटर बेन्सन मैक्सवेल, क़ानूनों की व्याख्या पर, (11 वां संस्करण, स्वीट और मैक्सवेल 1962)।

विधायी इरादा और सख्त निर्माण का नियम है

शब्दों को पूरा रखने की अनुमति देकर उनका उल्लंघन नहीं किया गया

अर्थ, या दो अर्थों में से अधिक व्यापक, जब सबसे अच्छा हो

इरादे को प्रभावित करना। उन्हें वास्तव में अक्सर लिया जाता है।

सबसे व्यापक अर्थ, कभी-कभी एक अर्थ में भी उससे अधिक व्यापक

व्युत्पत्तिगत रूप से उनसे संबंधित है या लोकप्रिय रूप से जुड़ा हुआ है, क्रम में

विधायी आशय को प्रभावी ढंग से पूरा करना, या, सर एडवर्ड का उपयोग करना।

कोल के शब्द, शरारत को दबाने और उपचार को आगे बढ़ाने के लिए।

(जोर दिया गया)

165. यह देखते हुए कि धारा 60 (5) (सी) में उपयोग किए गए शब्द व्यापक हैं।

आयात, जैसा कि प्राधिकरण की एक सुसंगत रेखा में मान्यता प्राप्त है, हम मानते हैं कि

एन. सी. एल. टी. को अपीलार्थी को पी. पी. ए. को समाप्त करने से रोकने का अधिकार था। हालाँकि, हमारा निर्णय वर्तमान मामले में सी. आई. आर. पी. की सफलता के लिए पी. पी. ए. की केंद्रीयता की मान्यता पर आधारित है, इस मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स में, क्योंकि यह बिजली की बिक्री के लिए एकमात्र अनुबंध है जो कॉर्पोरेट देनदार द्वारा किया गया था। ऐसा करते हुए, हम दोहराते हैं कि एन. सी. एल. टी. को इस मामले में पी. पी. ए. की समाप्ति को दरकिनार करने का अधिकार दिया गया होगा क्योंकि समाप्ति पूरी तरह से दिवालिया होने के आधार पर हुई थी। एन. सी. एल. टी. का अधिकार क्षेत्र आई. बी. सी. की धारा 60 (5) (सी) के तहत उन मामलों में लागू नहीं किया जा सकता है जहां दिवाला से असंबंधित आधारों पर समाप्ति हो सकती है।

निगमित ऋणी। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे अनुच्छेद 9.2 जैसे वास्तविक खंड के आधार पर अनुबंध की वैध समाप्ति की स्थिति में भी लागू नहीं किया जा सकता है। 1 (ङ) इसमें, यदि इस तरह की समाप्ति से निगमित देनदार की मृत्यु सुनिश्चित करने का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार, भविष्य के सभी मामलों में, एन. सी. एल. टी. को वैध संविदात्मक समाप्ति को अलग करने से सावधान रहना होगा जो केवल अनुबंध के मूल्य को कम करेगा।

निगमित देनदार, और निगमित देनदार का एकमात्र अनुबंध होने के कारण इसे अपनी निगमित मृत्यु की ओर नहीं धकेलना (जैसा कि इस मामले में हुआ था) अद्वितीय तथ्यात्मक मैट्रिक्स)।

166. वर्तमान मामले में हमारे हस्तक्षेप की शर्तें सीमित हैं।

न्यायिक हस्तक्षेप से एस. आई. सी. ए. की धारा 22 के तहत शासन के पुनरुद्धार के लिए एक उपजाऊ आधार नहीं बनना चाहिए, जिसमें व्यापक अनुबंधों के निलंबन का प्रावधान है। एस. आई. सी. ए. की धारा 22 को पिछले दरवाजे से नहीं लाया जा सकता है। इस मामले में हमारे हस्तक्षेप का आधार इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि यदि हम पी. पी. ए. को समाप्त करने की अनुमति देते हैं, जो कि कॉर्पोरेट देनदार का एकमात्र अनुबंध है, जो बिजली की आपूर्ति को नियंत्रित करता है जो वह उत्पन्न करता है, तो यह सी. आई. आर. पी. के तहत से गलीचा निकाल लेगा, जिससे कॉर्पोरेट देनदार की कॉर्पोरेट मृत्यु एक पूर्व निष्कर्ष बन जाएगी।

गुजरात उर्जा विकास निगम लिमिटेड। वी. एम. आर. अमित गुप्ता और ओआरएस।

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

के. 3 संवादात्मक उपचार

167. जैसा कि इस निर्णय की धारा "जे. 3" में ऊपर बताया गया है, हम

इस अवसर पर हम इप्सो फैक्टो खंडों की व्यापक वैधता पर अपनी विधायी दृष्टि प्रदान करने वाली संसद की वांछनीयता पर ध्यान देना चाहेंगे। हमने पैराग्राफ 138 में कुछ जटिल विचारों को रेखांकित किया है।

168. अतीत में, इस न्यायालय ने ऐसे संवादात्मक उपायों को अपनाया है-जहां न्यायालय दूसरे के साथ अपने निर्णयों में बातचीत करता है।

सरकार के दो अंग ताकि प्रत्येक अंग अपनी संवैधानिक रूप से निर्धारित भूमिका का सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सके। उदाहरण के लिए, एस. सुकुमार बनाम द सेक्रेटरी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में अपने फैसले में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल के माध्यम से बोलते हुए निम्नलिखित निर्णय दिया:

सलाहकार, लेखा परीक्षकों के पेशे के लिए एक विशेष निरीक्षण निकाय की आवश्यकता हो सकती है जिसकी जांच की जा सकती है। समिति किसी भी अन्य सामग्री के अलावा, ऊपर निर्दिष्ट अध्ययन समूह और विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट की जांच कर सकती है। यह एफ. डी. आई. नीति और ऊपर निर्दिष्ट फेमा विनियमों के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कदम उठाने पर भी विचार कर सकता है। यह उन उपचारात्मक उपायों की पहचान कर सकता है जिन पर तब उपयुक्त अधिकारियों द्वारा विचार किया जा सकता है। समिति सभी संबंधित लोगों से सुझाव मांग सकती है। ऐसी समिति का गठन दो महीने के भीतर किया जा सकता है। समिति की रिपोर्ट उसके बाद तीन महीने के भीतर प्रस्तुत की जा सकती है। यू. ओ. आई. इस पर उचित विचार करने के बाद आगे की कार्रवाई कर सकता है। रिपोर्ट करें "।

130 (2018) 14 एससीसी 360।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

169. जैसा कि हम इस तथ्य के प्रति सचेत हैं कि यह मामला वैधानिक है और संवैधानिक व्याख्या के बारे में नहीं है, हम सोचते हैं कि ऐनी म्यूवेस और मार्निक्स द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियों को उद्धृत करना उचित होगा।

स्नेल 1 31 131।:

" न्यायपालिका और विधायिका के बीच संवैधानिक संवाद का मूल यह है कि वे संवैधानिक अर्थ के बारे में बातचीत करते हैं, जिसमें दोनों अभिनेताओं को एक-दूसरे के दृष्टिकोण से सीखने के लिए सुनना चाहिए, जिससे उनके अपने विचारों को तदनुसार संशोधित किया जा सकता है। इस तरह, 'संवाद' एक ओर न्यायिक सर्वोच्चता के बीच के रास्ते का प्रतिनिधित्व करता है।

और दूसरी ओर विधायी सर्वोच्चता '।

170. न्यायालय अपने केंद्र में एक ऐसी संस्था है जो उसके सामने लाए गए ठोस मामलों का जवाब देती है। यह अपने प्रांत के भीतर नहीं है कि वह कानून में अपने विचारों को शामिल करे कि अच्छी नीति क्या है। यह एक ऐसा मामला है जो विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। समान रूप से, जब एक नए प्रश्न के साथ प्रस्तुत किया जाता है, जिस पर विधायिका ने अभी तक अपना मन नहीं बनाया है, तो हमें नहीं लगता कि यह न्यायालय हाथ जोड़कर बैठ सकता है और केवल विधायिका को जवाब दे सकता है। ऐसी स्थिति में, न्यायालय एक व्याख्या-एक व्यवहार्य सूत्र-को अपना सकता है जो संबंधित विधान के व्यापक लक्षयों को आगे बढ़ाता है, जबकि अंतर्निहित समस्या का एक व्यापक और सुविचारित समाधान तैयार करना विधायिका पर छोड़ देता है। इस अभ्यास में विधायिका की सहायता करने के लिए, यह न्यायालय प्रासंगिक विचारों, अन्य प्रासंगिक क्षेत्राधिकारों में प्राप्त कानून की स्थिति और संभावित नुकसानों के बारे में अपनी सर्वोत्तम सोच रख सकता है जिनसे बचा जा सकता है। अंतर-संस्थागत संवाद के माध्यम से ही शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को सूक्ष्म तरीके से लागू किया जा सकता है। यह इस तरह है कि न्यायालय त्याग और हड़पने के बीच के रास्ते पर चल सकता है।

परिसमापन के मुद्दे पर एन. सी. एल. ए. टी. का निर्णय

171. एन. सी. एल. टी. ने 29 अगस्त 2019 के अपने आदेश के पैराग्राफ 35 में परिसमापन की स्थिति में पी. पी. ए. को समाप्त करने के अपीलार्थी के अधिकार को बरकरार रखा। 131 ऐनी मेउवेस और मार्निक्स स्नेल, 'संवैधानिक संवाद': एन ओवरव्यू, यूट्रेक्ट लॉ रिव्यू, वॉल्यूम। 9 , अंक 2, पी। 128 [मार्च, 2013]।

132 यह वाक्यांश-ओ फेराज़ से लिया गया है, 'हड़पने और त्याग के बीच? ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के न्यायालयों में स्वास्थ्य का अधिकार 'ऑस्कर विल्हेना विएरा, उपेंद्र बक्सी, फ़्रांस विल्जोएन (संस्करण), परिवर्तनकारी संविधानवादः ब्राजील, भारत और दक्षिण अफ्रीका के शीर्ष न्यायालयों की तुलना (पी. यू. एल. पी., प्रिटोरिया 2013) 375,393।

गुजरात उर्जा विकास निगम लिमिटेड। वी. एम. आर. अमित गुप्ता और ओआरएस।

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

निगमित देनदार के खिलाफ प्रक्रिया शुरू की जाती है। अपीलार्थी ने न तो इस मुद्दे को एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष अपनी अपील में चुनौती दी थी और न ही इसे किसी अन्य पक्ष द्वारा उठाया गया था। हालांकि, एन. सी. एल. ए. टी. ने टिप्पणियों को हटा दिया

एन. सी. एल. टी. द्वारा पैराग्राफ 35 में किया गया, जिससे यह अभिनिर्धारित किया गया कि अपीलकर्ता पी. पी. ए. को समाप्त नहीं कर सकता है, भले ही कॉर्पोरेट देनदार इसमें शामिल हो जाए।

परिसमापन। चूंकि एन. सी. एल. टी. के आदेश के अनुच्छेद 35 के संबंध में कोई अभिवचन या प्रार्थना नहीं की गई थी, इसलिए एन. सी. एल. ए. टी. इस मुद्दे को अपील के विषय के रूप में नहीं मान सकता था। हमारा मानना है कि परिसमापन के मुद्दे पर विचार करके एन. सी. एल. ए. टी. ने अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है। निगमित देनदार के खिलाफ शुरू की गई किसी भी परिसमापन कार्यवाही के अभाव में, हमें इस मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या अपीलार्थी ऐसे संदर्भ में अनुबंध को समाप्त करने का हकदार होगा। इस तरह की चर्चा अकादमिक प्रकृति की होगी, और इस अपील के दायरे से परे होगी।

एम द्वारा इंजेक्ट की गई बिजली के लिए भुगतान करने के लिए अपीलार्थी का दायित्व

कॉर्पोरेट देनदार

172. अपीलार्थी ने समाप्ति का नोटिस दिया था

7 जून 2019 से प्रभावी कॉर्पोरेट देनदार, हालांकि अंतरिम सुरक्षा के संचालन के कारण समाप्ति नहीं की जा सकी जो एनसीएलटी द्वारा उत्तरदाताओं को दी गई थी। अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया गया कि उसे एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा दिए गए त्रुटिपूर्ण आदेशों के आधार पर पीड़ित नहीं किया जा सकता है, जिसके कारण उसे अधिक शुल्क का भुगतान करना पड़ा क्योंकि वह निगमित ऋणदाता के साथ पी. पी. ए. को समाप्त नहीं कर सका और किसी अन्य बिजली उत्पादक से सस्ते शुल्क पर बिजली की खरीद नहीं कर सका। चूँकि हमने ऊपर चर्चा किए गए कारणों के आधार पर पी. पी. ए. की समाप्ति को अलग कर दिया है, इसलिए अपीलार्थी भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

समाप्ति के लिए मुआवजे के संबंध में अपीलार्थी का दावा अनुच्छेद 9.3 के संदर्भ में पी. पी. ए.। 1 पी. पी. ए. उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि यह पी. पी. ए. को समाप्त करने से प्रतिबंधित है। अतः, अपीलार्थी के इस तर्क को अनुचित बना दिया गया है।

एन निष्कर्ष

173. अंत में, हम मानते हैं किः

एन. सी. एल. टी./एन. सी. एल. ए. टी. के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जा सकता था

((i)

अपीलार्थी द्वारा पी. पी. ए. की समाप्ति पर रोक लगाने के लिए आई. बी. सी. की धारा 60 (5) (सी), क्योंकि अपीलार्थी ने अनुच्छेद 9.2 के तहत पी. पी. ए. को समाप्त करने की मांग की थी। 1 (ई) केवल कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ सी. आई. आर. पी. शुरू किए जाने के कारण; [2021] 13 एस. सी. आर.

ई. एम. ई. न्यायालय की रिपोर्ट

एन. सी. एल. टी./एन. सी. एल. ए. टी. ने अपीलार्थी की समाप्ति पर सही ढंग से रोक लगा दी, क्योंकि इसने पी. पी. ए. को समाप्त करने की अनुमति दी थी।

विधायी हस्तक्षेप के लिए अनुबंधों में वैधता/अयोग्यता के वास्तविक खंडों के व्यापक प्रश्न को खुला छोड़ दें।उपरोक्त कारणों से हम इस अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।

ग्ली को बर्खास्त कर दिया।

आवेदन (ओं), यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

याचिका खारिज कर दी गई।